RNI No. DELHIN/2012/48773 विशेषांक 2026 वर्ष 14, अंक 7 ₹100

फेम इंडिया

सोच बदलें, समाज बदलेगा

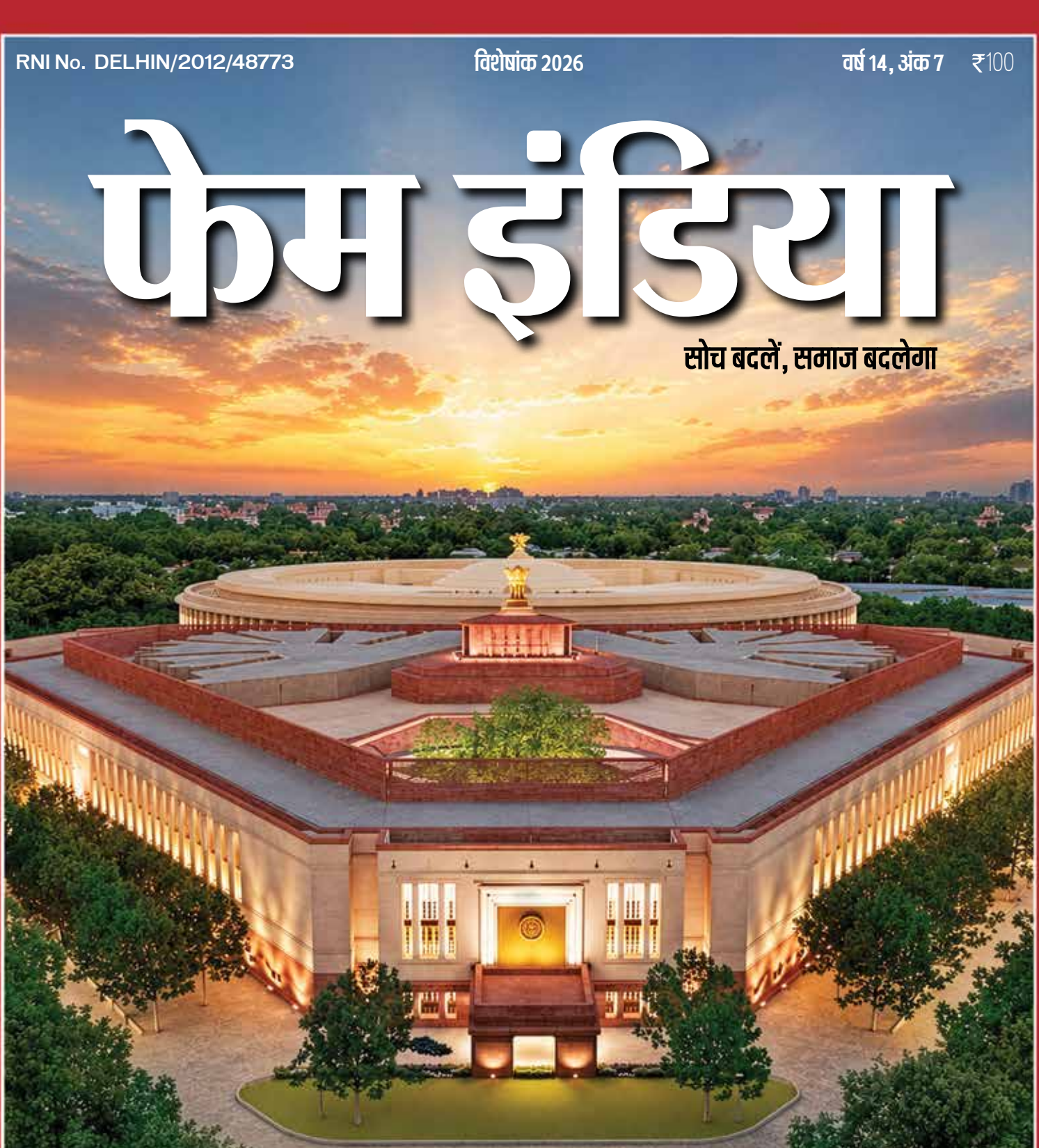

सर्वश्रेष्ठ संसद 2026

फेम इंडिया -एशिया पोस्ट सर्वे

फेम इंडिया

www.thefameindia.com

वर्ष 14, अंक 7, जुलाई 2026

एडिटर इन चीफ – धीरज कुमार
मैनेजिंग एडिटर – अनिल सिंह

एडिटोरियल टीम –
राकेश चौधरी, नीलम शुक्ला, सुनील सिंह, नम्रता नारायण, मनीष सिंह, देवेश मिश्रा, कल्पना पुंडीर, विजय पांडेय, अमरनाथ, दिलीप सिंह, हेमंत सिंह, रोहित रोहण, विकास सिंह, नीरज सहाय, सुधा पांडेय संतोष कुमार सिंह, संजय बाली

संपादकीय सलाहकार – अतुल सिंघल

आर्ट डायरेक्टर – स्वर्ण लता

वेब टीम – मानवेंद्र प्रताप, रश्मि सिंह

सेल्स – अनामिका गौतम
मार्केटिंग – सुनील पुंडीर
सर्कुलेशन – प्रवीण मिश्रा

कानूनी सलाहकार
अमित खेमका

(स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक राजश्री द्वारा ज्योति प्रिंटर्स, ई-94, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर से मुद्रित एवं ए-533, जीडी कालोनी, मयूर विहार फेज-3, दिल्ली से प्रकाशित, संपादक – धीरज कुमार)

संपादकीय एवं मार्केटिंग ऑफिस
फेम इंडिया पब्लिकेशन प्रा.लि.।
एफ 6, सेक्टर-50, नोएडा 201304 (उ.प्र.)
फोन नं. – +91- 9717727501 / 9451587800 / 0120 315 4572
ई मेल: fameindia.publication@gmail.com

RNI No. DELHIN/2012/48773

संपादकीय

लोकतंत्र का मंदिर, आचरण भी वैसा ही हो

भारतीय संसद, लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर, विचार-विमर्श, वाद-विवाद और नीति-निर्माण का सबसे बड़ा मंच है। लोकसभा और राज्यसभा—दोनों सदनों की गरिमा इस बात पर निर्भर करती है कि वहां बैठे जनप्रतिनिधि किस तरह का व्यवहार करते हैं। दुर्भाग्य से, हाल के वर्षों में संसद के भीतर आचरण को लेकर उठे सवाल इस संस्था की साख पर गहरी चोट करते रहे हैं। हंगामा, स्थगन, नारेबाज़ी, कागज़ फाड़ना, माइक तोड़ना और कई बार व्यक्तिगत आक्षेप—यह दृश्य अब असामान्य नहीं, बल्कि लगभग नियमित हो चुका है।

यह समस्या किसी एक दल या विचारधारा तक सीमित नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की ओर से समय-समय पर ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जब सदन की कार्यवाही बाधित हुई। जब सरकार महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा से बचने के लिए बहुमत के बल पर बिल पास कराती है, तो विपक्ष के पास हंगामे के अलावा शायद ही कोई और रास्ता बचता है। दूसरी ओर, जब विपक्ष बिना किसी ठोस रणनीति के केवल सदन की कार्यवाही रोकने के इरादे से नारेबाज़ी करता है, तो जनता के धन और समय की बर्बादी होती है। दोनों स्थितियां समान रूप से चिंताजनक हैं, क्योंकि इनका सीधा नुकसान उस जनता को होता है जिसने इन सांसदों को चुनकर भेजा है।

संसद की उत्पादकता के आंकड़े इस चिंता को और पुष्ट करते हैं। कई सत्रों में निर्धारित समय का बड़ा हिस्सा हंगामे और स्थगन में ही बीत गया, जिससे महत्वपूर्ण विधेयकों पर गहन चर्चा नहीं हो पाई। कई बार तो विधेयक बिना किसी सार्थक बहस के मिनटों में पास कर दिए गए। यह स्थिति संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना—यानी विचारों का खुला और तर्कसंगत आदान-प्रदान—के विपरीत है।

इस समस्या की जड़ें कई जगह हैं। पहला, दलगत राजनीति में बढ़ती कट्टरता, जहां सहमति और संवाद की जगह टकराव को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा, सोशल मीडिया के युग में कई सांसद सदन के भीतर बहस जीतने के बजाय बाहर वायरल होने वाले क्षणों की तलाश में रहते हैं—तीखे बयान या नाटकीय व्यवहार अक्सर सुर्खियां बनाने का ज़रिया बन जाते हैं। तीसरा, पीठासीन अधिकारी (स्पीकर और सभापति) की भूमिका भी महत्वपूर्ण है; निष्पक्षता में कमी की धारणा, चाहे वह वास्तविक हो या कथित, विपक्ष के असंतोष को और बढ़ा देती है।

समाधान की दिशा में कई कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, दोनों सदनों की आचार समितियों को अधिक सक्रिय और निष्पक्ष बनाया जाना चाहिए, जो सांसदों के व्यवहार पर समय पर और पक्षपातरहित कार्रवाई कर सकें। दूसरा, प्रश्नकाल और शून्यकाल जैसी महत्वपूर्ण संसदीय परंपराओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए सभी दलों को एक साझा प्रतिबद्धता दिखानी होगी। तीसरा, सर्वदलीय बैठकों के माध्यम से सत्र शुरू होने से पहले ही कामकाज पर सहमति बनाने की परंपरा को मज़बूत किया जाना चाहिए, जिससे टकराव की गुंजाइश कम हो। चौथा, नागरिक समाज और मीडिया को भी सांसदों के आचरण पर निगरानी बनाए रखनी चाहिए, ताकि जनता के दबाव से जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

धीरज

सर्वश्रेष्ठ सांसद

भारतीय लोकतंत्र में उत्कृष्ट जनप्रतिनिधित्व का मूल्यांकन

फेम इंडिया–एशिया पोस्ट का राष्ट्रीय सांसद सर्वेक्षण

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी संसदीय व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों, जनभागीदारी तथा जवाबदेही की सशक्त मिसाल मानी जाती है। भारतीय संसद केवल कानून निर्माण का मंच नहीं, बल्कि देश की आकांक्षाओं, विकास और लोकतांत्रिक संतुलन को दिशा देने वाली सर्वोच्च संस्था है। संसद में चुने गए जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ बनकर राष्ट्रीय नीतियों, विकास योजनाओं और सामाजिक सरोकारों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाते हैं। ऐसे में सांसदों की सक्रियता, संवेदनशीलता, ईमानदारी और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता लोकतंत्र की सफलता का महत्वपूर्ण आधार है।

इन्हीं मूल्यों को केंद्र में रखकर फेम इंडिया मैगज़ीन ने प्रतिष्ठित सर्वे एजेंसी एशिया पोस्ट सर्वे के सहयोग से देश के उत्कृष्ट सांसदों का एक व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित किया। इस अध्ययन का उद्देश्य केवल लोकप्रियता का आकलन करना नहीं था, बल्कि उन सांसदों की पहचान करना था जिन्होंने संसदीय दायित्वों के साथ-साथ जनहित, विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया है।

सर्वेक्षण में सांसदों के कार्यों का बहुआयामी और वैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया। इसके लिए संसदीय उपस्थिति, सदन की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी, बहसों में योगदान, जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने की क्षमता, क्षेत्रीय विकास, जनता से संवाद, सामाजिक छवि, जवाबदेही, नवाचार, विकासोन्मुख दृष्टिकोण तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता जैसे अनेक महत्वपूर्ण मानकों को आधार बनाया गया। साथ ही शिक्षाविदों, वरिष्ठ पत्रकारों, सामाजिक संगठनों, विषय विशेषज्ञों और जागरूक नागरिकों की राय को भी अध्ययन का हिस्सा बनाकर इसे अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया।

फेम इंडिया का मानना है कि लोकतंत्र तभी सशक्त बनता है जब सकारात्मक और रचनात्मक जनप्रतिनिधित्व को उचित पहचान और सम्मान मिले। आज जबकि सार्वजनिक विमर्श में अक्सर नकारात्मक पक्ष अधिक चर्चा में रहता है, देश में ऐसे अनेक सांसद भी हैं जो बिना प्रचार की अपेक्षा किए अपने संसदीय क्षेत्र और राष्ट्रहित में निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सामने लाना स्वस्थ लोकतांत्रिक संस्कृति को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सर्वेक्षण में विशेष रूप से उन सांसदों को प्राथमिकता दी गई जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण, ग्रामीण विकास, आधारभूत संरचना, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण तथा समावेशी विकास जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय पहल की। इसके अतिरिक्त संकट और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जनता के बीच रहकर संवेदनशील नेतृत्व का परिचय देने वाले जनप्रतिनिधियों के कार्यों का भी गंभीरता से मूल्यांकन किया गया।

इस संस्करण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि पहली बार सर्वेक्षण में लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा के सदस्यों को भी शामिल किया गया। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अलग-अलग समय पर प्रारंभ होने के कारण उनके प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षाकृत जटिल था। इसके बावजूद मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिकतम वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष बनाने के लिए विभिन्न मानकों तथा विशेषज्ञ विश्लेषण का सहारा लिया गया, ताकि दोनों सदनों के सदस्यों के कार्यों का संतुलित आकलन प्रस्तुत किया जा सके।

यह सर्वेक्षण केवल उत्कृष्ट सांसदों की सूची तैयार करने का प्रयास नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में जवाबदेही, पारदर्शिता और सकारात्मक राजनीति को प्रोत्साहित करने की एक सार्थक पहल भी है। फेम इंडिया का विश्वास है कि जनप्रतिनिधियों के अच्छे कार्यों को सम्मानित करने से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास मजबूत होता है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी उद्देश्य के साथ प्रस्तुत यह राष्ट्रीय सर्वेक्षण भारतीय लोकतंत्र में उत्कृष्ट जनप्रतिनिधित्व की पहचान और सम्मान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

राजस्थान की पाली लोकसभा सीट का नाम जब भी लिया जाता है, तो वरिष्ठ अधिवक्ता, अनुभवी सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके प्रेम प्रकाश, उर्फ पी. पी. चौधरी का उल्लेख स्वाभाविक रूप से सामने आता है। कानून की गहरी समझ, संसदीय कार्यों में सक्रिय भागीदारी और अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें देश की राजनीति में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। वर्ष 2014 से लगातार पाली का प्रतिनिधित्व कर रहे पी. पी. चौधरी ने अपने राजनीतिक जीवन में विकास, सुशासन और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

परिश्रमी

सुशासन और विकास के पर्याय, लोकप्रिय राजनेता

पी. पी. चौधरी

पाली, राजस्थान (भाजपा)

95.51

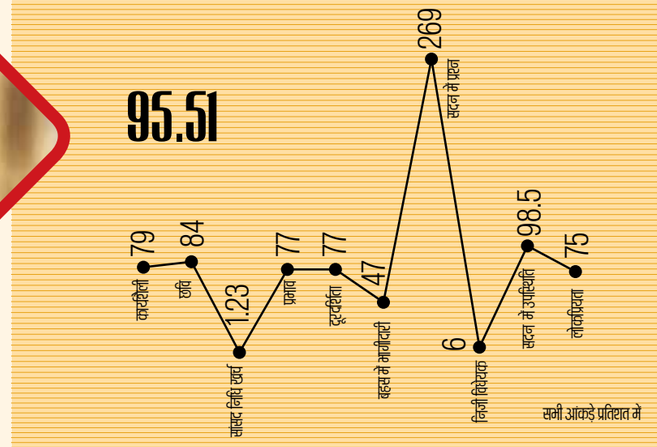

जोधपुर जिले के एक किसान परिवार में जन्मे प्रेम प्रकाश चौधरी ने प्रारंभिक जीवन से ही मेहनत और अनुशासन को अपनाया।

उन्होंने विज्ञान और विधि की शिक्षा प्राप्त करने के बाद लंबे समय तक राजस्थान उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। कानून के क्षेत्र में उनके अनुभव ने उन्हें संविधान, न्याय व्यवस्था और प्रशासन की गहरी समझ प्रदान की, जिसका लाभ उन्हें सार्वजनिक जीवन में भी मिला।

साल 2014 में पहली बार पाली लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित होने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने का प्रयास किया। जनता के बीच निरंतर संपर्क बनाए रखना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा रहा है। वे नियमित रूप से गांवों का दौरा करते रहे हैं और स्थानीय समस्याओं को सीधे सुनकर उनके समाधान का प्रयास करते रहे हैं। "सांसद आपके द्वार" जैसी पहल के माध्यम से उन्होंने बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों तक पहुंचकर जनसंवाद स्थापित किया, जिससे आम लोगों को अपनी समस्याएं सीधे रखने का अवसर मिला।

लोकसभा

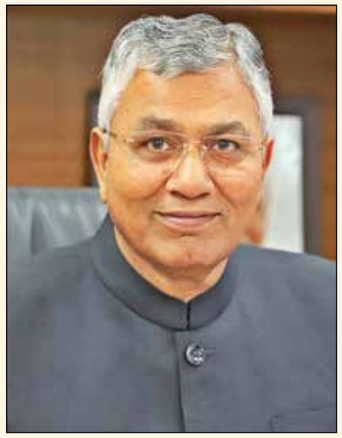

आज जब देश विकास, सुशासन और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब पी. पी. चौधरी जैसे जनप्रतिनिधि अपनी संसदीय सक्रियता, प्रशासनिक अनुभव और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पाली के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के प्रति उनके प्रयास तथा संसद में उनकी सक्रिय भागीदारी उन्हें एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित करती है, जिन्होंने जनसेवा को राजनीति का मूल उद्देश्य माना है। यही कारण है कि वे राजस्थान ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी एक अलग और सम्मानजनक पहचान बना चुके हैं।

पाली संसदीय क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास को लेकर भी उनके कार्यों की चर्चा होती है। सड़क संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों के निर्माण एवं विस्तार की विभिन्न परियोजनाओं को गति मिली। बेहतर सड़क नेटवर्क से व्यापार, उद्योग, कृषि और पर्यटन को भी लाभ पहुंचा। क्षेत्र के कई हिस्सों में संपर्क व्यवस्था सुधरने से ग्रामीण आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हुए।

पी. पी. चौधरी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना और शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रयास किए। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छात्रावास जैसी सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया गया। उनका मानना रहा है कि किसी भी समाज का स्थायी विकास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना संभव नहीं है।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी उनके प्रयास उल्लेखनीय माने जाते हैं। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्होंने पाली संसदीय क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाओं के लिए बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने की पहल की। यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया। इसके साथ ही उन्होंने महिला शिक्षा और स्वावलंबन से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का भी समर्थन किया।

ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी उन्होंने कई पहलें कीं। क्षेत्र के गांवों में बड़ी संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइटें स्थापित कराई गईं, जिससे ऊर्जा की बचत के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा और सुविधाओं में भी वृद्धि हुई। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की यह पहल ग्रामीण विकास के आधुनिक मॉडल का उदाहरण मानी जाती है।

केंद्रीय मंत्री के रूप में भी पी. पी. चौधरी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभायीं। उन्होंने कानून एवं न्याय मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान डिजिटल सेवाओं के विस्तार, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने तथा कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने की दिशा में किए गए प्रयासों को भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

संसद में उनकी सक्रियता भी उल्लेखनीय रही है। उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन के लिए उन्हें लगातार दो वर्षों तक "सांसद रत्न पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। संसदीय समितियों में उनकी सक्रिय भूमिका और गंभीर अध्ययनशीलता के कारण उन्हें समय-समय पर अनेक महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्तमान में भी वे कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों से जुड़े हुए हैं, जिनमें राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

कानून के क्षेत्र में उनके अनुभव के कारण उन्हें कई महत्वपूर्ण विधेयकों की संयुक्त संसदीय समितियों का नेतृत्व करने का अवसर मिला। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, जन विश्वास (संशोधन) विधेयक तथा "एक राष्ट्र, एक चुनाव" से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इस बात का प्रमाण हैं कि संसद और सरकार ने उनकी प्रशासनिक क्षमता एवं कानूनी विशेषज्ञता पर विश्वास जताया है।

सामाजिक जीवन में भी पी. पी. चौधरी शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण से जुड़े अनेक कार्यक्रमों का समर्थन करते रहे हैं। नेत्र चिकित्सा शिविर, खेल प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन, ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा सामाजिक जागरूकता अभियानों में उनकी भागीदारी रही है। उनका प्रयास रहा है कि विकास केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों तक भी उसकी पहुंच सुनिश्चित हो।

पाली संसदीय क्षेत्र औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे क्षेत्र का लगातार तीन बार प्रतिनिधित्व करना जनता के विश्वास का प्रतीक माना जाता है। चुनावी सफलता के साथ-साथ विकास कार्यों की निरंतरता ने उन्हें क्षेत्र की राजनीति में एक मजबूत स्थान दिलाया है। उनकी कार्यशैली में कानूनी समझ, प्रशासनिक अनुभव और जनसंपर्क का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

व्यवहारिक

जनसेवा, महिला सशक्तिकरण और विकास की प्रतिबद्ध राजनीति

स्मिता उदय वाघ

जलगांव, महाराष्ट्र (भाजपा)

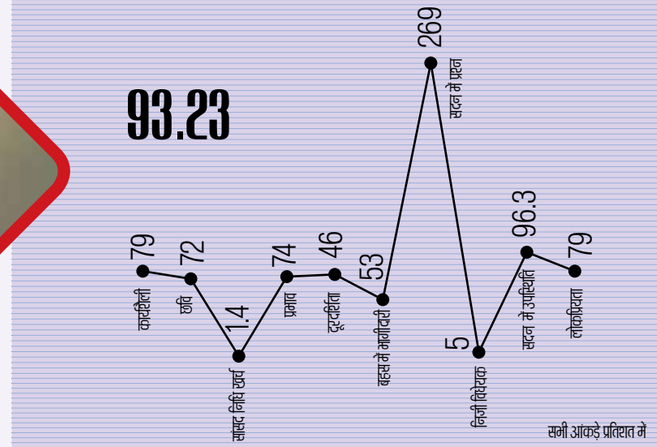

भारतीय लोकतंत्र में कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं जो राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज सेवा का संकल्प मानते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में स्मिता उदय वाघ ऐसा ही एक नाम हैं, जिन्होंने लंबे समय से संगठन और जनसेवा के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई है। भारतीय जनता पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने संगठन को मजबूत करने से लेकर जनता के बीच सक्रिय रहने तक अनेक जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। आज वे एक ऐसी महिला नेता के रूप में जानी जाती हैं, जिन्होंने संघर्ष, समर्पण और निरंतर जनसंपर्क के बल पर अपनी राजनीतिक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

स्मिता उदय वाघ का राजनीतिक जीवन संगठनात्मक कार्यों से प्रारंभ हुआ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा और विभिन्न संगठनात्मक इकाइयों में सक्रिय भूमिका निभाई। संगठन में कार्य करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोड़ने, महिलाओं को राजनीति में भागीदारी के लिए प्रेरित करने तथा पार्टी की विचारधारा को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। यही कारण है कि वे धीरे-धीरे महाराष्ट्र भाजपा की प्रमुख महिला नेताओं में शामिल हो गईं।

उनकी सबसे बड़ी विशेषता जनता से सीधा संवाद है। वे लगातार अपने संसदीय क्षेत्र और आसपास के इलाकों में लोगों से मिलती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं और संबंधित विभागों के माध्यम से समाधान का प्रयास करती हैं। सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विषयों पर उनकी सक्रियता स्थानीय लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण मानी जाती है।

लोकसभा

आज स्मिता उदय वाघ का नाम महाराष्ट्र की सक्रिय और जनसरोकारों से जुड़ी महिला नेताओं में लिया जाता है। विकास, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, युवा उत्थान और सामाजिक समरसता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके सार्वजनिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं हैं। आने वाले समय में भी उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए अपने क्षेत्र के विकास और समाज के सर्वांगीण उत्थान के लिए इसी प्रकार सक्रिय भूमिका निभाती रहेंगी। उनकी राजनीतिक यात्रा इस बात का उदाहरण है कि ईमानदार प्रयास, संगठन के प्रति निष्ठा और जनता के साथ निरंतर संवाद किसी भी जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी पूंजी होती है।

महिला सशक्तिकरण उनके सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने, कौशल विकास को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए वे समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ी रही हैं।

युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। वे विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी युवाओं तक पहुंचाने और उन्हें स्वरोजगार तथा उद्यमिता के लिए प्रेरित करने का प्रयास करती रही हैं। उनका विश्वास है कि देश की सबसे बड़ी शक्ति युवा हैं और यदि उन्हें सही दिशा तथा अवसर मिलें, तो वे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

कृषि और किसानों के मुद्दों पर भी स्मिता उदय वाघ ने गंभीरता से काम किया है। उन्होंने किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने तथा सिंचाई, फसल बीमा और कृषि अवसंरचना से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाया है। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में उनकी सक्रियता उल्लेखनीय रही है।

विकास कार्यों की बात करें तो उन्होंने अपने क्षेत्र में सड़क संपर्क, रेल सुविधाओं के विस्तार, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा संबंधी परियोजनाओं को गति देने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को वे आर्थिक प्रगति की आधारशिला मानती हैं। उनका मानना है कि बेहतर सड़कें, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी भी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं।

सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति भी उनकी विशेष रुचि रही है। वे स्थानीय सांस्कृतिक आयोजनों, धार्मिक कार्यक्रमों और सामाजिक गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लेती हैं। इससे समाज के विभिन्न वर्गों के साथ उनका संवाद मजबूत हुआ है और लोगों में उनके प्रति विश्वास बढ़ा है। वे भारतीय संस्कृति और परंपराओं को आधुनिक विकास के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने की पक्षधर हैं।

डिजिटल भारत और सुशासन की अवधारणा को भी उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में महत्व दिया है। सरकारी योजनाओं की जानकारी डिजिटल माध्यमों से लोगों तक पहुंचाने, ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के पक्ष में उन्होंने लगातार अपनी बात रखी है। इससे आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ अपेक्षाकृत आसान तरीके से प्राप्त हो सके।

संकट की घड़ी में भी उनकी सक्रियता देखने को मिली है। प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों और अन्य कठिन परिस्थितियों के दौरान उन्होंने राहत कार्यों, आवश्यक सामग्री के वितरण तथा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए प्रशासन और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम किया। जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच उनकी निरंतर उपस्थिति ने उन्हें एक संवेदनशील और सक्रिय नेता की पहचान दिलाई है।

संसद और सार्वजनिक जीवन में उनकी प्राथमिकता हमेशा विकास, जनहित और सुशासन से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाने की रही है। वे मानती हैं कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा दायित्व जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और विकास को गति देना है। इसी सोच के साथ वे अपने संसदीय क्षेत्र की आवश्यकताओं को संबंधित मंत्रालयों और सरकारी विभागों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं।

उनकी राजनीतिक यात्रा यह भी दर्शाती है कि संगठन में लंबे समय तक काम करने वाला कार्यकर्ता यदि समर्पण और धैर्य बनाए रखे, तो उसे नेतृत्व की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अवश्य मिलती हैं। स्मिता उदय वाघ ने संगठनात्मक अनुभव, जनसंपर्क और सेवा भावना के बल पर अपनी एक सशक्त पहचान बनाई है। वे उन महिला नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को नई प्रेरणा दी है।

कर्मयोद्धा

लोकसभा

सात कार्यकाल का अनुभव, संसदीय मर्यादा और नीति-निर्माण की सशक्त आवाज़

भरतृहरि महताब

कटक, ओडिशा (भाजपा)

भारतीय संसद में कुछ सांसद ऐसे होते हैं जिनकी पहचान केवल राजनीतिक दलों से नहीं, बल्कि उनकी संसदीय समझ, विधायी अनुभव और संतुलित कार्यशैली से बनती है। ओडिशा के कटक से सातवीं बार लोकसभा पहुँचे भरतृहरि महताब ऐसे ही वरिष्ठ सांसद हैं। तीन दशकों से अधिक लंबे संसदीय जीवन में उन्होंने स्वयं को उन जनप्रतिनिधियों के रूप में स्थापित किया है जो सदन में तथ्यों, अध्ययन और संसदीय परंपराओं के आधार पर अपनी बात रखते हैं। 18वीं लोकसभा के गठन के समय उन्हें प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपा जाना भी उनके लंबे संसदीय अनुभव और प्रतिष्ठा का प्रमाण माना गया।

91.30

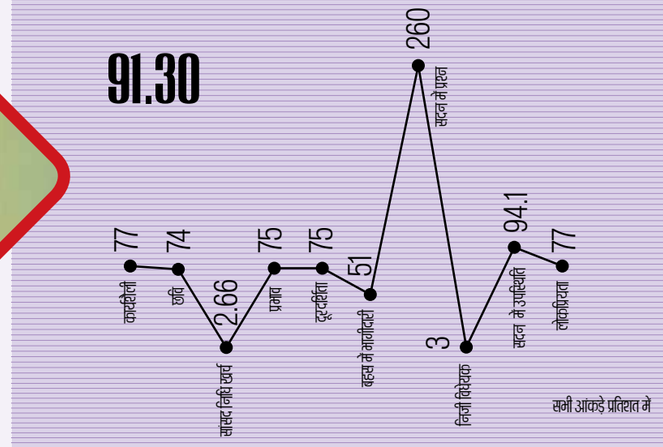

ओडिशा के कटक में जन्मे भरतृहरि महताब एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक जीवन वाले परिवार से आते हैं। उनके पिता डॉ. हरेकृष्ण महताब स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात लेखक तथा ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। राजनीति और सामाजिक सरोकारों का वातावरण उन्हें प्रारंभ से ही मिला। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता, लेखन और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे लंबे समय से समसामयिक विषयों पर नियमित लेखन करते रहे हैं और संसदीय विषयों पर उनकी गहरी समझ के लिए उन्हें विशेष पहचान मिली है। निजी जीवन में वे परिवार के साथ सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं तथा साहित्य, इतिहास और सार्वजनिक नीति के अध्ययन में विशेष रुचि रखते हैं।

वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय लेकर आया। लंबे समय तक बीजू जनता दल का प्रतिनिधित्व करने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कटक से चुनाव जीता। राजनीतिक दल बदलने के बावजूद उनकी संसदीय पहचान एक गंभीर और अध्ययनशील सांसद की रही, जिसे विभिन्न दलों के सदस्य भी स्वीकार करते हैं।

भरतृहरि महताब की कार्यशैली का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उनकी संसदीय मर्यादा और संतुलित दृष्टिकोण है। लंबे संसदीय अनुभव के कारण वे अक्सर संवैधानिक विषयों, संसदीय प्रक्रियाओं और विधायी सुधारों पर गंभीर और तथ्यपूर्ण हस्तक्षेप करते हैं। उनकी भाषा संयमित होती है और वे राजनीतिक मतभेदों के बीच भी संवाद की आवश्यकता पर बल देते हैं। यही कारण है कि उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का सम्मान प्राप्त है।

18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में उनका संसदीय प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली रहा। पीआरएस इंडिया के अनुसार उनकी 94 प्रतिशत उपस्थिति रही। उन्होंने 51 बहसों में भाग लिया, 260 प्रश्न पूछे और तीन निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किए। ये आँकड़े उन्हें लोकसभा के सबसे सक्रिय सांसदों में शामिल करते हैं और राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर प्रदर्शन को दर्शाते हैं।

संसद में उनकी सबसे बड़ी विशेषता विषयों की व्यापकता है। कटक और ओडिशा से जुड़े विकास के मुद्दों के साथ-साथ उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, शहरी विकास, संस्कृति, विज्ञान, जल प्रबंधन, पर्यटन और प्रशासनिक सुधार जैसे अनेक राष्ट्रीय विषयों पर भी सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया। उनके संसदीय प्रश्नों और बहसों से स्पष्ट होता है कि वे केवल क्षेत्रीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि नीति निर्माण की व्यापक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं।

ओडिशा के विकास से जुड़े विषय उनके संसदीय एजेंडे का प्रमुख हिस्सा रहे। उन्होंने कटक और भुवनेश्वर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर नए बहु-लेन पुल के निर्माण, चांदीखोल स्थित सामरिक पेट्रोलियम भंडार परियोजना को शीघ्र पूरा करने तथा राज्य में आधारभूत संरचना के विस्तार की आवश्यकता संसद में प्रमुखता से उठाई। उनका मानना है कि तेज़ी से विकसित हो रहे ओडिशा को आधुनिक परिवहन और औद्योगिक अवसंरचना की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण पहल की। संसद में उन्होंने देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समग्र सार्वजनिक जेरियाट्रिक केयर प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। इसके साथ ही निजी अस्पतालों में अनियमितताओं पर प्रभावी नियामक व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सार्वजनिक चिकित्सा ढाँचे को मजबूत करने जैसे विषयों को भी उठाया।

शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उन्होंने ओडिशा में जिला स्तर पर डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की माँग की। इसके अतिरिक्त राज्य के महान व्यक्तित्वों के जन्मस्थलों के संरक्षण तथा सांस्कृतिक धरोहरों के विकास के लिए भी उन्होंने संसद में विशेष उल्लेख किए। उनका मानना है कि आर्थिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी समान रूप से आवश्यक है।

कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर भी उनकी सक्रियता लगातार दिखाई देती है। उन्होंने पशुपालन के लिए उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन, पेयजल सुविधाओं के विस्तार तथा ग्रामीण विकास योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन से जुड़े अनेक प्रश्न संसद में पूछे। उनके प्रश्नों में स्मार्ट सिटी मिशन, क्षेत्रीय हवाई संपर्क, महिला भागीदारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संरक्षण जैसे विविध विषय भी शामिल रहे।

संसद के बाहर भी वे लेखन और बौद्धिक विमर्श से जुड़े रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयों पर उनके लेख नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। वे संसदीय लोकतंत्र, संघीय व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार जैसे विषयों पर अपने विचार स्पष्टता और तथ्यों के साथ रखते हैं। यह बौद्धिक पृष्ठभूमि उनके संसदीय भाषणों में भी स्पष्ट दिखाई देती है।

18वीं लोकसभा का पहला वर्ष इस दृष्टि से विशेष रहा कि भरतृहरि महताब ने अपने सात कार्यकाल के अनुभव को नई ऊर्जा के साथ जोड़ा। उत्कृष्ट संसदीय उपस्थिति, बड़ी संख्या में पूछे गए प्रश्न, बहसों में प्रभावी भागीदारी, ओडिशा के विकास से जुड़े मुद्दों की निरंतर पैरवी और राष्ट्रीय नीति संबंधी विषयों पर गंभीर हस्तक्षेप उन्हें वर्तमान लोकसभा के सबसे सक्रिय और अनुभवी सांसदों में विशिष्ट स्थान दिलाते हैं। संसदीय परंपराओं के प्रति सम्मान, अध्ययनशील दृष्टिकोण और जनहित के मुद्दों पर निरंतर सक्रियता उनकी सार्वजनिक पहचान की सबसे बड़ी विशेषता है। यही कारण है कि भरतृहरि महताब को भारतीय संसद में गंभीर, संतुलित और प्रभावी संसदीय नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण चेहरा माना जाता है।

संसद में जब अर्थव्यवस्था, महिलाओं की भागीदारी, सहकारी क्षेत्र, संघीय ढाँचे या सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर गंभीर बहस होती है, तो सुप्रिया सुले का नाम अक्सर उन सांसदों में शामिल होता है जो राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर तथ्यों और संवाद के आधार पर अपनी बात रखती हैं। बारामती से लगातार चौथी बार लोकसभा पहुँचीं सुप्रिया सुले ने अपनी पहचान केवल एक क्षेत्रीय नेता के रूप में नहीं, बल्कि ऐसी सांसद के रूप में बनाई है जो संसदीय गरिमा, अध्ययनशीलता और जनसरोकारों के संतुलन के लिए जानी जाती हैं। 18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में भी उनकी यही कार्यशैली संसद के भीतर और बाहर स्पष्ट रूप से दिखाई दी।

जिम्मेदार

संवाद, संवेदनशीलता और संसदीय सक्रियता की एक अलग पहचान

सुप्रिया सुले

बारामती, महाराष्ट्र (एनसीपी)

9042

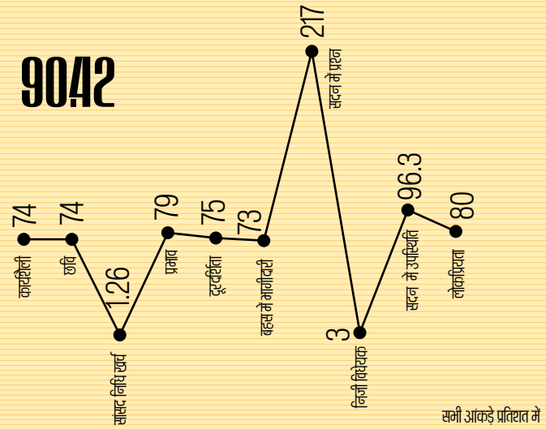

सुप्रिया सुले महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर राजनेताओं में से एक शरद पवार की बेटी हैं, और उनकी राजनीतिक यात्रा को विरासत से शुरू माना जाता है, लेकिन उनकी पहचान केवल पारिवारिक पहचान तक सीमित नहीं रही। वर्ष 2009 में पहली बार लोकसभा पहुँचने के बाद उन्होंने संसदीय सक्रियता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। पिछले डेढ़ दशक में वे कई बार देश के सर्वाधिक सक्रिय सांसदों में शामिल रही हैं और संसदीय प्रदर्शन के लिए सम्मान भी प्राप्त कर चुकी हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती से मिली लगातार चौथी जीत ने यह भी स्पष्ट किया कि राजनीतिक रूप से अत्यंत चर्चित मुकाबले के बावजूद उनके प्रति क्षेत्र का विश्वास कायम है।

18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में उनका प्रदर्शन एक अनुभवी सांसद की परिपक्वता को दर्शाता है। सार्वजनिक संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार उनकी उपस्थिति शत-प्रतिशत रही। उन्होंने राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक बहसों में भाग लिया, अनेक प्रश्न पूछे और प्राइवेट मेंबर बिल भी प्रस्तुत किए। संसद में उनकी सक्रियता का दायरा केवल विपक्ष की

लोकसभा

18वीं लोकसभा का पहला वर्ष यह संकेत देता है कि सुप्रिया सुले ने अपनी संसदीय भूमिका को पहले से अधिक व्यापक बनाया है। संसदीय बहसों में सक्रिय भागीदारी, शत-प्रतिशत उपस्थिति, नीतिगत विषयों पर गंभीर हस्तक्षेप, संवैधानिक मामलों में भागीदारी तथा बारामती के विकास को राष्ट्रीय योजनाओं से जोड़ने के उनके प्रयास उन्हें समकालीन भारतीय राजनीति की सबसे सक्रिय महिला सांसदों में स्थान दिलाते हैं। उनकी राजनीति टकराव से अधिक संवाद, विरोध से अधिक विमर्श और केवल आलोचना से आगे बढ़कर नीति-आधारित हस्तक्षेप पर आधारित दिखाई देती है। यही संतुलित दृष्टिकोण उन्हें संसद में एक प्रभावशाली, विश्वसनीय और गंभीर जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित करता है।

भूमिका निभाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने नीति निर्माण से जुड़े अनेक विषयों पर रचनात्मक सुझाव भी दिए।

सुप्रिया सुले की संसदीय कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों के बीच सहज संतुलन स्थापित करती हैं। बारामती की कृषि अर्थव्यवस्था, सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण उद्योगों से जुड़े विषयों को वे उतनी ही गंभीरता से उठाती हैं, जितनी गंभीरता से राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के अधिकारों पर अपनी बात रखती हैं। उनके भाषणों में अक्सर यह दृष्टिकोण दिखाई देता है कि विकास तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

पिछले एक वर्ष के दौरान उन्होंने संसद में किसानों, सहकारी क्षेत्र, महँगाई, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर सक्रिय भागीदारी निभाई। बजट चर्चा हो या विभिन्न मंत्रालयों की कार्यप्रणाली, उन्होंने कई अवसरों पर सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ व्यावहारिक सुझाव भी प्रस्तुत किए। उनके प्रश्नों और बहसों में नीतिगत तैयारी तथा विषय की गहरी समझ स्पष्ट दिखाई देती है।

संसदीय समितियों में उनकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण रही है। 18वीं लोकसभा के दौरान उन्हें संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक और उससे संबंधित संयुक्त संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया। संवैधानिक और विधायी विषयों पर उनकी भागीदारी यह दर्शाती है कि उनकी भूमिका केवल राजनीतिक विमर्श तक सीमित नहीं है, बल्कि वे कानून निर्माण की प्रक्रिया में भी सक्रिय योगदान दे रही हैं।

बारामती संसदीय क्षेत्र में उनका फोकस कृषि, सिंचाई, शिक्षा और ग्रामीण उद्यमिता पर लगातार बना हुआ है। महाराष्ट्र के इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सहकारी आंदोलन की ऐतिहासिक भूमिका रही है और सुप्रिया सुले ने संसद से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक इस मॉडल को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनका मानना है कि कृषि आधारित उद्योग, महिला स्वयं सहायता समूह और लघु उद्यम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकते हैं। यही कारण है कि उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में महिला उद्यमिता, कौशल विकास और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर जैसे विषय लगातार प्रमुखता से दिखाई देते हैं।

सुप्रिया सुले की राजनीति का एक अलग पक्ष उनका संवाद का तरीका भी है। भारतीय राजनीति में जहाँ अक्सर तीखी बयानबाज़ी सुर्खियाँ बनती है, वहीं उन्होंने अपेक्षाकृत संयमित, तथ्याधारित और संवाद-केंद्रित शैली को अपनाया है। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद विभिन्न दलों के नेताओं के साथ संवाद बनाए रखने की उनकी क्षमता उन्हें संसद के उन नेताओं में शामिल करती है जिन्हें व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त है। समर्थक इसे उनकी सहमति बनाने की क्षमता मानते हैं, जबकि राजनीतिक विश्लेषक इसे उनकी संसदीय परिपक्वता का महत्वपूर्ण पक्ष मानते हैं।

महिलाओं के अधिकार, बालिकाओं की शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे विषय लंबे समय से उनकी सार्वजनिक प्राथमिकताओं में शामिल रहे हैं। संसद के भीतर भी उन्होंने इन विषयों को लगातार उठाया है। उनका मानना है कि महिलाओं की भागीदारी केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं, बल्कि देश के समग्र आर्थिक विकास का भी आधार है। यही दृष्टिकोण उनके अनेक संसदीय हस्तक्षेपों में दिखाई देता है।

बारामती में भी उनका जनसंपर्क लगातार सक्रिय रहा है। वे नियमित रूप से स्थानीय नागरिकों, किसानों, महिला समूहों, उद्योग प्रतिनिधियों और युवाओं के साथ संवाद करती रही हैं। क्षेत्रीय समस्याओं को सीधे समझने और उन्हें संबंधित मंत्रालयों तक पहुँचाने की यह शैली उनके राजनीतिक व्यक्तित्व की विशेष पहचान बन चुकी है। उनके लिए सांसद की भूमिका केवल संसद में भाषण देने तक सीमित नहीं, बल्कि जनता और शासन के बीच एक प्रभावी सेतु बनने की भी है।

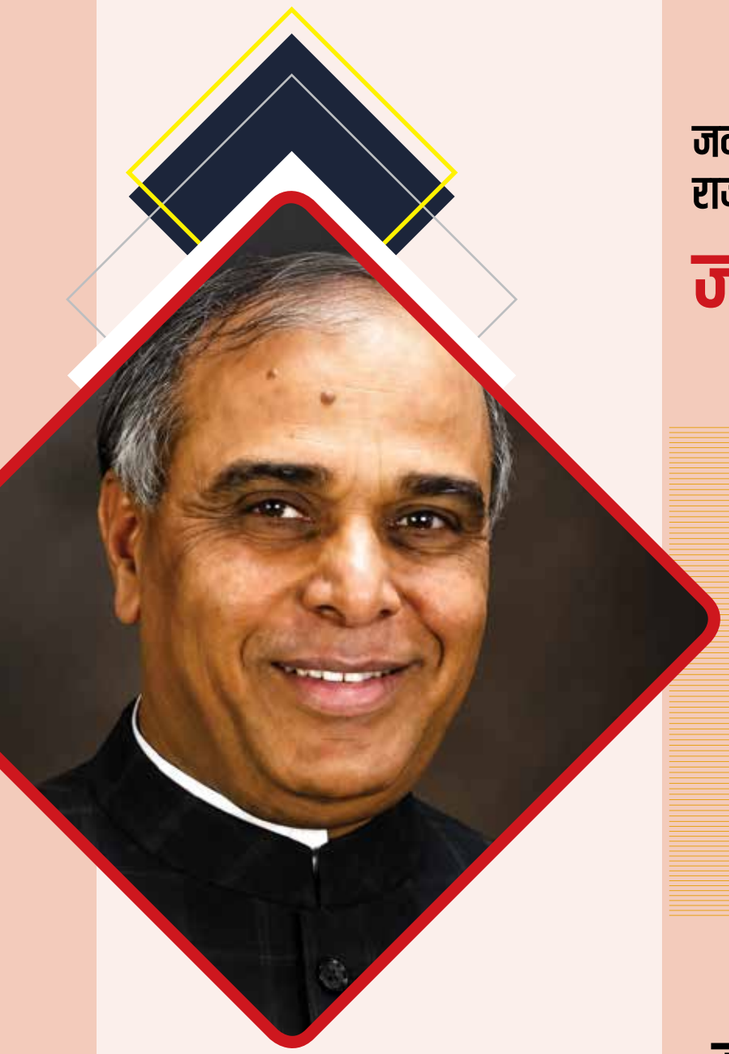

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने समय के साथ अपनी कार्यशैली, अनुभव और जनसंपर्क के बल पर एक अलग पहचान बनायी है। जगदंबिका पाल उन्हीं नेताओं में शामिल हैं। कई दशकों के अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। विधायक, मुख्यमंत्री, सांसद और संसदीय समिति के अध्यक्ष जैसे अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों को निरंतर प्राथमिकता दी है।

अनुभवी

जनसेवा, संगठन और विकास की राजनीति का एक अनुभवी चेहरा

जगदंबिका पाल

डुमरियागंज, उत्तर प्रदेश (भाजपा)

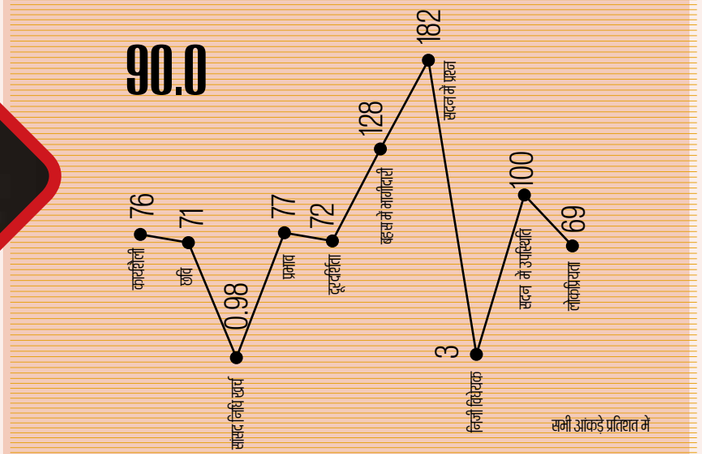

जगदंबिका पाल का राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति और सामाजिक गतिविधियों से शुरू हुआ। प्रारंभ से ही वे जनता के बीच सक्रिय रहे और स्थानीय समस्याओं को शासन तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे। यही कारण रहा कि उन्हें लगातार जनता का समर्थन मिलता रहा और वे विभिन्न राजनीतिक जिम्मेदारियों तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश विधानसभा से लेकर लोकसभा तक उनका सफर लोकतांत्रिक राजनीति में लंबे अनुभव का परिचायक है।

हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल कुछ घंटों का ही रहा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका बनाए रखी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्होंने सदैव संवैधानिक संस्थाओं और संसदीय प्रक्रियाओं के महत्व को स्वीकार किया तथा जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया।

लोकसभा सदस्य के रूप में जगदंबिका पाल ने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास को विशेष प्राथमिकता दी। सांसद निधि के माध्यम से सड़कों, पुल-पुलियों, सामुदायिक भवनों, विद्यालयों और पेयजल जैसी बुनियादी

लोकसभा

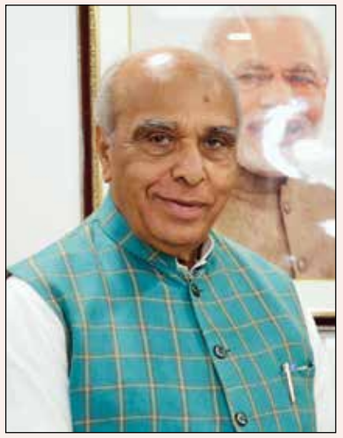

लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि का मूल्यांकन केवल चुनावी जीत-हार से नहीं, बल्कि जनता के बीच उसकी स्वीकार्यता, विकास कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता और संसदीय दायित्वों के निर्वहन से भी किया जाता है। जगदंबिका पाल का सार्वजनिक जीवन इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अनुभव, संगठन क्षमता, विकास के प्रति प्रतिबद्धता और जनसंपर्क की मजबूत शैली ने उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। आने वाले समय में भी उनसे विकास, सुशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती रहेगी।

सुविधाओं के विकास पर लगातार ध्यान दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्गों का विस्तार, सार्वजनिक भवनों का निर्माण तथा आवश्यक नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में उनके प्रयासों की चर्चा स्थानीय स्तर पर अक्सर होती रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण पहल की। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, अतिरिक्त कक्षों के निर्माण, पुस्तकालयों और डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहयोग दिया।

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर भी उनका दृष्टिकोण सकारात्मक रहा। अपने संसदीय क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय किया। स्वास्थ्य सेवाओं तक ग्रामीण जनता की पहुंच आसान बनाने, चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने और स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास के लिए उन्होंने समय-समय पर पहल की।

कृषि क्षेत्र को लेकर भी जगदंबिका पाल का दृष्टिकोण व्यावहारिक रहा है। उन्होंने किसानों की सिंचाई, सड़क संपर्क, मंडी सुविधाओं और कृषि संबंधी समस्याओं को संसद तथा संबंधित मंत्रालयों के समक्ष उठाया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि अवसंरचना और ग्रामीण विकास को एक-दूसरे का पूरक मानते हुए उन्होंने अनेक विकास कार्यों का समर्थन किया।

संसद में उनकी सक्रिय भागीदारी भी उल्लेखनीय रही है। विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी और संसदीय समितियों के माध्यम से नीति निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दिया। विशेष रूप से संसदीय समितियों में उनकी भूमिका ने उन्हें एक गंभीर और अध्ययनशील सांसद के रूप में पहचान दिलाई। समितियों के माध्यम से शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े विषयों पर उनके सुझावों को महत्व दिया गया।

जगदंबिका पाल ने संगठनात्मक राजनीति में भी अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। विभिन्न राजनीतिक दलों में रहते हुए उन्होंने संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाए रखने और चुनावी रणनीतियों में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका अनुभव उन्हें संगठन और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायता करता रहा है।

अपने संसदीय क्षेत्र में जनता से सीधे संवाद बनाए रखना उनकी कार्यशैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। वे नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा करते रहे हैं और स्थानीय समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करते रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे दैनिक जीवन से जुड़े विषयों पर उनकी सक्रियता ने उन्हें आम लोगों के बीच एक सुलभ जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया।

युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के पक्षधर के रूप में भी उन्होंने समय-समय पर अपनी राय रखी है। उनका मानना रहा है कि शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास और रोजगार सृजन पर समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है, ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सकें और देश के विकास में प्रभावी भूमिका निभा सकें।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का समर्थन किया। महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने से जुड़े कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के पक्ष में वे लगातार अपनी बात रखते रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रयासों को भी उन्होंने सकारात्मक दृष्टि से देखा।

उनकी राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि उन्होंने बदलते राजनीतिक परिवेश के अनुरूप स्वयं को निरंतर सक्रिय बनाए रखा। विभिन्न जिम्मेदारियों का अनुभव उन्हें प्रशासन, नीति निर्माण और जनप्रतिनिधित्व के विविध आयामों को समझने का अवसर देता रहा है। यही अनुभव उनके सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना जाता है।

आज भी जगदंबिका पाल उत्तर प्रदेश की राजनीति के अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। संसदीय परंपराओं के प्रति सम्मान, विकासोन्मुख सोच, जनता से संवाद और प्रशासनिक अनुभव उनके सार्वजनिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं हैं।

असाधारण

मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि से सुयोग्य जनप्रतिनिधि की भूमिका तक

अरुण गोविल

मेरठ, उत्तर प्रदेश (भाजपा)

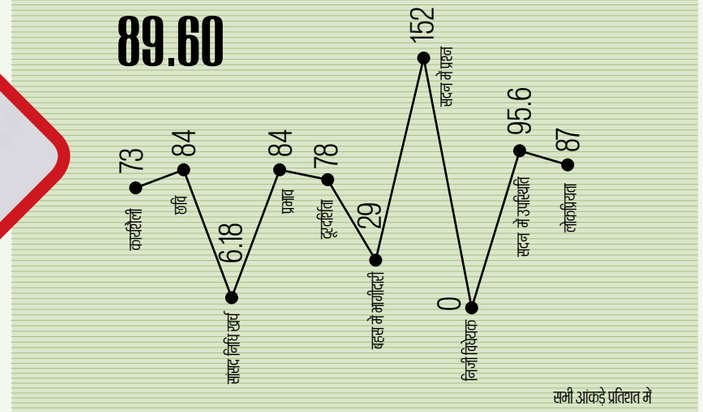

भारतीय जनमानस में यदि किसी अभिनेता ने अपने अभिनय से एक ऐसा स्थान बनाया है, जहाँ कला और आस्था का अद्भुत संगम दिखाई देता है, तो उनमें अरुण गोविल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वर्षों पहले दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक रामायण में भगवान श्रीराम की भूमिका निभाकर उन्होंने करोड़ों भारतीयों के हृदय में जो स्थान बनाया, वह आज भी अक्षुण्ण है, लेकिन एक राजनेता के तौर पर उनकी छवि और भी अनुपम है। उनकी सरलता, मर्यादित व्यक्तित्व, सौम्य व्यवहार और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें केवल एक सफल अभिनेता ही नहीं, बल्कि समाज के लिए प्रेरणास्रोत भी बनाया।

अभिनय के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने के बाद अरुण गोविल ने सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्णय लिया। जब वर्ष 2021 में वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, तो लोगों को लगा कि कई अन्य बॉलीवुड अभिनेताओं की तरह वो भी सत्ता का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने कार्यकलपों से दिखा दिया कि अरुण दूसरी मिट्टी के बने हैं, और जमीन से उनका जुड़ाव खत्म नहीं हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुँचे। यह उनकी पहली संसदीय पारी है, जिसमें वे मेरठ की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

मेरठ से उनका संबंध केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी है। उनका जन्म 12 जनवरी 1952 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिताजी के सरकारी नौकरी में होने के चलते अरुण गोविल ने अपनी शिक्षा कई जिलों में पढ़कर पूरी की। ग्यारहवीं जीआईसी मेरठ से किया तो बारहवीं कक्षा जीआईसी

लोकसभा

आज अरुण गोविल भारतीय राजनीति में उन जनप्रतिनिधियों में शामिल हैं, जिनकी पहचान लोकप्रियता के साथ-साथ शालीनता, सांस्कृतिक प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना से भी जुड़ी हुई है। अभिनय जगत से सार्वजनिक जीवन तक का उनका सफर इस बात का उदाहरण है कि यदि किसी व्यक्ति में समाज के प्रति समर्पण और सेवा की भावना हो, तो वह जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक योगदान दे सकता है। सांसद के रूप में उनका अब तक का कार्यकाल सक्रिय संसदीय भागीदारी, क्षेत्रीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण की दिशा में उनके प्रयासों को रेखांकित करता है। आने वाले वर्षों में भी उनसे यही अपेक्षा की जाती है कि वे संसद और अपने संसदीय क्षेत्र, दोनों के प्रति इसी समर्पण और सक्रियता के साथ कार्य करते रहेंगे।

सहारनपुर से पास की। बीएससी प्रथम वर्ष बीएसए कॉलेज मथुरा से तो बीएससी फाइनल जीएफ कॉलेज शाहजहांपुर से किया, जिसे आगरा यूनिवर्सिटी से मान्यता मिली थी।

चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने बार-बार यह कहा कि वे अपने गृहक्षेत्र की सेवा को जीवन का एक महत्वपूर्ण दायित्व मानते हैं। यही कारण है कि सांसद बनने के बाद उन्होंने स्थानीय समस्याओं और विकास से जुड़े विषयों को संसद तथा अन्य मंचों पर उठाने का प्रयास किया।

लोकसभा सांसद के रूप में अरुण गोविल ने अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई है। संसदीय कार्यवाही के उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार उनकी उपस्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर रही है। उन्होंने सदन की चर्चाओं में नियमित भागीदारी की, अनेक प्रश्न पूछे और विभिन्न जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रखी। उनकी संसदीय उपस्थिति लगभग 96 प्रतिशत दर्ज की गई है, जबकि उन्होंने अनेक बहसों में हिस्सा लिया और 150 से अधिक प्रश्नों के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान विभिन्न विषयों की ओर आकर्षित किया। यह दर्शाता है कि पहली बार सांसद बनने के बावजूद उन्होंने संसद की कार्यवाही को गंभीरता से लिया और अपने दायित्वों के निर्वहन का प्रयास किया।

अरुण गोविल ने अपने संसदीय कार्यकाल में मेरठ और आसपास के क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता दी है। चुनाव के दौरान उन्होंने क्षेत्र में बेहतर यातायात व्यवस्था, आंतरिक रिंग रोड, खेल अवसंरचना तथा हवाई अड्डे जैसी आवश्यक परियोजनाओं के समर्थन की बात कही थी। सांसद बनने के बाद भी उन्होंने इन विषयों को विकास की प्राथमिकताओं के रूप में रखा। उनका मानना है कि मेरठ जैसे ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर को आधुनिक आधारभूत सुविधाओं से जोड़ना क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है।

सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों के संरक्षण को लेकर भी अरुण गोविल लगातार सक्रिय रहे हैं। उनकी पहचान केवल एक राजनेता की नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि के रूप में भी बनी हुई है। इसी सोच के तहत उन्होंने समाज में सकारात्मक मूल्यों के प्रसार के उद्देश्य से देशभर में बड़ी संख्या में रामायण की प्रतियाँ वितरित करने का अभियान प्रारंभ किया। उनका मानना है कि भारतीय संस्कृति, आदर्शों और नैतिक मूल्यों का प्रसार सामाजिक समरसता तथा सकारात्मक सोच को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अरुण गोविल की कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनकी सादगी और सहजता है। वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों से सीधे संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अपने क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं को सुनने पर बल देते हैं। संसद के भीतर भी उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के अनेक विषयों पर अपनी राय रखी है। उनका प्रयास रहा है कि सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक मूल्यों और विकास के प्रश्नों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए।

उनका व्यक्तित्व भारतीय जीवन मूल्यों से गहराई से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। अभिनय के दौर में उन्होंने जिस मर्यादा और अनुशासन का परिचय दिया, वही विशेषताएँ उनके सार्वजनिक जीवन में भी दिखाई देती हैं। राजनीति में आने के बाद भी उन्होंने अपनी पहचान को केवल लोकप्रिय अभिनेता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए हैं।

अरुण गोविल का मानना है कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक विकास का लाभ पहुँचाना है। इसी सोच के साथ वे अपने संसदीय क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, युवाओं के लिए अवसरों के निर्माण, खेल और शिक्षा के प्रोत्साहन तथा बेहतर नागरिक सुविधाओं की दिशा में कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते रहे हैं। उनका प्रयास है कि मेरठ अपनी ऐतिहासिक पहचान के साथ-साथ आधुनिक विकास का भी एक सशक्त केंद्र बने।

संसद में जब पूर्वोत्तर भारत के विकास, सीमा क्षेत्रों की चुनौतियों, बुनियादी ढाँचे, कृषि या युवाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा होती है, तो दिलीप सैकिया उन सांसदों में दिखाई देते हैं जो इन मुद्दों को केवल क्षेत्रीय प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास के एजेंडे का हिस्सा मानकर उठाते हैं। असम की दरंग-उदालगुरी लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए सैकिया ने अपनी पहचान एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में बनाई है, जिसकी राजनीतिक ताकत केवल चुनावी सफलता तक सीमित नहीं है। लंबे संगठनात्मक अनुभव, जमीनी कार्यशैली और संसदीय सक्रियता के बल पर उन्होंने पिछले एक वर्ष में संसद के भीतर और अपने क्षेत्र, दोनों जगह अपनी उपस्थिति प्रभावशाली ढंग से दर्ज कराई है।

विलक्षण

संगठन की जमीन से संसद तक, असम की आवाज़ को राष्ट्रीय विमर्श से जोड़ने वाला नेतृत्व

दिलीप सैकिया

दरांग-उदलगुरी, असम (भाजपा)

89.32

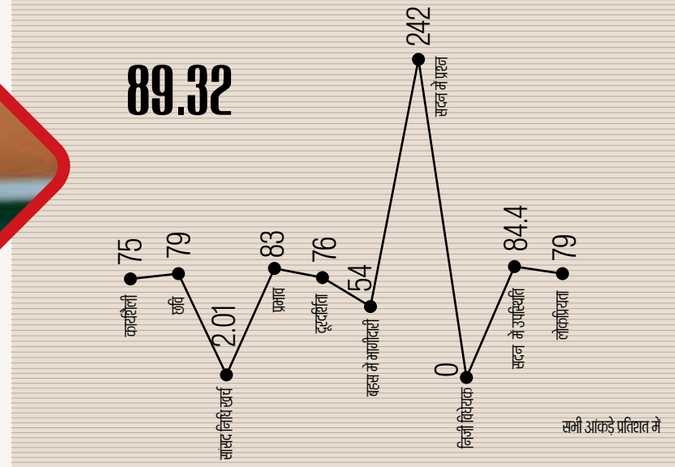

दिलीप सैकिया का राजनीतिक जीवन उन नेताओं की श्रेणी में आता है जिन्होंने संगठन की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाई। छात्र जीवन से सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े सैकिया ने भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढाँचे में विभिन्न जिम्मेदारियाँ निभाईं और कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक का लंबा अनुभव अर्जित किया। यही अनुभव उनकी राजनीतिक शैली में भी दिखाई देता है, जहाँ संवाद, संगठन और जनसंपर्क समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2019 में पहली बार लोकसभा पहुँचने के बाद उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में निरंतर सक्रियता बनाए रखी और वर्ष 2024 में दूसरी बार जनता का विश्वास प्राप्त कर संसद लौटे।

18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में दिलीप सैकिया का संसदीय प्रदर्शन उनकी गंभीर कार्यशैली को रेखांकित करता है। सार्वजनिक संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने सदन की कार्यवाही में नियमित उपस्थिति दर्ज कराई और राष्ट्रीय औसत की तुलना में उल्लेखनीय सक्रियता दिखाई। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्नों, संसदीय बहसों और विशेष उल्लेखों के

दरंग-उदालगुरी संसदीय क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक विविधता भी उनकी कार्यशैली को प्रभावित करती है। चाय बागानों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों और सीमावर्ती इलाकों तक फैले इस संसदीय क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल, शिक्षा और ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर लगातार जोर दिया। क्षेत्र के लोगों के साथ नियमित संवाद और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय उनकी कार्यशैली की प्रमुख विशेषताओं में रहा है।

माध्यम से उन्होंने पूर्वोत्तर भारत, कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, सड़क संपर्क और सामाजिक कल्याण से जुड़े अनेक विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। पहली बार सांसद बनने के बाद जिस सक्रियता का परिचय उन्होंने दिया था, उसे दूसरी पारी में और अधिक परिपक्वता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास दिखाई देता है।

उनकी संसदीय प्राथमिकताओं में सबसे प्रमुख विषय रहा है—पूर्वोत्तर भारत को देश के विकास के मुख्य प्रवाह से और अधिक मजबूती से जोड़ना। उन्होंने सड़क, रेल और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार को केवल विकास परियोजना नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का आधार बताया। संसद में उन्होंने यह मुद्दा लगातार उठाया कि बेहतर संपर्क व्यवस्था से न केवल व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्न भी उनके संसदीय हस्तक्षेप का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। असम की अर्थव्यवस्था में कृषि की केंद्रीय भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीकों के विस्तार, प्राकृतिक खेती, सिंचाई सुविधाओं और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने जैसे विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उनका मानना है कि ग्रामीण भारत का विकास केवल योजनाओं की घोषणा से नहीं, बल्कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उनके प्रभावी क्रियान्वयन से संभव है।

पिछले एक वर्ष के दौरान उन्होंने शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों को भी गंभीरता से उठाया। कौशल विकास, रोजगार सृजन, उच्च शिक्षा तक पहुँच और डिजिटल शिक्षा के विस्तार को उन्होंने भविष्य के भारत की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में शामिल बताया। संसद में उनके प्रश्नों और चर्चाओं में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वे युवाओं को विकास प्रक्रिया का सबसे बड़ा भागीदार मानते हैं।

दिलीप सैकिया की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनका संगठनात्मक अनुभव भी है। भारतीय जनता पार्टी के असम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के दौरान उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने का काम किया। यही अनुभव आज उनकी संसदीय भूमिका में भी दिखाई देता है। वे विकास के मुद्दों को केवल संसद तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें संगठन, प्रशासन और जनता के बीच समन्वय स्थापित करके आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

संसद में उनकी भागीदारी केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के अनेक विधेयकों और नीतिगत चर्चाओं में हिस्सा लेते हुए आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, डिजिटल परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और आधारभूत संरचना के विस्तार जैसे विषयों पर भी अपनी राय रखी। उनके हस्तक्षेपों में अक्सर यह प्रयास दिखाई देता है कि पूर्वोत्तर भारत के अनुभवों और आवश्यकताओं को राष्ट्रीय नीति निर्माण का हिस्सा बनाया जाए।

उनकी कार्यशैली का एक उल्लेखनीय पक्ष यह भी है कि वे आक्रामक राजनीतिक भाषा के बजाय तथ्यों और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ अपनी बात रखने को प्राथमिकता देते हैं। संसदीय बहसों में उनका ध्यान राजनीतिक टकराव से अधिक समाधान आधारित चर्चा पर केंद्रित रहता है। यही कारण है कि वे सदन में संयमित लेकिन प्रभावी वक्ता के रूप में पहचाने जाते हैं।

संसद के बाहर भी दिलीप सैकिया अपने क्षेत्र में नियमित जनसंपर्क बनाए रखते हैं। विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा, स्थानीय प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के साथ संवाद तथा केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के प्रयास उनकी राजनीतिक शैली का हिस्सा हैं। उनका मानना है कि लोकतंत्र की सफलता केवल संसद में प्रभावी उपस्थिति से नहीं, बल्कि जनता के बीच निरंतर संवाद से भी तय होती है।

18वीं लोकसभा का पहला वर्ष यह संकेत देता है कि दिलीप सैकिया ने अपनी दूसरी संसदीय पारी को अधिक व्यापक दृष्टि के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। संगठनात्मक अनुभव और संसदीय कार्यशैली का यह संतुलन उनकी राजनीतिक पहचान को और मजबूत बनाता है तथा उन्हें उन जनप्रतिनिधियों की श्रेणी में खड़ा करता है जो अपने क्षेत्र की आकांक्षाओं को राष्ट्रीय नीति निर्माण से प्रभावी ढंग से जोड़ने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

सक्रिय

संसद में मुखर हस्तक्षेप और विकास की निरंतर राजनीति

निशिकांत दुबे

गोड्डा, झारखंड (भाजपा)

संसद में जब आर्थिक नीतियों, न्यायपालिका, डिजिटल इंडिया या संवैधानिक प्रश्नों पर बहस होती है, तो डॉ. निशिकांत दुबे का नाम अक्सर चर्चा के केंद्र में होता है। गोड्डा से लगातार चौथी बार सांसद बने दुबे ने अपनी पहचान केवल एक चुनावी नेता के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे सांसद के रूप में बनाई है जो तथ्यों, दस्तावेज़ों और संसदीय प्रक्रियाओं के सहारे अपनी बात मजबूती से रखते हैं। पिछले एक वर्ष में भी उनकी यही शैली संसद के भीतर और बाहर समान रूप से दिखाई दी।

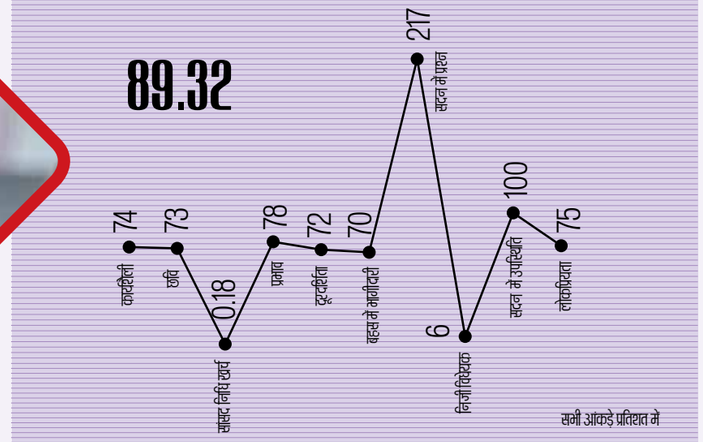

पहली बार वर्ष 2009 में लोकसभा पहुँचे डॉ. निशिकांत दुबे एक सुशिक्षित, दूरदर्शी और आधुनिक कार्यशैली के राजनेता हैं। उन्होंने एमबीए की शिक्षा हासिल करने के बाद कुछ वर्ष कॉरपोरेट जगत में भी कार्य किया है, और वह पीएचडी डिग्री धारक भी हैं। पिछले डेढ़ दशक में उन्होंने स्वयं को भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख संसदीय चेहरों में स्थापित किया है। वित्त, वाणिज्य, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और संसदीय प्रक्रियाओं जैसे विषयों पर उनकी पकड़ उन्हें सदन की चर्चाओं में प्रभावी वक्ता बनाती है। वर्ष 2024 में गोड्डा से चौथी बार जनादेश प्राप्त करना केवल उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता का प्रमाण नहीं था, बल्कि यह क्षेत्र में उनकी निरंतर सक्रियता और जनसंपर्क का भी परिणाम माना गया।

18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में निशिकांत दुबे ने एक बार फिर सक्रिय सांसद के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सार्वजनिक संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण बहसों में भाग लिया, प्रश्नों के माध्यम से सरकार का ध्यान विभिन्न विषयों की ओर आकर्षित किया तथा निजी विधेयक भी प्रस्तुत किए। संसद में उनकी

लोकसभा

18वीं लोकसभा का पहला वर्ष इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा कि उन्होंने संसद, संसदीय समितियों और सार्वजनिक नीति—तीनों स्तरों पर सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई। बहसों में भागीदारी, नीतिगत विषयों पर निरंतर हस्तक्षेप, संसदीय समितियों में नेतृत्वकारी भूमिका तथा गोड्डा के विकास से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाने के उनके प्रयास यह संकेत देते हैं कि वे संसद को केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं, बल्कि नीति निर्माण और विकास की दिशा तय करने वाली संस्था के रूप में देखते हैं। यही दृष्टिकोण उन्हें समकालीन भारतीय राजनीति के सक्रिय और प्रभावशाली सांसदों की श्रेणी में स्थापित करता है।

भागीदारी केवल राजनीतिक विमर्श तक सीमित नहीं रही, बल्कि आर्थिक नीतियों, डिजिटल शासन, संचार व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार जैसे विषयों पर भी उनके हस्तक्षेप देखने को मिले।

डॉ. निशिकांत दुबे एक ऐसे राजनेता हैं, जो अपनी पार्टी प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ उनकी मुखरता और विभिन्न मुद्दों पर अपनी पार्टी का बचाव करने के लिए जाने जाते हैं. वह मुश्किल समय में पार्टी का ढाल बनते हैं तो विपक्ष को आड़े हाथ लेने का कोई मौका भी नहीं चूकते। पिछले एक वर्ष के दौरान उनकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका रही। इस समिति के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म, दूरसंचार, सोशल मीडिया नियमन, डेटा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े अनेक विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। समिति की कार्यवाही में उनकी भूमिका ने उन्हें केवल एक सांसद ही नहीं, बल्कि डिजिटल भारत से जुड़े नीति विमर्श के महत्वपूर्ण सहभागी के रूप में भी स्थापित किया।

गोड्डा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो निशिकांत दुबे की प्राथमिकताओं में आधारभूत संरचना, ऊर्जा, सड़क संपर्क और औद्योगिक विकास प्रमुख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में गोड्डा को ऊर्जा उत्पादन और औद्योगिक निवेश के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में जो प्रयास हुए, उन्हें आगे बढ़ाने पर उन्होंने लगातार बल दिया। उनका मानना रहा है कि झारखंड जैसे संसाधन-संपन्न राज्य में विकास का सबसे बड़ा आधार स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसी सोच के साथ वे सड़क, रेल, बिजली और संचार सुविधाओं के विस्तार को क्षेत्रीय विकास की आधारशिला मानते रहे हैं।

संसद में उनके प्रश्नों और बहसों का दायरा भी व्यापक रहा। उन्होंने आर्थिक विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी, बैंकिंग, कराधान, प्रशासनिक सुधार और संघीय ढाँचे से जुड़े अनेक विषयों पर अपनी बात रखी। उनकी कार्यशैली का एक उल्लेखनीय पक्ष यह है कि वे संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं का प्रभावी उपयोग करते हुए अपनी बात रखते हैं। उनके भाषणों में राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ-साथ आँकड़ों और दस्तावेज़ों का भी पर्याप्त उपयोग दिखाई देता है, जिससे उनके हस्तक्षेप अधिक प्रभावशाली बनते हैं।

निशिकांत दुबे की पहचान केवल संसद तक सीमित नहीं है। वे अक्सर नीति और शासन से जुड़े विषयों पर सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा भी बनते हैं। आर्थिक सुधार, डिजिटल परिवर्तन, न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं, संघीय ढाँचे तथा संसदीय परंपराओं पर उनके विचार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनते रहे हैं। समर्थक इसे उनकी स्पष्टवादिता और वैचारिक प्रतिबद्धता के रूप में देखते हैं। यह मुखर शैली उन्हें समकालीन राजनीति के चर्चित सांसदों में स्थान दिलाती है।

गोड्डा के लोगों के साथ उनका निरंतर संवाद भी उनकी कार्यशैली की विशेषता है। क्षेत्र में सड़क संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, पेयजल सुविधाओं और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर वे नियमित रूप से प्रशासन और केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रखते रहे हैं। उनका प्रयास रहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से तेज़ी से जुड़े।

वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में भी वे व्यापार, निवेश और औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा के दौर में भारत की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, निर्यात को प्रोत्साहन देने और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने जैसे विषयों पर उन्होंने अपनी रुचि दिखाई है। यह अनुभव उनके संसदीय हस्तक्षेपों को व्यापक आर्थिक दृष्टि प्रदान करता है।

निशिकांत दुबे की राजनीतिक यात्रा यह भी दर्शाती है कि वे दीर्घकालिक जनप्रतिनिधित्व को केवल चुनावी सफलता के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे विकास और नीति-निर्माण में निरंतर भागीदारी के अवसर के रूप में देखते हैं। लगातार चार बार लोकसभा पहुँचने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने संसदीय क्षेत्र की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रभावी भूमिका को और सशक्त बनाना है।

संसद में जब पूर्वांचल के विकास, किसानों की समस्याओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल संपर्क या सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होती है, तो घोसी के सांसद राजीव राय उन जनप्रतिनिधियों में नज़र आते हैं जो तथ्यों और तैयारी के साथ अपनी बात रखते हैं। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संगठन के रणनीतिकार के रूप में सक्रिय रहने के बाद वर्ष 2024 में पहली बार लोकसभा पहुँचे राजीव राय ने अपने पहले ही संसदीय वर्ष में यह संकेत दिया कि वे केवल राजनीतिक वक्तव्य देने वाले नेता नहीं, बल्कि संसदीय प्रक्रियाओं का प्रभावी उपयोग करने वाले जनप्रतिनिधि भी हैं।

विश्वसनीय

पूर्वांचल की आवाज को राष्ट्रीय विमर्श देने वाला विश्वसनीय चेहरा

राजीव राय

घोसी, उत्तर प्रदेश (सपा)

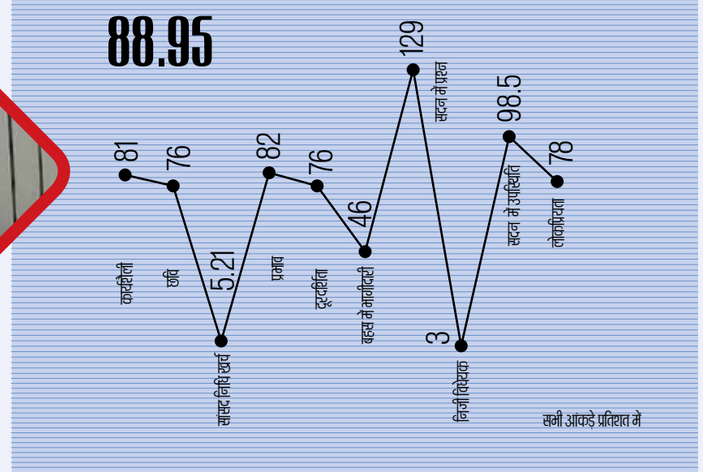

राजनीति में आने से पहले राजीव राय शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े रहे। स्वास्थ्य प्रबंधन की पृष्ठभूमि रखने वाले राजीव राय ने बेंगलुरु में शिक्षा एवं प्रोफेशनल प्रशिक्षण से जुड़े संस्थानों की स्थापना में भी भूमिका निभाई। समाज के वंचित वर्गों तक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने में उनकी रुचि लंबे समय से रही है। निजी जीवन में वे अपनी पत्नी निकिता राय और परिवार के साथ सामाजिक तथा शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं।

घोसी से उनकी जीत केवल एक चुनावी सफलता नहीं थी, बल्कि पूर्वांचल की राजनीति में एक नए संसदीय चेहरे का उदय भी थी। राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में वर्षों तक पार्टी का पक्ष रखने वाले राजीव राय ने संसद पहुँचने के बाद अपनी प्राथमिकताओं को क्षेत्रीय विकास और नीति-निर्माण पर केंद्रित किया।

18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में उनका संसदीय प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। सार्वजनिक संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार उनकी 99 प्रतिशत उपस्थिति रही, जो राष्ट्रीय औसत से काफी

राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी भूमिका चर्चा का विषय रही। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद रूस, स्पेन, ग्रीस, लातविया और स्लोवेनिया के दौरे पर गए भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल में उन्हें शामिल किया गया, जहाँ उन्होंने भारत का पक्ष प्रभावी ढंग से रखा। इस प्रतिनिधिमंडल के कार्य की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सार्वजनिक रूप से सराहना की। बाद में संबंधित देशों से मिले सकारात्मक फीडबैक के आधार पर उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के संसदीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया। वे इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र सांसद रहे। इसके अतिरिक्त उन्हें इंडो–यूके पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप का सदस्य भी नामित किया गया, जो उनकी संसदीय भूमिका के अंतरराष्ट्रीय विस्तार को दर्शाता है।

अधिक है। उन्होंने 46 बहसों में भाग लिया, 129 प्रश्न पूछे और तीन निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किए। पहली बार सांसद बनने के बावजूद यह प्रदर्शन उन्हें लोकसभा के सबसे सक्रिय प्रथम-कार्यकाल वाले सांसदों में शामिल करता है।

संसद में उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता पूर्वांचल, विशेषकर मऊ और घोसी क्षेत्र का विकास रहा। उन्होंने बंद पड़ी किसान सहकारी चीनी मिल को दोबारा शुरू करने के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की माँग की। उनका कहना था कि इससे केवल औद्योगिक गतिविधियाँ ही नहीं बढ़ेंगी, बल्कि हजारों किसानों और श्रमिकों को भी सीधा लाभ मिलेगा। इसी तरह उन्होंने बंद पड़ी स्वदेशी कॉटन मिल की भूमि पर एक उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने का सुझाव दिया।

स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्होंने मऊ जिले में एम्स जैसी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा स्थापित करने की आवश्यकता संसद में उठाई। साथ ही नकली दवाओं के बढ़ते खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय एंटी-फेक ड्रग्स टास्क फोर्स के गठन की माँग भी की। उनका मानना है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों तक भी समान रूप से पहुँचनी चाहिए।

रेल और परिवहन अवसंरचना भी उनके संसदीय एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा रही। उन्होंने मऊ रेलवे स्टेशन से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और दक्षिण भारत के लिए सीधी रेल सेवाएँ शुरू करने की माँग की। इसके अलावा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस तथा मऊ–आनंद विहार ट्रेन को प्रतिदिन चलाने का सुझाव दिया। उनके अनुसार बेहतर रेल संपर्क पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था, व्यापार और रोजगार को नई गति दे सकता है।

ग्रामीण विकास और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर भी उन्होंने लगातार हस्तक्षेप किया। जल जीवन मिशन की प्रगति, हर घर जल योजना का क्रियान्वयन, बाढ़ प्रभावित गाँवों के पुनर्वास, सड़कों की मरम्मत तथा मोहन सेतु पुल के पुनर्निर्माण जैसे विषयों को उन्होंने संसद में प्रमुखता से उठाया। किसानों, बुनकरों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की पैरवी भी उनके संसदीय कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा रही। उन्होंने मऊ के बुनकरों के लिए रियायती बिजली दर बहाल करने की माँग की और पारंपरिक बुनकरों के संरक्षण एवं कल्याण से संबंधित एक निजी सदस्य विधेयक भी प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पेंशन में सुधार, असंगठित क्षेत्र में रोजगार क्षमता बढ़ाने तथा पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण जैसे विषयों को भी उन्होंने सदन में उठाया।

उनकी कार्यशैली का एक उल्लेखनीय पक्ष यह है कि वे संसद में केवल भाषण देने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि प्रश्नों, विशेष उल्लेखों और निजी सदस्य विधेयकों जैसे संसदीय साधनों का प्रभावी उपयोग करते हैं। शिक्षा, कृषि, पर्यावरण, सहकारिता, नागरिक उड्डयन, संस्कृति, जल संरक्षण, डिजिटल इंडिया और रोजगार जैसे विविध विषयों पर उनके प्रश्न इस बात का संकेत देते हैं कि वे विकास को व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं।

राजीव राय की राजनीति की एक और विशेषता उनका संवाद कौशल है। वर्षों तक राष्ट्रीय प्रवक्ता रहने के कारण उन्होंने जटिल राजनीतिक और नीतिगत विषयों को सरल और प्रभावी भाषा में रखने की क्षमता विकसित की। 18वीं लोकसभा का पहला वर्ष इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा कि राजीव राय ने अपने पहले कार्यकाल में ही सक्रिय, अध्ययनशील और जनोन्मुख सांसद की छवि बनाई। उत्कृष्ट संसदीय उपस्थिति, प्रभावशाली बहसें, बड़ी संख्या में पूछे गए प्रश्न, पूर्वांचल के विकास से जुड़े मुद्दों पर निरंतर हस्तक्षेप तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, किसानों और बुनकरों के हितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता यह दर्शाती है कि वे संसद को केवल राजनीतिक बहस का मंच नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं को नीति में बदलने का माध्यम मानते हैं। यदि आने वाले वर्षों में यही सक्रियता और जनसंपर्क कायम रहता है, तो राजीव राय पूर्वांचल की राजनीति में एक प्रभावशाली संसदीय आवाज़ के रूप में अपनी पहचान और मजबूत कर सकते हैं।

सुयोग्य

लोकसभा

संसदीय दक्षता, जनसरोकार और विकास की राजनीति का सुयोग्य चेहरा

एन. के. प्रेमचंद्रन

कोल्लम, केरलम (आरएसपी)

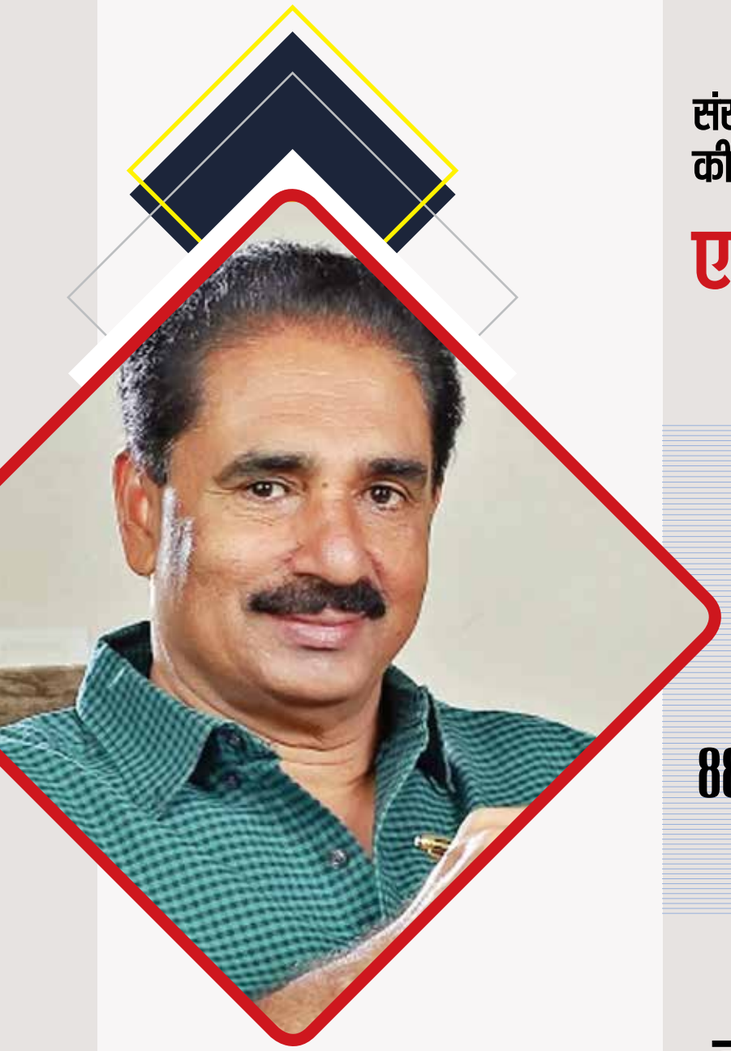

केरल के कोल्लम से लगातार निर्वाचित हो रहे लोकसभा सांसद एन. के. प्रेमचंद्रन ऐसे जनप्रतिनिधियों में शामिल हैं जिनकी पहचान केवल राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि उनकी संसदीय सक्रियता, विषयों पर गहरी पकड़ और जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने की क्षमता से बनती है। लगभग तीन दशकों से अधिक लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने स्थानीय निकाय, राज्यसभा, विधानसभा, मंत्री और लोकसभा सांसद जैसी अनेक जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। यही अनुभव आज उन्हें देश के सबसे सक्रिय और अध्ययनशील सांसदों में स्थान दिलाता है।

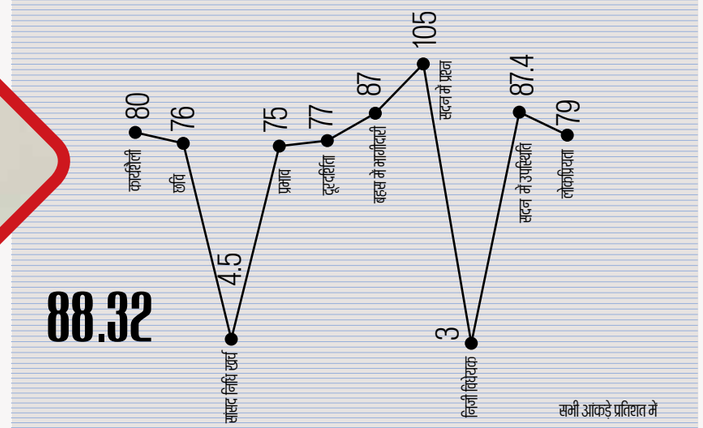

नवैकुलम कृष्णपिल्लई प्रेमचंद्रन का जन्म 25 मई 1960 को केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में हुआ। उन्होंने विधि की शिक्षा प्राप्त की और छात्र जीवन से ही रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) से जुड़ गए। राजनीति में उनका सफर ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में शुरू हुआ। इसके बाद वे जिला पंचायत सदस्य बने और 1996 में पहली बार कोल्लम से लोकसभा पहुँचे। वर्ष 2000 में राज्यसभा के सदस्य बने, फिर 2006 में केरल विधानसभा के लिए चुने गए और राज्य सरकार में जल संसाधन मंत्री का दायित्व संभाला। 2014 से वे लगातार कोल्लम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 2024 में पाँचवीं बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। उनकी पत्नी श्रीमती जी. गिरिजा हैं और उनका परिवार लंबे समय से सामाजिक एवं सार्वजनिक जीवन से जुड़ा रहा है।

18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में भी प्रेमचंद्रन की संसदीय सक्रियता उल्लेखनीय रही। सदन में उनकी उपस्थिति 87 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उन्होंने 87 बहसों में भाग लिया, 105 प्रश्न पूछे तथा तीन निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किए। पहली बार नहीं, बल्कि लगातार कई कार्यकालों से उनका प्रदर्शन इसी स्तर का रहा है। 17वीं लोकसभा में भी उन्होंने 267 बहसों, 272 प्रश्नों और 18 निजी सदस्य विधेयकों के साथ देश के सबसे सक्रिय सांसदों में स्थान बनाया था।

लगातार पाँच बार लोकसभा पहुँचने वाले एन. के. प्रेमचंद्रन का संसदीय जीवन इस बात का उदाहरण है कि लोकतंत्र में प्रभावी जनप्रतिनिधित्व केवल राजनीतिक लोकप्रियता से नहीं, बल्कि निरंतर अध्ययन, संसदीय अनुशासन और जनता के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता से निर्मित होता है। उत्कृष्ट संसदीय उपस्थिति, बड़ी संख्या में बहसों और प्रश्नों के माध्यम से सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास, कोल्लम के विकास से जुड़े मुद्दों की निरंतर पैरवी तथा सांसद निधि के प्रभावी उपयोग ने उन्हें देश के सबसे सक्रिय और सम्मानित सांसदों में विशिष्ट स्थान दिलाया है। उनकी कार्यशैली यह दर्शाती है कि संसद केवल कानून बनाने का मंच नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं को नीति में बदलने का सबसे सशक्त लोकतांत्रिक माध्यम भी है।

संसद में उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे लगभग हर महत्वपूर्ण विधेयक और नीतिगत बहस में तथ्यात्मक और कानूनी दृष्टिकोण के साथ अपनी बात रखते हैं। संविधान, संघीय ढांचे, वित्तीय नीतियों, श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और विदेश नीति जैसे विषयों पर उनके भाषण अक्सर विस्तृत तैयारी और विधिक समझ का परिचय देते हैं। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद उनकी संसदीय दक्षता की सराहना विभिन्न दलों के सांसद भी करते रहे हैं।

कोल्लम संसदीय क्षेत्र के विकास को लेकर भी उनकी सक्रियता लगातार दिखाई देती है। उन्होंने संसद में कोल्लम पोर्ट के आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग-66 के एलिवेटेड कॉरिडोर, ग्रीनफील्ड एनएच-744 परियोजना, रेलवे अवसंरचना तथा क्षेत्र की कनेक्टिविटी से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उनका तर्क रहा कि बेहतर सड़क, रेल और बंदरगाह सुविधाएँ कोल्लम की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को नई गति देंगी।

मत्स्य उद्योग और तटीय अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे भी उनकी संसदीय प्राथमिकताओं में रहे हैं। उन्होंने पारंपरिक मछुआरों के अधिकार, समुद्री सुरक्षा, तटीय संरक्षण, ऑफशोर सैंड माइनिंग तथा मछुआरा समुदाय के कल्याण से जुड़े प्रश्न सरकार के समक्ष रखे। केरल की तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और पारंपरिक आजीविका की सुरक्षा के लिए वे लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं।

श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों की पैरवी भी उनकी संसदीय पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने ईपीएफ पेंशन, आशा कार्यकर्ताओं के नियमितीकरण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कल्याण तथा मनरेगा से जुड़े मुद्दों पर सरकार से लगातार जवाबदेही मांगी। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कर्मियों के हित में निजी सदस्य विधेयक भी प्रस्तुत किए, जो सामाजिक सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

कृषि और ग्रामीण विकास के विषयों पर भी वे समान रूप से सक्रिय रहे हैं। किसानों को वित्तीय सहायता, कृषि संकट, ग्रामीण रोजगार, पेयजल, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर उनके प्रश्न यह दर्शाते हैं कि वे विकास को व्यापक दृष्टि से देखते हैं। संसद में उनके प्रश्नों का दायरा केवल केरल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राष्ट्रीय महत्व के अनेक विषयों को भी समाहित करता है।

प्रेमचंद्रन की संसदीय कार्यशैली का एक उल्लेखनीय पक्ष उनकी विधिक समझ है। अधिवक्ता होने के कारण वे विधेयकों की धाराओं, संवैधानिक प्रावधानों और संसदीय नियमों का गहन अध्ययन कर सदन में अपने विचार रखते हैं। यही कारण है कि उन्हें कई बार लोकसभा के अध्यक्ष के पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स में भी शामिल किया गया, जो उनकी संसदीय दक्षता का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के प्रभावी उपयोग को लेकर भी एन. के. प्रेमचंद्रन का नाम अक्सर प्रमुखता से लिया जाता है। कोल्लम में सांसद निधि के माध्यम से विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, पेयजल योजनाओं, सड़कों, सामुदायिक भवनों, पुस्तकालयों और सार्वजनिक अवसंरचना से जुड़े अनेक विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई। विभिन्न सार्वजनिक आकलनों और नागरिक चर्चाओं में उन्हें सांसद निधि के प्रभावी उपयोग करने वाले सांसदों में गिना गया है।

संसद के बाहर भी वे लगातार जनता के बीच सक्रिय रहते हैं। कोल्लम में नियमित जनसंपर्क, स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन के साथ समन्वय और नागरिक संगठनों के साथ संवाद उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा है। समर्थकों का मानना है कि वे केवल संसद में बोलने वाले सांसद नहीं, बल्कि क्षेत्र में लगातार उपस्थित रहने वाले जनप्रतिनिधि भी हैं।

प्रेरक

संसद में तटीय भारत की सशक्त आवाज़

के. नवास कनी

रामनाथपुरम, तमिलनाडु (आईयूएमएल)

भारतीय राजनीति में कुछ जनप्रतिनिधियों की पहचान उनके भाषणों की ऊँची आवाज़ से नहीं, बल्कि उन मुद्दों से बनती है जिन्हें वे लगातार और धैर्यपूर्वक उठाते हैं। रामनाथपुरम से सांसद के. नवास कनी इसी श्रेणी के नेता हैं। समुद्र से घिरे, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध, लेकिन विकास की अनेक चुनौतियों से जूझते रामनाथपुरम की आकांक्षाओं को संसद तक पहुँचाना उनके सार्वजनिक जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है। यही कारण है कि 18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में उनका संसदीय प्रदर्शन केवल आँकड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जनसरोकारों के विविध आयामों को राष्ट्रीय स्तर पर सामने लाने का माध्यम भी बना।

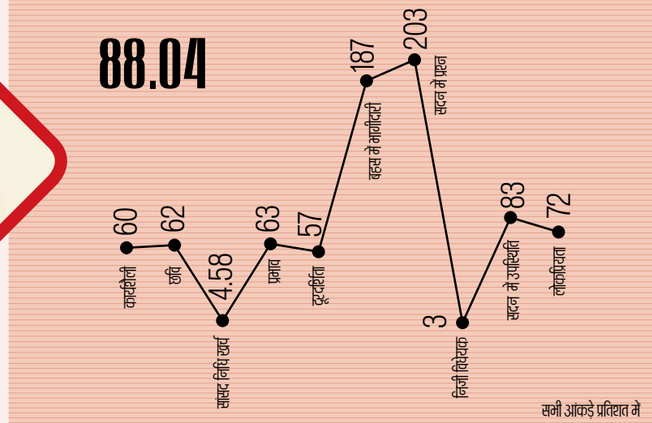

सभी आंकड़े प्रतिशत में

पहली बार वर्ष 2019 में लोकसभा पहुँचने वाले के. नवास कनी ने अपेक्षाकृत कम समय में स्वयं को एक सक्रिय और गंभीर सांसद के रूप में स्थापित किया। वर्ष 2024 में दूसरी बार जनता का विश्वास प्राप्त कर संसद पहुँचना इस बात का संकेत था कि उनके निर्वाचन क्षेत्र ने उनके कार्यों पर भरोसा जताया है। भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग के प्रमुख नेताओं में शामिल नवास कनी ने अपनी राजनीतिक यात्रा में संवाद, जनसंपर्क और विकास को प्राथमिकता दी है। उनकी राजनीति का दायरा केवल किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक वर्ग की समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने का प्रयास किया है।

18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में उनका संसदीय प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। सार्वजनिक संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक सक्रियता दिखाई। उन्होंने बड़ी संख्या में संसदीय बहसों में भाग लिया, दो सौ से अधिक प्रश्न पूछे और अनेक विशेष उल्लेखों के माध्यम से जनहित से जुड़े विषयों को सदन के सामने रखा।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रश्न पर भी उनका दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देता है। संसद में उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका मानना है कि यदि ग्रामीण महिलाओं को पर्याप्त आर्थिक संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, तो स्थानीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया जा सकता है। यही कारण है कि उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा बढ़ाने और स्वरोज़गार आधारित योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता बार-बार उठाई।

संसद में उनकी नियमित उपस्थिति और निरंतर भागीदारी यह दर्शाती है कि वे संसदीय प्रक्रिया को लोकतंत्र का सबसे प्रभावी माध्यम मानते हैं।

रामनाथपुरम का भूगोल उनकी राजनीति की दिशा तय करता है। यह क्षेत्र समुद्र, मत्स्य उद्योग, धार्मिक पर्यटन और जल संकट जैसी अनेक चुनौतियों और संभावनाओं का संगम है। सांसद के रूप में नवास कनी ने इन सभी विषयों को संसद में लगातार उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों के लिए विशेष वित्तीय सहायता और दीर्घकालिक जल प्रबंधन योजनाएँ आवश्यक हैं।

रेल और परिवहन अवसंरचना के क्षेत्र में भी उनकी सक्रियता उल्लेखनीय रही। उन्होंने ऐतिहासिक महत्व वाले थंगाचीमदम रेलवे स्टेशन को पुनः विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही पुराने पंबन रेल पुल को एक विरासत संग्रहालय के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को नई गति मिल सके। उनके अनुसार विकास केवल नई परियोजनाओं के निर्माण का नाम नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक धरोहरों को आधुनिक अर्थव्यवस्था से जोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

समुद्र से जुड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद के रूप में मछुआरों के हित उनके संसदीय हस्तक्षेप का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। उन्होंने संसद में मछुआरा समुदाय की आर्थिक सुरक्षा, सब्सिडी व्यवस्था, आधुनिक तकनीक तक उनकी पहुँच और समुद्री संसाधनों के संरक्षण जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया। समुद्री घास (सीग्रास) के संरक्षण और उसके औषधीय एवं आर्थिक महत्व पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने का सुझाव भी इसी सोच का हिस्सा था। यह दर्शाता है कि वे केवल वर्तमान समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी नीति निर्माण का हिस्सा बनाना चाहते हैं।

के. नवास कनी की संसदीय सक्रियता केवल क्षेत्रीय मुद्दों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने गिग इकोनॉमी से जुड़े लाखों युवाओं और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, एलआईसी एजेंटों की समस्याएँ, सीजीएचएस सेवाओं में सुधार, डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण तथा छोटे उद्यमियों के लिए वित्तीय सुविधाओं जैसे विषयों को भी संसद में प्रमुखता से रखा। यह उनकी कार्यशैली का महत्वपूर्ण पक्ष है कि वे राष्ट्रीय नीतियों के उन पहलुओं पर भी ध्यान देते हैं, जिनका सीधा प्रभाव आम नागरिक के जीवन पर पड़ता है।

उनकी संसदीय कार्यशैली में एक और विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है—तथ्यों के साथ तैयारी। वे केवल राजनीतिक टिप्पणी करने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि प्रश्नों, बहसों और विशेष उल्लेखों के माध्यम से मंत्रालयों का ध्यान विशिष्ट समस्याओं की ओर आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि उनके संसदीय हस्तक्षेपों में स्थानीय अनुभव और नीतिगत समझ का संतुलन दिखाई देता है।

अपने संसदीय क्षेत्र में भी वे लगातार लोगों के बीच सक्रिय रहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क संपर्क, मत्स्य उद्योग, पेयजल, पर्यटन और रोजगार जैसे विषय उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहे हैं। उनका प्रयास रहा है कि केंद्र सरकार की विकास योजनाओं का अधिकतम लाभ रामनाथपुरम के ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों तक पहुँचे। स्थानीय प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों के साथ नियमित संवाद उनकी कार्यशैली का अभिन्न हिस्सा है।

आज जब भारतीय राजनीति में विकास की चर्चा अक्सर बड़े महानगरों और औद्योगिक परियोजनाओं तक सीमित रह जाती है, तब के. नवास कनी जैसे सांसद यह याद दिलाते हैं कि भारत की वास्तविक शक्ति उसके तटीय गाँवों, मछुआरा समुदायों, छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं में निहित है। संसद में उनके हस्तक्षेप इसी व्यापक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं। वे विकास को केवल आर्थिक आँकड़ों के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे सामाजिक अवसर, क्षेत्रीय संतुलन और मानवीय गरिमा से जोड़कर समझते हैं।

18वीं लोकसभा का पहला वर्ष यह संकेत देता है कि के. नवास कनी ने स्वयं को एक सक्रिय, अध्ययनशील और जनोन्मुख सांसद के रूप में स्थापित करने का गंभीर प्रयास किया है। उनकी संसदीय सक्रियता उन्हें उन जनप्रतिनिधियों की श्रेणी में खड़ा करती है जो संसद को जनता की आकांक्षाओं और नीति-निर्माण के बीच एक प्रभावी सेतु मानते हैं।

राजस्थान के भीलवाड़ा से पहली बार लोकसभा पहुँचे दामोदर अग्रवाल ऐसे नेताओं में शामिल हैं जिनकी पहचान केवल चुनावी सफलता से नहीं, बल्कि संगठनात्मक अनुभव, शांत कार्यशैली और विकास के प्रति स्पष्ट दृष्टि से बनती है। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियाँ निभाने के बाद उन्होंने 2024 में संसदीय राजनीति में प्रवेश किया। संसद के भीतर उनकी उल्लेखनीय उपस्थिति, बड़ी संख्या में पूछे गए प्रश्न और भीलवाड़ा के विकास से जुड़े विषयों पर लगातार हस्तक्षेप यह दर्शाते हैं कि वे संसद को केवल राजनीतिक विमर्श का मंच नहीं, बल्कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय नीति से जोड़ने का प्रभावी माध्यम मानते हैं।

कर्मठ

प्रभावी संसदीय सक्रियता से भीलवाड़ा के विकास को नई गति देने वाले जनप्रतिनिधि

दामोदर अग्रवाल

भीलवाड़ा, राजस्थान (भाजपा)

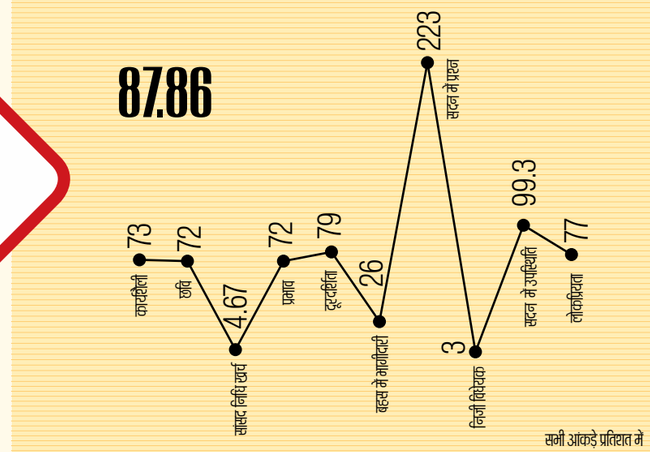

दामोदर अग्रवाल का सार्वजनिक जीवन सामाजिक और संगठनात्मक गतिविधियों से शुरू हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक तथा समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की। छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े रहे। वे भाजपा के राजस्थान प्रदेश महामंत्री सहित अनेक महत्वपूर्ण दायित्व निभा चुके हैं। संगठन में लंबे अनुभव ने उन्हें प्रशासनिक समझ, संवाद क्षमता और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पहचान दिलाई। निजी जीवन में वे सादगीपूर्ण छवि के लिए जाने जाते हैं और परिवार के साथ सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भीलवाड़ा से बड़ी जीत दर्ज कर पहली बार संसद में प्रवेश किया। वस्त्र उद्योग, खनन, कृषि और लघु उद्योगों के लिए प्रसिद्ध भीलवाड़ा का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र के औद्योगिक विकास, बेहतर संपर्क व्यवस्था और रोजगार के नए अवसरों का विस्तार करना होगा।

18वीं लोकसभा का पहला वर्ष दामोदर अग्रवाल के लिए एक प्रभावशाली संसदीय शुरुआत के रूप में सामने आया। 99 प्रतिशत उपस्थिति, 223 प्रश्न, तीन निजी सदस्य विधेयक, भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्योग, रेल संपर्क, सड़क अवसंरचना, स्वास्थ्य सुविधाओं और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े मुद्दों पर निरंतर सक्रियता तथा सांसद निधि के माध्यम से स्थानीय विकास कार्यों पर दिया गया जोर उन्हें राजस्थान के सक्रिय और परिणामोन्मुख सांसदों में स्थान दिलाता है। उनकी कार्यशैली यह संकेत देती है कि वे संसद को जनता की आकांक्षाओं और विकास की आवश्यकताओं को नीति निर्माण से जोड़ने का प्रभावी माध्यम मानते हैं।

हालांकि दामोदर अग्रवाल संसद के लिए नये हैं, लेकिन 18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में उनका संसदीय प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली रहा। उनकी उपस्थिति 99 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। उन्होंने 26 बहसों में भाग लिया, 223 प्रश्न पूछे और तीन निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किए। पहली बार सांसद बनने के बावजूद उनके प्रश्नों और बहसों की संख्या बताती है कि उन्होंने संसदीय प्रक्रियाओं का गंभीरता से उपयोग किया।

भीलवाड़ा के औद्योगिक विकास को उन्होंने संसद में प्रमुखता से उठाया। राजस्थान का यह क्षेत्र देश की टेक्सटाइल राजधानी के रूप में जाना जाता है। दामोदर अग्रवाल ने संसद में पीएम मित्र (PM MITRA) योजना के अंतर्गत भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मांग की। उनका तर्क था कि इससे वस्त्र उद्योग को नई गति मिलेगी, स्थानीय निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने इस विषय को एक से अधिक अवसरों पर सदन में उठाया।

रेल और सड़क संपर्क उनके संसदीय एजेंडे का दूसरा महत्वपूर्ण विषय रहा। उन्होंने भीलवाड़ा से मुंबई के लिए दैनिक रेल सेवा शुरू करने, अजमेर–मुंबई रेल सेवा के विस्तार, अजमेर–कोटा रेल लाइन, नाथद्वारा–जयपुर नई रेल लाइन तथा भीलवाड़ा शहर में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण जैसे विषयों को संसद में लगातार उठाया। इसके अतिरिक्त भीलवाड़ा–शाहपुरा–देवली मार्ग को फोरलेन बनाने और राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन की मांग भी उन्होंने प्रमुखता से की। उनका मानना है कि मजबूत परिवहन नेटवर्क से उद्योग, व्यापार और पर्यटन तीनों क्षेत्रों को नई ऊर्जा मिलेगी।

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया। उन्होंने भीलवाड़ा में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर की स्थापना, हमीरगढ़ हवाई पट्टी को उड़ान योजना के अंतर्गत विकसित करने तथा चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार से जुड़े विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उनका प्रयास रहा कि भीलवाड़ा जैसे तेजी से विकसित हो रहे जिले को महानगरों जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हों।

सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण को लेकर भी उनकी सक्रियता उल्लेखनीय रही। उन्होंने भीलवाड़ा के नंदासा स्तूप को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग संसद में रखी, ताकि इस महत्वपूर्ण बौद्ध विरासत का संरक्षण हो सके और पर्यटन को बढ़ावा मिले। इसी प्रकार उन्होंने क्षेत्र के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

उद्योग और विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन पर भी उन्होंने संसद में स्पष्ट रुख अपनाया। भीलवाड़ा क्षेत्र में अवैध खनन और विस्फोट गतिविधियों से जुड़े जनसुरक्षा के मुद्दे को उन्होंने विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाया और प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों पर भी उन्होंने सरकार से नीतिगत पहल की अपेक्षा जताई।

दामोदर अग्रवाल की कार्यशैली का महत्वपूर्ण पक्ष क्षेत्र में उनका निरंतर जनसंपर्क है। सांसद बनने के बाद भी उन्होंने भीलवाड़ा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का नियमित दौरा जारी रखा। वे उद्योग संगठनों, व्यापारिक संस्थाओं, किसानों और सामाजिक संगठनों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को संसद और संबंधित मंत्रालयों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहे हैं। संगठनात्मक राजनीति में लंबे अनुभव का लाभ उनके जनसंपर्क में स्पष्ट दिखाई देता है।

उनकी सांसद निधि से विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, सामुदायिक भवन, पेयजल सुविधाएँ, सड़क सुधार, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों की अनुशंसा की गई। संसद में उनकी शैली अपेक्षाकृत शांत, तथ्यपरक और समाधान-केंद्रित मानी जाती है। वे राजनीतिक टकराव की अपेक्षा विकास, अवसंरचना, उद्योग, परिवहन और जनसुविधाओं से जुड़े विषयों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

भारतीय राजनीति में कुछ नेता अपनी उम्र से नहीं, बल्कि अपनी सक्रियता और स्पष्ट वैचारिक दृष्टि से पहचान बनाते हैं। बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ऐसे ही जनप्रतिनिधियों में शामिल हैं। अपेक्षाकृत कम उम्र में लोकसभा पहुँचने वाले सूर्या ने पिछले कुछ वर्षों में स्वयं को एक ऐसे सांसद के रूप में स्थापित किया है जो संसद के भीतर नीति-निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के साथ-साथ अपने संसदीय क्षेत्र में तकनीक, नवाचार और आधुनिक शहरी विकास को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देते हैं। 18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में भी उन्होंने संसदीय कार्यवाही में उल्लेखनीय सक्रियता दिखाई और बेंगलुरु की शहरी चुनौतियों को राष्ट्रीय मंच पर प्रभावी ढंग से उठाया।

ऊर्जावान

युवा नेतृत्व, तकनीकी दृष्टि और संसदीय सक्रियता का ऊर्जावान चेहरा

तेजस्वी सूर्या

बंगलुरू दक्षिण, कर्नाटक (भाजपा)

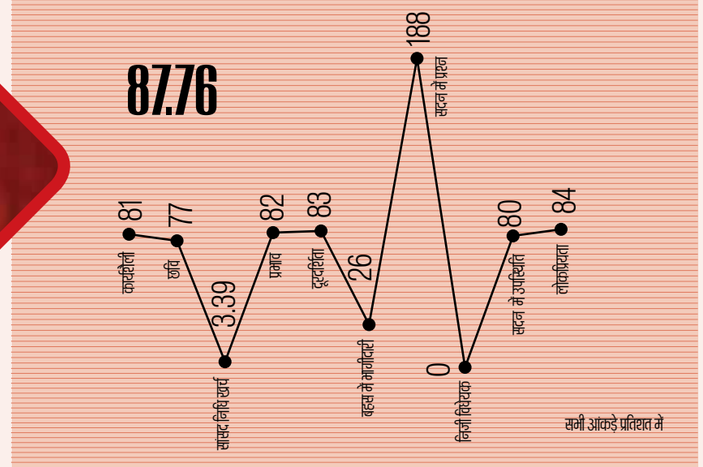

तेजस्वी सूर्या का जन्म 16 नवंबर 1990 को बेंगलुरु में हुआ। उन्होंने बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ से कानून की शिक्षा प्राप्त की और कुछ समय तक अधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया। छात्र जीवन से ही सार्वजनिक जीवन और सामाजिक गतिविधियों में उनकी रुचि रही। वर्ष 2019 में पहली बार बेंगलुरु दक्षिण से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने लगातार दूसरी बार वर्ष 2024 में भी जनता का विश्वास हासिल किया। निजी जीवन में उन्होंने वर्ष 2024 में प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय गायिका शिवश्री स्कंदप्रसाद से विवाह किया। सार्वजनिक जीवन के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, साहित्य और युवा नेतृत्व से जुड़े विषयों में उनकी विशेष रुचि रही है।

18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में तेजस्वी सूर्या का संसदीय प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। सार्वजनिक संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार उनकी 80 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति रही। उन्होंने 40 से अधिक संसदीय बहसों में भाग लिया, बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे और विभिन्न नीतिगत विषयों पर सक्रिय हस्तक्षेप किया। संसदीय समितियों में उनकी भागीदारी और विषयों

18वीं लोकसभा का पहला वर्ष इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा कि तेजस्वी सूर्या ने युवा नेतृत्व को संसदीय सक्रियता के साथ जोड़ने का प्रयास किया। उत्कृष्ट संसदीय उपस्थिति, बहसों में प्रभावी भागीदारी, तकनीक, शहरी विकास, रोजगार और नवाचार जैसे विषयों पर निरंतर हस्तक्षेप तथा बेंगलुरु के दीर्घकालिक विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें नई पीढ़ी के उन सांसदों में स्थान दिलाती है जो संसद को भविष्य की नीतियों के निर्माण का मंच मानते हैं। यदि आने वाले वर्षों में यही सक्रियता और विकास-केंद्रित दृष्टिकोण बना रहता है, तो तेजस्वी सूर्या राष्ट्रीय राजनीति में युवा नेतृत्व के प्रमुख चेहरों में अपनी भूमिका और अधिक सशक्त बना सकते हैं।

की तैयारी यह दर्शाती है कि वे संसद को केवल राजनीतिक अभिव्यक्ति का मंच नहीं, बल्कि नीति निर्माण की प्रभावी संस्था मानते हैं।

संसद में उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बेंगलुरु की आधारभूत संरचना रही। देश की आईटी राजधानी होने के बावजूद शहर ट्रैफिक जाम, जल संकट, जल निकासी, सार्वजनिक परिवहन और शहरी नियोजन जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। तेजस्वी सूर्या ने इन विषयों को संसद में लगातार उठाया और केंद्र सरकार से बेंगलुरु के लिए दीर्घकालिक शहरी अवसंरचना योजनाओं का समर्थन माँगा। उनका मानना है कि भारत के आर्थिक विकास में बेंगलुरु की भूमिका को देखते हुए शहर के लिए विशेष नीति और निवेश आवश्यक है।

मेट्रो रेल विस्तार, उपनगरीय रेल परियोजना, सुरंग मार्ग, एलिवेटेड कॉरिडोर और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन जैसे विषय उनके संसदीय एजेंडे में प्रमुखता से शामिल रहे। उन्होंने संसद और विभिन्न मंत्रालयों के समक्ष यह तर्क रखा कि तेजी से बढ़ते महानगरों के लिए पारंपरिक शहरी मॉडल पर्याप्त नहीं हैं और आधुनिक तकनीक आधारित परिवहन व्यवस्था ही भविष्य का समाधान है।

सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर भी उनकी सक्रियता लगातार दिखाई देती है। उन्होंने एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर उद्योग, स्टार्टअप इकोसिस्टम, साइबर सुरक्षा और डिजिटल नवाचार से जुड़े प्रश्न संसद में उठाए। उनका मानना है कि भारत की युवा आबादी और तकनीकी क्षमता देश को वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने की क्षमता रखती है, बशर्ते नीति और उद्योग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।

युवा रोजगार और कौशल विकास भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहे। उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए बेहतर वित्तीय सहायता, कौशल विकास कार्यक्रमों के विस्तार और उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित करने पर बल दिया। उनका दृष्टिकोण रहा है कि रोजगार केवल सरकारी नौकरियों से नहीं, बल्कि उद्यमिता और नवाचार के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर सृजित किए जा सकते हैं।

पर्यावरण संरक्षण और शहरी हरित क्षेत्र के विकास को लेकर भी तेजस्वी सूर्या ने संसद में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए। बेंगलुरु की झीलों के संरक्षण, वर्षा जल संचयन, हरित आवरण बढ़ाने तथा प्रदूषण नियंत्रण जैसे विषयों को उन्होंने शहरी विकास से जोड़कर प्रस्तुत किया। उनके अनुसार आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के पूरक होने चाहिए।

संसदीय प्रश्नों के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, नागरिक उड्डयन, रेलवे, रक्षा, डिजिटल इंडिया, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे अनेक विषयों पर सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया। उनके प्रश्नों की विविधता यह दर्शाती है कि उनकी रुचि केवल बेंगलुरु तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नीति के व्यापक आयामों तक फैली हुई है।

संसद के बाहर भी उनकी सक्रियता लगातार दिखाई देती है। वे समय-समय पर विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा, नागरिक समूहों के साथ संवाद, युवाओं के कार्यक्रमों और स्टार्टअप समुदाय से जुड़ी बैठकों में भाग लेते रहे हैं। बेंगलुरु में नागरिक सुविधाओं के सुधार के लिए प्रशासन, उद्योग और स्थानीय संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास उनकी कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।

तेजस्वी सूर्या की राजनीति की एक विशेषता उनकी संवाद क्षमता और आधुनिक दृष्टिकोण है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वे लगातार युवाओं से संवाद बनाए रखते हैं। संसद में भी वे तथ्यों, आँकड़ों और नीति आधारित तर्कों के साथ अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। समर्थकों का मानना है कि यही शैली उन्हें युवा पीढ़ी के बीच लोकप्रिय बनाती है।

यद्यपि सार्वजनिक जीवन में उनके कुछ वक्तव्य समय-समय पर राजनीतिक बहस का विषय भी बने हैं, लेकिन संसदीय कार्यशैली के स्तर पर उन्होंने स्वयं को एक सक्रिय और अध्ययनशील सांसद के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। बेंगलुरु के विकास से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न मंत्रालयों के साथ निरंतर समन्वय और संसद में नियमित हस्तक्षेप उनकी इसी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

संसद में जब भी विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, लोकतांत्रिक संस्थाओं या भारत की वैश्विक भूमिका जैसे विषयों पर गंभीर बहस होती है, तो एक नाम स्वाभाविक रूप से चर्चा में आता है, और वह है डॉ. शशि थरूर का। तिरुवनंतपुरम से लगातार चौथी बार लोकसभा पहुँचे थरूर ने अपनी पहचान केवल एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे सांसद के रूप में बनाई है जो अध्ययन, तर्क और प्रभावशाली अभिव्यक्ति को लोकतांत्रिक विमर्श का आधार मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र में लंबे अंतरराष्ट्रीय अनुभव, लेखन और सार्वजनिक जीवन की गहरी समझ ने उनकी संसदीय भूमिका को एक अलग आयाम दिया है। 18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में भी उन्होंने इसी शैली को आगे बढ़ाते हुए संसद के भीतर सक्रिय, तथ्यपरक और विषय-केंद्रित हस्तक्षेप किए।

लगनशील

विचार, विमर्श और संसदीय गरिमा की सशक्त आवाज़

शशि थरूर

तिरुवनंतपुरम, केरलम (कांग्रेस)

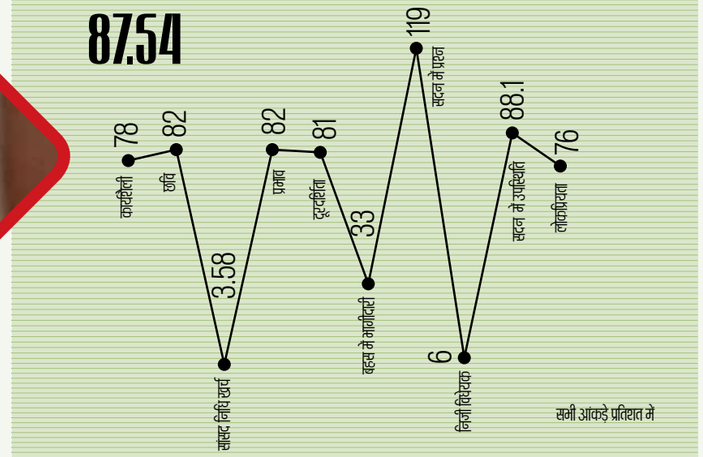

शशि थरूर का जन्म 9 मार्च 1956 को लंदन में लिली के मलयाली नायर परिवार में हुआ था। उनके पिता मीडिया प्रबंधन से जुड़े थे, जबकि चाचा थरूर परमेश्वर भारत में रीडर्स डाइजेस्ट के संस्थापक थे। अपने माता-पिता के भारत लौटने के बाद, शशि ने यरकौड, मुंबई, कोलकाता, और दिल्ली में पढ़ाई की। बाद में अमेरिका भी गए, जहां उन्होंने एमए और पीएचडी प्राप्त की। 1978 से 2007 तक, थरूर संयुक्त राष्ट्र में एक करियर अधिकारी रहे और 2001 में संचार और सार्वजनिक सूचना के लिए अवर महासचिव के पद तक पहुंचे। उन्होंने 2006 में महासचिव पद के लिए बान की-मून के बाद दूसरे स्थान पर रहने के बाद संगठन से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की।

वर्ष 2009 में पहली बार लोकसभा पहुँचने के बाद शशि थरूर ने संसद को केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मंच नहीं माना, बल्कि नीति-निर्माण और राष्ट्रीय विमर्श की संस्था के रूप में देखा। पिछले डेढ़ दशक में वे लगातार उन सांसदों में शामिल रहे हैं जिनकी बहसों को गंभीरता से सुना जाता है। उनकी संसदीय भूमिका केवल केरल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि राष्ट्रीय नीति-निर्माण के व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी दिखाई देती है।

18वीं लोकसभा का पहला वर्ष इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा कि शशि थरूर ने संसदीय बहसों, प्रश्नों, निजी विधेयकों और संसदीय समिति के नेतृत्व—चारों स्तरों पर सक्रिय भूमिका निभाई। तिरुवनंतपुरम के विकास से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने के साथ-साथ विदेश नीति, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर उनकी निरंतर भागीदारी यह दर्शाती है कि वे संसद को केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं, बल्कि विचार, नीति और जनहित के बीच एक सशक्त सेतु मानते हैं। अध्ययन, संवाद और लोकतांत्रिक विमर्श पर आधारित उनकी कार्यशैली उन्हें समकालीन भारतीय संसद के सबसे प्रभावशाली और बौद्धिक रूप से सक्रिय सांसदों में विशिष्ट स्थान दिलाती है।

18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में उनका संसदीय प्रदर्शन उनकी सक्रियता का स्पष्ट प्रमाण है। सार्वजनिक संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार उनकी उपस्थिति लगभग 88 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उन्होंने 33 संसदीय बहसों में भाग लिया, 119 प्रश्न पूछे और छह निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किए। ये आँकड़े इस बात का संकेत हैं कि संसद में उनकी भूमिका केवल भाषण देने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने विधायी प्रक्रिया और जवाबदेही सुनिश्चित करने के संसदीय उपकरणों का भी प्रभावी उपयोग किया।

पिछले एक वर्ष के दौरान उनकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में रही। इस भूमिका में उन्होंने भारत की विदेश नीति, वैश्विक रणनीतिक चुनौतियों, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, व्यापारिक साझेदारियों और बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़े विषयों पर संसदीय निगरानी और विचार-विमर्श को दिशा दी। विदेश नीति पर उनकी गहरी समझ और कूटनीतिक अनुभव ने समिति की कार्यवाही को विशेष महत्व प्रदान किया।

तिरुवनंतपुरम के सांसद के रूप में भी उनकी सक्रियता लगातार बनी रही। संसद में उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र और केरल से जुड़े अनेक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। राष्ट्रीय महत्व के भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) को 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' घोषित करने की माँग, एनएच-66 परियोजना में सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, तटीय कटाव से प्रभावित क्षेत्रों की समस्या, मछुआरा समुदाय के हितों की रक्षा, ऑफशोर सैंड माइनिंग पर रोक तथा ब्रह्मोस एयरोस्पेस तिरुवनंतपुरम से जुड़े औद्योगिक मुद्दों को उन्होंने लगातार संसद के समक्ष रखा। इन विषयों से स्पष्ट होता है कि उनकी संसदीय प्राथमिकताओं में स्थानीय विकास और राष्ट्रीय रणनीतिक हित दोनों समान रूप से शामिल रहे।

आर्थिक और सामाजिक विषयों पर भी उनके हस्तक्षेप उल्लेखनीय रहे। बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने वित्तीय प्रबंधन, विकास की प्राथमिकताओं और सामाजिक क्षेत्र में निवेश जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। इसके अतिरिक्त उन्होंने वायु प्रदूषण, छात्रवृत्ति योजनाओं, एमएसएमई क्षेत्र, सुरक्षित पेयजल, साइबर अपराध, उच्च शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीपीयू निर्माण, सामाजिक मीडिया के प्रभाव तथा दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं जैसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछकर सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया। उनकी संसदीय सक्रियता का दायरा इस बात को दर्शाता है कि वे केवल राजनीतिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि शासन और नीति के अनेक क्षेत्रों पर समान रुचि रखते हैं।

शशि थरूर की कार्यशैली का सबसे विशिष्ट पक्ष उनकी तैयारी और विषय की गहराई है। उनके भाषणों में तथ्यों, ऐतिहासिक संदर्भों और अंतरराष्ट्रीय अनुभव का संतुलित उपयोग दिखाई देता है। वे किसी विषय को केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि उसके सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक प्रभावों का भी विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि उनके संसदीय हस्तक्षेप अक्सर व्यापक चर्चा का विषय बनते हैं।

पिछले एक वर्ष में उन्होंने तिरुवनंतपुरम के विकास को लेकर भी निरंतर पहल की। आधारभूत संरचना, बंदरगाह, तटीय सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों के विस्तार, पर्यटन और शहरी विकास से जुड़े विषयों को उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से रखा। उनका प्रयास रहा कि केरल की राजधानी को शिक्षा, अनुसंधान, समुद्री अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी के एक सशक्त केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। यह दृष्टिकोण उनके संसदीय हस्तक्षेपों में स्पष्ट दिखाई देता है।

संसद के बाहर भी शशि थरूर सार्वजनिक विमर्श का महत्वपूर्ण चेहरा बने हुए हैं। लेखक, वक्ता और पूर्व राजनयिक के रूप में वे भारत की विदेश नीति, लोकतंत्र, संस्कृति और वैश्विक राजनीति पर लगातार अपने विचार रखते रहे हैं। उनकी यह बौद्धिक सक्रियता संसद में उनकी भूमिका को भी एक अलग पहचान देती है। वे उन कुछ सांसदों में हैं जिनके लिए सार्वजनिक संवाद केवल राजनीतिक भाषण नहीं, बल्कि विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम भी है।

संसद में जब स्वास्थ्य सेवाओं, ग्रामीण अवसंरचना, रेल संपर्क, कौशल विकास या बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है, तो गोपालगंज से सांसद डॉ. आलोक कुमार सुमन उन जनप्रतिनिधियों में दिखाई देते हैं जो अपने अनुभव और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को राष्ट्रीय नीति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। पेशे से चिकित्सक रहे डॉ. सुमन ने राजनीति में आने के बाद अपनी पहचान एक ऐसे सांसद के रूप में बनाई है, जिनके लिए संसद केवल कानून बनाने का मंच नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र की आकांक्षाओं को केंद्र सरकार तक पहुँचाने का प्रभावी माध्यम है। 18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में भी उनकी संसदीय सक्रियता इसी सोच को प्रतिबिंबित करती है।

लोकप्रिय

चिकित्सा सेवा से संसद तक, विकास और जनसेवा को समर्पित नेतृत्व

डॉ. आलोक कुमार सुमन

गोपालगंज, बिहार (जेडीयू)

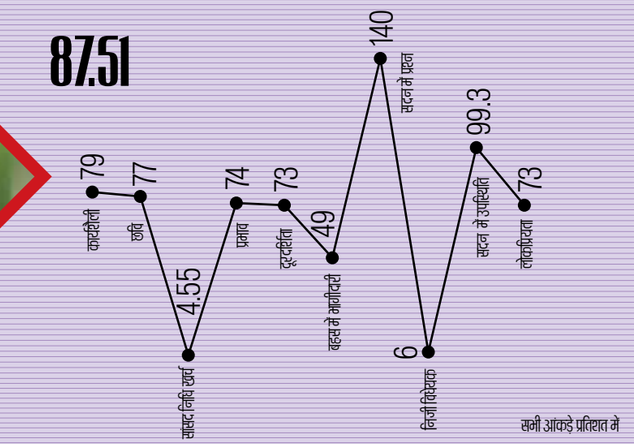

गोपालगंज की सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि से निकलकर चिकित्सा क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले डॉ. आलोक कुमार सुमन का सार्वजनिक जीवन सेवा की भावना से जुड़ा रहा है। चिकित्सक के रूप में लंबे अनुभव ने उन्हें ग्रामीण भारत की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को निकट से समझने का अवसर दिया। यही अनुभव बाद में उनकी राजनीतिक कार्यशैली का आधार बना। वर्ष 2019 में पहली बार गोपालगंज (अनुसूचित जाति) लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद उन्होंने क्षेत्र के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया और वर्ष 2024 में लगातार दूसरी बार जनता का विश्वास प्राप्त कर लोकसभा पहुँचे। वर्तमान में वे जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में भी संगठनात्मक जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में डॉ. सुमन ने संसदीय कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई। सार्वजनिक संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने अनेक संसदीय बहसों में हिस्सा लिया, प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों से जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया तथा निजी सदस्य विधेयकों के जरिए नीतिगत सुझाव भी प्रस्तुत किए। उनकी संसदीय सक्रियता का दायरा स्वास्थ्य, सड़क, रेल, शिक्षा, ग्रामीण विकास और कौशल विकास जैसे अनेक क्षेत्रों तक फैला हुआ है।

18वीं लोकसभा का पहला वर्ष इस बात का संकेत देता है कि डॉ. आलोक कुमार सुमन ने अपनी दूसरी संसदीय पारी को पहले से अधिक व्यापक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। संसद में सक्रिय भागीदारी, गोपालगंज के लिए बेहतर आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य सेवाओं, रेल संपर्क, कौशल विकास और रोजगार जैसे विषयों को लगातार उठाने की उनकी प्रतिबद्धता उन्हें बिहार के सक्रिय सांसदों में विशिष्ट स्थान दिलाती है। चिकित्सा सेवा से राजनीति तक की उनकी यात्रा इस बात का उदाहरण है कि यदि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं को समझते हुए संसद में प्रभावी ढंग से अपनी बात रखें, तो लोकतंत्र विकास का एक सशक्त माध्यम बन सकता है।

गोपालगंज की विकास आवश्यकताओं को संसद में उठाना उनके संसदीय कार्य का सबसे प्रमुख पक्ष रहा है। पिछले वर्षों की तरह 18वीं लोकसभा में भी उन्होंने क्षेत्र की रेल और सड़क संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना है कि किसी भी जिले की आर्थिक प्रगति का सबसे मजबूत आधार आधुनिक परिवहन अवसंरचना होती है। इसी सोच के तहत वे लगातार बेहतर रेल सेवाओं, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता उठाते रहे हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र उनकी स्वाभाविक प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। चिकित्सकीय पृष्ठभूमि होने के कारण वे संसद में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और आम नागरिकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ पहुंचाने जैसे विषयों पर विशेष रुचि लेते हैं। उनका मानना है कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ सहज उपलब्ध हों।

गोपालगंज के आर्थिक विकास को लेकर भी उनकी दृष्टि स्पष्ट रही है। उन्होंने समय-समय पर कौशल विकास, लघु उद्योगों, निवेश और स्थानीय रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। संसद में उन्होंने बिहार के औद्योगिक विकास, निवेश आकर्षित करने तथा युवाओं के लिए नए रोजगार सृजन के विषयों को प्रमुखता से उठाया। उनका मानना है कि यदि स्थानीय स्तर पर रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों, तो बड़े पैमाने पर होने वाले पलायन को कम किया जा सकता है।

धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को विकास के साधन के रूप में देखने की उनकी सोच भी उल्लेखनीय रही है। गोपालगंज स्थित प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकसित करने तथा केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने की आवश्यकता वे लगातार उठाते रहे हैं। उनका विश्वास है कि धार्मिक पर्यटन केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को गति देने का प्रभावी माध्यम भी बन सकता है।

रेल संपर्क को मजबूत करना उनके सार्वजनिक जीवन का लगातार महत्वपूर्ण एजेंडा रहा है। थावे जंक्शन के विकास, नई रेल सेवाओं, यात्री सुविधाओं के विस्तार तथा बेहतर कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों को उन्होंने संसद में बार-बार उठाया है। उनके अनुसार बेहतर रेल नेटवर्क से व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं तक लोगों की पहुँच आसान होती है और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलती है।

उनकी कार्यशैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वे स्थानीय समस्याओं को व्यापक विकास दृष्टि से जोड़कर देखते हैं। चाहे कौशल विकास का विषय हो, खेल अवसंरचना का विस्तार, ग्रामीण उद्योगों का पुनर्जीवन या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक समाधान—वे इन मुद्दों को केवल क्षेत्रीय माँग के रूप में नहीं, बल्कि संतुलित राष्ट्रीय विकास के हिस्से के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही दृष्टिकोण उनके संसदीय हस्तक्षेपों को व्यावहारिक बनाता है।

संसद के बाहर भी डॉ. आलोक कुमार सुमन अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं। विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय, जनसुनवाई और नागरिकों से सीधा संवाद उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। चिकित्सा पृष्ठभूमि होने के कारण स्वास्थ्य शिविरों, सामाजिक जागरूकता अभियानों और जनसेवा से जुड़े कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिलती रही है।

उनकी राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें पेशेवर अनुभव और सार्वजनिक जीवन का संतुलित समन्वय दिखाई देता है। एक चिकित्सक के रूप में समाज को समझने का अनुभव और सांसद के रूप में नीति निर्माण में भागीदारी—इन दोनों ने उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व को अलग पहचान दी है। वे आक्रामक राजनीतिक शैली की बजाय संवाद, तथ्यों और विकासोन्मुख दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हैं।

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यहाँ संघर्ष और जनसेवा की भावना रखने वाला व्यक्ति अपनी मेहनत और नेतृत्व क्षमता के बल पर राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बना सकता है। उत्तर प्रदेश के नागिना से सांसद चंद्र शेखर आजाद इसी नई पीढ़ी के नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए लंबे समय तक सामाजिक आंदोलन चलाने के बाद वर्ष 2024 में वे पहली बार लोकसभा पहुँचे। सामाजिक कार्यकर्ता से सांसद तक का उनका सफर इस बात का उदाहरण है कि जनआंदोलन और लोकतांत्रिक राजनीति एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं।

संघर्षशील

सामाजिक न्याय की आवाज़ को संसद तक पहुँचाने वाला युवा नेतृत्व

चंद्र शेखर आजाद

नगीना, उत्तर प्रदेश (आसपा-कांशीराम)

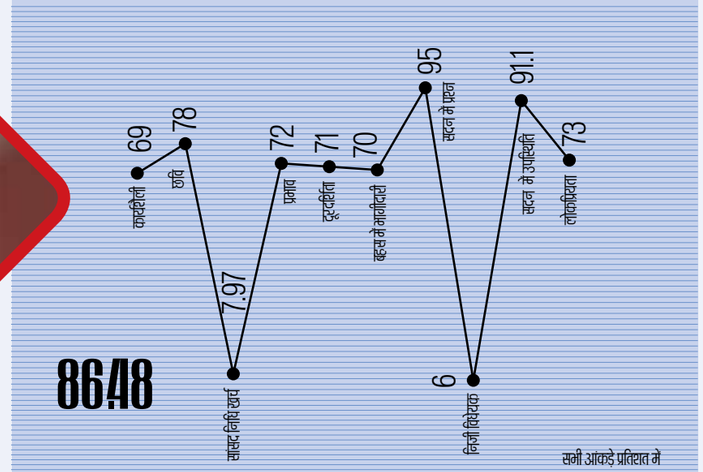

सहारनपुर जनपद से जुड़े चंद्र शेखर आजादने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के अभियानों से की। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों में शिक्षा, समान अवसर और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। बाद में उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) की स्थापना कर अपने सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक स्वरूप दिया। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में नागिना से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर वे अपनी पार्टी के पहले लोकसभा सांसद बने।

पहली बार संसद पहुँचने के बावजूद उन्होंने संसदीय कार्यवाही में उल्लेखनीय सक्रियता दिखाई। सार्वजनिक संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार 18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में उनकी लगभग 91 प्रतिशत उपस्थिति रही। उन्होंने करीब 70 बहसों में भाग लिया, 95 प्रश्न पूछे और छह निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किए। यह प्रदर्शन बताता है कि उन्होंने संसद को केवल राजनीतिक अभिव्यक्ति का मंच नहीं, बल्कि जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने का माध्यम माना।

अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े विषयों को भी उन्होंने संसद में प्रमुखता से उठाया। शिक्षा, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा और समान अवसरों से जुड़े प्रश्नों के माध्यम से उन्होंने सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया। उनके संसदीय हस्तक्षेपों में संविधान, समानता और सामाजिक समरसता के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता दिखाई देती है। चुनाव के समय उन्होंने शिक्षा, रोजगार, सामाजिक समानता और क्षेत्रीय विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल बताया था और सांसद बनने के बाद भी उन्हीं विषयों पर लगातार सक्रिय दिखाई दिए।

संसद में उनके हस्तक्षेपों का केंद्र सामाजिक न्याय, संविधान, शिक्षा, रोजगार, किसानों और युवाओं से जुड़े विषय रहे। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और समाज के वंचित तबकों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाया। उनका प्रयास रहा कि विकास की प्रक्रिया में उन समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित हो, जिन्हें लंबे समय तक पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए।

शिक्षा को वे सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम मानते हैं। संसद में उन्होंने गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा, उच्च शिक्षा तक समान पहुँच, छात्रवृत्ति और युवाओं के लिए कौशल विकास के अवसरों पर विशेष बल दिया। उनका मानना है कि यदि युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराया जाए तो भारत की विकास यात्रा और अधिक मजबूत हो सकती है।

कृषि और ग्रामीण विकास भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहे। उन्होंने किसानों की आय, कृषि सहायता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। राशन विक्रेताओं के पारिश्रमिक में सुधार, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जारी प्रमाणपत्रों के बेहतर सत्यापन जैसे मुद्दों को भी उन्होंने संसद में प्रमुखता से उठाया।

नागिना संसदीय क्षेत्र के विकास को लेकर भी उनकी सक्रियता लगातार दिखाई दी। उन्होंने क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया। विशेष रूप से उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की माँग करते हुए कहा कि नए उद्योगों के माध्यम से स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। संसद में उनके कई प्रश्न औद्योगिक निवेश, कौशल विकास और क्षेत्रीय आर्थिक विकास से जुड़े रहे।

चंद्र शेखर आजादने केवल बहसों और प्रश्नों तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने छह निजी सदस्य विधेयकों के माध्यम से भी सामाजिक न्याय से जुड़े विषयों को राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बनाने का प्रयास किया। इनमें निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रस्ताव विशेष रूप से चर्चा में रहा। उनका तर्क रहा कि आर्थिक अवसरों में समान भागीदारी सामाजिक समानता को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम हो सकती है।

उनकी कार्यशैली का एक अलग पहलू संसद के बाहर भी दिखाई देता है। संसदीय सत्र समाप्त होने के बाद भी वे विभिन्न जनसरोकारों के मुद्दों पर लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। कई अवसरों पर वे संसद परिसर के बाहर हाथ में तख्ती लेकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराते दिखाई दिए। समर्थकों का मानना है कि इससे यह संदेश जाता है कि वे जनहित के मुद्दों को केवल सदन तक सीमित नहीं रखते, बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी लगातार सक्रिय रहते हैं।

चंद्र शेखर आजादकी राजनीतिक शैली का आधार जनसंपर्क और संवाद है। वे नियमित रूप से अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को संबंधित मंचों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। सामाजिक आंदोलनों से निकले होने के कारण उनकी राजनीति में जमीनी मुद्दों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। संसद में भी वे संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के महत्व पर लगातार बल देते रहे हैं।

18वीं लोकसभा का पहला वर्ष उनके लिए एक प्रभावशाली संसदीय शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। उच्च संसदीय उपस्थिति, बहसों में सक्रिय भागीदारी, बड़ी संख्या में प्रश्न, छह निजी सदस्य विधेयक, सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और क्षेत्रीय विकास जैसे विषयों पर निरंतर हस्तक्षेप ने उन्हें पहली बार सांसद बनने के बावजूद एक सक्रिय और गंभीर जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया है। नागिना की जनता की अपेक्षाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की पैरवी करने की उनकी कोशिशें उन्हें युवा राजनीतिक नेतृत्व के प्रमुख चेहरों में स्थान दिलाती हैं। यदि आने वाले वर्षों में यही सक्रियता और जनसंपर्क बना रहता है, तो वे संसद और समाज के बीच एक प्रभावी सेतु के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना सकते हैं।

हरियाणा की राजनीति में कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी पहचान केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि संसद में उनकी तैयारी, मुद्दों की समझ और निरंतर सक्रियता उन्हें अलग पहचान दिलाती है। रोहतक से चौथी बार चुनकर लोकसभा पहुँचे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे ही चुनिंदा नेताओं में से एक हैं। पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय में उन्होंने स्वयं को एक ऐसे सांसद के रूप में स्थापित किया है जो किसानों, युवाओं, महिलाओं, खेल, शिक्षा, रोजगार और हरियाणा के चतुर्दिक विकास से जुड़े मुद्दों को लगातार राष्ट्रीय स्तर पर उठाते रहे हैं। 18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में भी उन्होंने संसद के भीतर प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराते हुए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय—दोनों स्तर के विषयों पर सक्रिय भूमिका निभाई।

कर्तव्यनिष्ठ

हरियाणा की आवाज़ को राष्ट्रीय विमर्श से जोड़ने वाले सक्रिय सांसद

दीपेंद्र सिंह हुड्डा

रोहतक, हरियाणा (कांग्रेस)

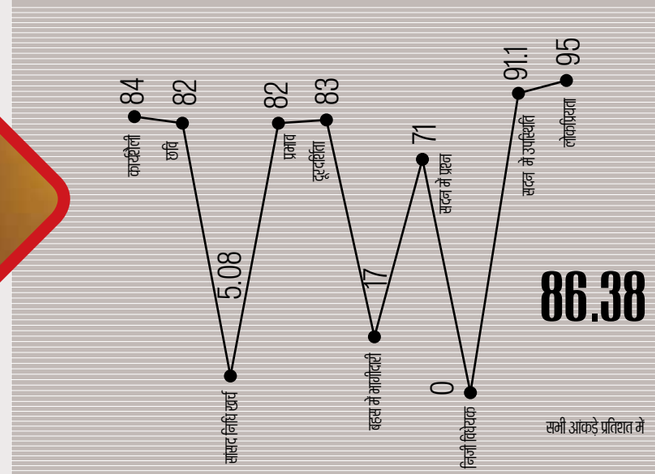

रोहतक में जन्मे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रारंभिक शिक्षा हरियाणा में प्राप्त की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए विदेश का रुख किया। वे इंजीनियरिंग और प्रबंधन की पढ़ाई कर चुके हैं। राजनीति में आने से पहले उन्होंने निजी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी कार्य किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने आम लोगों की सेवा का संकल्प लेकर सार्वजनिक जीवन को अपना कार्यक्षेत्र बना लिया। वे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र हैं, किंतु पिछले कई वर्षों में उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई है। निजी जीवन में उनकी पत्नी श्वेता मिर्धा हुड्डा हैं और वे परिवार के साथ सामाजिक तथा जनसेवा से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय रहती हैं। युवाओं, खेल और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विशेष रुचि रहती है।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहतक से रिकार्ड जीत दर्ज कर वे चौथी बार संसद पहुँचे। इससे पहले वे लगातार तीन बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं और राज्यसभा में भी हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस लंबे संसदीय अनुभव का लाभ उनके कार्यों में स्पष्ट दिखाई देता है, जहाँ

लोकसभा

18वीं लोकसभा का पहला वर्ष इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने लंबे संसदीय अनुभव को सक्रिय जनप्रतिनिधित्व के साथ जोड़ा। उत्कृष्ट संसदीय उपस्थिति, किसानों और युवाओं के मुद्दों पर निरंतर हस्तक्षेप, हरियाणा के विकास से जुड़ी परियोजनाओं की प्रभावी पैरवी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और आधारभूत संरचना जैसे विषयों पर उनकी सक्रियता उन्हें हरियाणा के प्रमुख संसदीय चेहरों में स्थान दिलाती है। संसद के भीतर उनकी तैयारी और जनता के बीच उनकी निरंतर मौजूदगी यह दर्शाती है कि वे जनप्रतिनिधित्व को केवल राजनीतिक दायित्व नहीं, बल्कि विकास और जनहित को आगे बढ़ाने का सतत माध्यम मानते हैं।

वे स्थानीय समस्याओं को व्यापक राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।

18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में उनका संसदीय प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। पीआरएस इंडिया के अनुसार उनकी उपस्थिति 91 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। उन्होंने संसद की 17 महत्त्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लिया और विभिन्न विषयों पर 71 प्रश्न पूछे। संसद में उनके हस्तक्षेपों का केंद्र हरियाणा के किसान, खेल, बुनियादी ढाँचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और महिलाओं से जुड़े विषय रहे।

किसानों के मुद्दे उनकी संसदीय प्राथमिकताओं में सबसे प्रमुख रहे। उन्होंने शंभू बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों से संवाद स्थापित करने की आवश्यकता, MSP की कानूनी गारंटी, फसलों के उचित मुआवजे, जलवायु परिवर्तन से कृषि क्षेत्र में होने वाले नुकसान तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे विषयों को संसद में उठाया। उनका मानना है कि कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है, इसलिए किसानों से जुड़े निर्णय व्यापक संवाद और आम सहमति के आधार पर होने चाहिए।

हरियाणा के विकास से जुड़े बुनियादी ढाँचे के प्रश्नों पर भी वे लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के विस्तार, राष्ट्रीय राजमार्गों के आधुनिकीकरण, शहरी जल निकासी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक समेत अन्य जिलों की आधारभूत सुविधाओं तथा रेलवे परियोजनाओं को लेकर सरकार से कई प्रश्न पूछे। उन्होंने रोहतक में पर्यटन और औद्योगिक विकास की संभावनाओं को भी संसद में रेखांकित किया।

शिक्षा और युवाओं से जुड़े विषय उनके संसदीय एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। उन्होंने झज्जर में आईआईटी दिल्ली के एक्सटेंशन कैंपस, उच्च शिक्षा संस्थानों की वित्तीय स्थिति, विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव, रोजगार की तलाश में युवाओं के पलायन तथा युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब माँगे।

खेलों के क्षेत्र में भी उनकी विशेष रुचि रही है। हरियाणा देश के सर्वाधिक पदक विजेता खिलाड़ियों वाला राज्य रहा है। संसद में उन्होंने खेल बजट में वृद्धि, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हरियाणा की भागीदारी तथा खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।

स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े विषयों पर भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने रेवाड़ी में एम्स की प्रगति, कैंसर के बढ़ते मामलों, मधुमेह, स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च, पोस्ट-कोविड स्वास्थ्य व्यवस्था तथा महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा जैसे मुद्दों पर संसद में प्रश्न उठाए। इसके अलावा सामाजिक न्याय, ईडब्ल्यूएस आरक्षण और मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़े विषयों पर भी उन्होंने सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया।

आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों पर भी उनकी रुचि स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने जीएसटी, राज्यों की वित्तीय स्थिति, विनिर्माण, रोजगार, खाद्यान्न भंडारण, कृत्रिम वर्षा, वायु प्रदूषण, जल संरक्षण और डिजिटल प्रशासन जैसे अनेक विषयों पर प्रश्न पूछे। उनके संसदीय प्रश्नों की विविधता दर्शाती है कि वे केवल अपने संसदीय क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नीतियों के व्यापक प्रभाव पर भी लगातार नज़र रखते हैं।

दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनका संवाद और लगातार जनसंपर्क है। वे नियमित रूप से रोहतक समेत पूरे हरियाणा का दौरा करते हैं। किसानों, खिलाड़ियों, युवाओं और सामाजिक संगठनों से संवाद करते हैं तथा स्थानीय समस्याओं को प्रशासन के समक्ष उठाते हैं। समर्थकों का मानना है कि वे संसद और जनता के बीच एक प्रभावी सेतु के रूप में काम करते हैं।

संसद में उनकी शैली अपेक्षाकृत संयमित लेकिन तथ्यपरक मानी जाती है। वे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद विषयों को आँकड़ों और नीति संबंधी तर्कों के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि उनके भाषणों में क्षेत्रीय समस्याओं के साथ-साथ व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी दिखाई देता है।

प्रतिभावान

लोकसभा

सक्रिय संसदीय हस्तक्षेप एवं शेखावटी के विकास की मुखर आवाज

राहुल कस्वां

चुरू, राजस्थान (कांग्रेस)

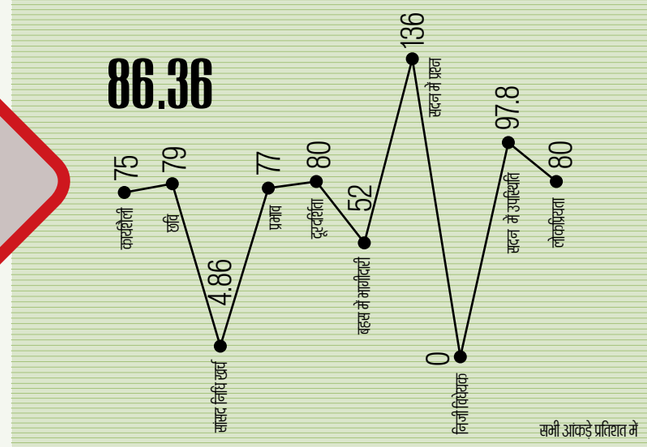

राजस्थान की राजनीति में कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी पहचान आक्रामक भाषणों से नहीं, बल्कि निरंतर जनसंपर्क, संसदीय सक्रियता और क्षेत्रीय मुद्दों पर गंभीर पैरवी से बनती है। चूरू से तीसरी बार लोकसभा पहुँचे राहुल कस्वां ऐसे ही जनप्रतिनिधियों में शामिल हैं। वर्ष 2024 के चुनाव में नई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की और यह संदेश दिया कि जनता के साथ लंबे समय से बना उनका संबंध आज भी उतना ही मजबूत है। 18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में उन्होंने संसद के भीतर किसानों, युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेल और शेखावाटी क्षेत्र के विकास से जुड़े अनेक विषयों को प्रभावी ढंग से उठाया।

चूरू जिले के सादुलपुर में 20 जनवरी 1977 को जन्मे राहुल कस्वां राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से आते हैं। उनके दादा स्वर्गीय दीपचंद कस्वां स्वतंत्रता सेनानी व विधायक रहे हैं, जबकि पिता श्री राम सिंह कस्वां भी चूरू से एक बार विधायक और चार बार लोकसभा सांसद रहे थे। इतना ही नहीं, उनकी मां श्रीमति कमला कस्वां भी विधायक और समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रह चुकी हैं। प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान में प्राप्त करने के बाद उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और युवावस्था से ही सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हो गए। राहुल पहली बार वर्ष 2014 में लोकसभा पहुँचे और 2019 में दोबारा निर्वाचित हुए। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थामा और चूरू से तीसरी बार सांसद चुने गए। दल परिवर्तन के बावजूद उन्होंने चुनावी अभियान में स्थानीय विकास, किसान हित और शेखावाटी क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुख मुद्दा बनाया।

18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में उनकी 98 प्रतिशत उपस्थिति रही,

18वीं लोकसभा का पहला वर्ष इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा कि राहुल कस्वां ने अपने संसदीय अनुभव को नई राजनीतिक भूमिका के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा। उत्कृष्ट संसदीय उपस्थिति, बड़ी संख्या में पूछे गए प्रश्न, किसानों और शेखावाटी क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर निरंतर हस्तक्षेप, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना पर सक्रिय पैरवी तथा सांसद निधि के माध्यम से स्थानीय विकास कार्यों पर दिया गया जोर उन्हें राजस्थान के सक्रिय और प्रभावी सांसदों में स्थान दिलाता है। उनकी कार्यशैली यह संकेत देती है कि वे संसद को केवल राजनीतिक बहस का मंच नहीं, बल्कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय नीति से जोड़ने का प्रभावी माध्यम मानते हैं।

जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। उन्होंने 52 बहसों में भाग लिया और 136 प्रश्न पूछे। पहली बार नहीं, बल्कि तीसरे कार्यकाल के सांसद के रूप में राहुल ने अपने अनुभव का प्रभावी उपयोग करते हुए संसद में लगातार सक्रिय भूमिका निभाई।

संसद में उनके प्रश्नों और बहसों का सबसे बड़ा केंद्र किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था रहे। उन्होंने फसल बीमा, किसानों के बीमा दावों के भुगतान, सिंचाई, सहकारिता, पशुपालन, चारे की उपलब्धता, उर्वरकों के उपयोग और कृषि से जुड़े अनेक विषयों पर सरकार से जवाब माँगे। उन्होंने बार-बार यह मुद्दा उठाया कि शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों के किसानों के लिए विशेष नीतिगत सहायता आवश्यक है।

शेखावाटी क्षेत्र के विकास को लेकर भी उनकी सक्रियता स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने चूरू की जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण, ग्रामीण सड़कों को प्रमुख जिला मार्गों में परिवर्तित करने, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, रेलवे सुविधाओं में सुधार तथा रामगढ़ रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न रेल परियोजनाओं से जुड़े प्रश्न संसद में उठाए। उन्होंने सड़क सुरक्षा और राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

जल संकट राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और राहुल कस्वां ने इसे संसद में लगातार उठाया। उन्होंने जल जीवन मिशन, नदी जल के बेहतर उपयोग, मरुस्थलीकरण की रोकथाम, जल संरक्षण तथा शेखावाटी क्षेत्र में दीर्घकालिक जल प्रबंधन से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर भी उन्होंने गंभीर चर्चा की आवश्यकता बताई।

स्वास्थ्य और शिक्षा भी उनके संसदीय एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। उन्होंने जिला अस्पतालों के उन्नयन, डायलिसिस इकाइयों की स्थापना, चिकित्सा कर्मियों की कमी, मेडिकल कॉलेजों में कौशल केंद्र, पोषण योजनाओं तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता जैसे विषयों पर संसद में सरकार से जवाब माँगे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने स्कूल ड्रॉपआउट दर, कौशल विकास कार्यक्रम, अनुसंधान और उच्च शिक्षा से जुड़े प्रश्न उठाए।

युवाओं के रोजगार और औद्योगिक विकास के लिए भी उनकी सक्रियता उल्लेखनीय रही। उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एमएसएमई, पारंपरिक कारीगरों के संरक्षण, ग्रामीण उद्यमिता, सौर ऊर्जा परियोजनाओं और औद्योगिक निवेश से जुड़े विषयों पर लगातार प्रश्न पूछे। उनका मानना है कि शेखावाटी जैसे क्षेत्रों में कौशल आधारित उद्योग और आधुनिक अवसंरचना युवाओं के पलायन को कम कर सकती है।

संसद के बाहर भी राहुल कस्वां किसानों के मुद्दों को लेकर सक्रिय रहे हैं। उन्होंने शेखावाटी क्षेत्र में फसल बीमा दावों, उर्वरकों की उपलब्धता, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यमुना जल समझौते और कृषि संकट जैसे विषयों को लेकर किसान संगठनों के साथ संवाद किया। किसान हितों को लेकर उनके नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रमों ने क्षेत्रीय समस्याओं को व्यापक स्तर पर सामने लाने का प्रयास किया।

राहुल कस्वां की कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण पक्ष क्षेत्र में उनकी निरंतर मौजूदगी है। वे नियमित रूप से चूरू संसदीय क्षेत्र का दौरा करते हैं, जनसुनवाई आयोजित करते हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं। समर्थकों का मानना है कि वे संसद और जनता के बीच एक प्रभावी सेतु की भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं।

सांसद निधि से विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, सामुदायिक भवन, ग्रामीण सड़कें, पेयजल सुविधाएँ, सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश व्यवस्था, खेल सुविधाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य बुनियादी ढाँचे के विकास संबंधी कार्यों की अनुशंसा की गई। उनका प्रयास रहा कि सांसद निधि का उपयोग ऐसे कार्यों में हो जिनका लाभ सीधे ग्रामीण समुदायों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों तक पहुँचे।

राहुल कस्वां की संसदीय शैली अपेक्षाकृत शांत, अध्ययनशील और तथ्याधारित मानी जाती है। वे राजनीतिक विमर्श के साथ-साथ नीतिगत चर्चाओं में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। संसद में उनके प्रश्नों की विविधता—कृषि, पर्यावरण, रेल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, ऊर्जा, कौशल विकास और ग्रामीण विकास—यह दर्शाती है कि वे विकास को व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं।

संसद में जब कृषि, उद्योग, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य या आधारभूत संरचना जैसे विषयों पर चर्चा होती है, तो कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल उन जन-प्रतिनिधियों में दिखाई देते हैं जो निजी क्षेत्र के अपने लंबे अनुभव को सार्वजनिक नीति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। उद्योग जगत में स्थापित पहचान के बावजूद उनकी संसदीय भूमिका केवल आर्थिक विषयों तक सीमित नहीं है। 18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में उन्होंने हरियाणा, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं को राष्ट्रीय मंच पर लगातार उठाया और संसद के माध्यम से स्थानीय समस्याओं के व्यावहारिक समाधान खोजने का प्रयास किया।

नवोन्मेषी

तिरंगे के सम्मान से विकास की उड़ान तक

नवीन जिंदल

कुरुक्षेत्र, हरियाणा (भाजपा)

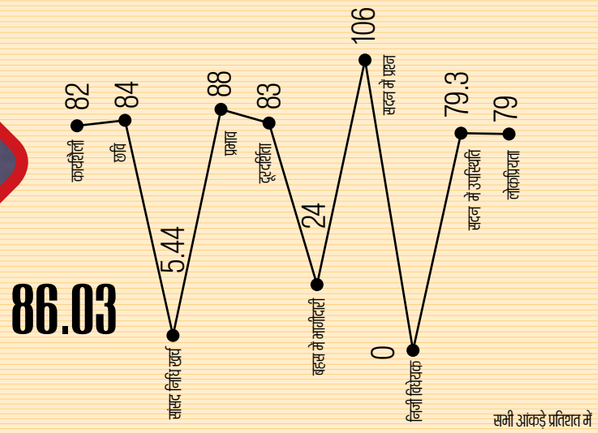

उद्योगपति व राजनैतिक परिवार की पृष्ठभूमि से होने के बावजूद तिरंगे के सम्मान और उसे हर घर में फहराने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट में मिली जीत ने उनका रुख सामाजिक कार्यों की तरफ मोड़ा। तीसरी बार लोकसभा पहुँचे नवीन जिंदल के लिए वर्ष 2024 का चुनाव एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत था। इससे पहले वे दो बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके थे और अब कुरुक्षेत्र से सांसद के रूप में उन्होंने अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। उनका सार्वजनिक जीवन उद्योग, शिक्षा, खेल और सामाजिक सेवा जैसे विविध क्षेत्रों से जुड़ा रहा है, लेकिन संसद में उनकी प्राथमिकता स्पष्ट रूप से विकास, रोजगार और आधुनिक आधारभूत संरचना के विस्तार पर केंद्रित दिखाई देती है।

18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में उनका संसदीय प्रदर्शन सक्रिय रहा। संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने लगभग 79 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की, 24 बहसों में भाग लिया और 106 प्रश्न पूछे। बहसों में उनकी भागीदारी राष्ट्रीय औसत से अधिक रही, जबकि प्रश्नों के माध्यम से उन्होंने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, रेल, पर्यटन, खेल, ऊर्जा और कौशल विकास जैसे विविध विषयों पर सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया।

18वीं लोकसभा का पहला वर्ष इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा कि नवीन जिंदल ने संसद में सक्रिय भागीदारी के साथ-साथ कुरुक्षेत्र के लिए शिक्षा, रेल, कृषि, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे विषयों को निरंतर प्राथमिकता दी। उद्योग, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन के अपने अनुभव को जन प्रतिनिधित्व से जोड़ने का उनका प्रयास उन्हें समकालीन भारतीय राजनीति के उन सांसदों में स्थान देता है जो स्थानीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय विकास के बीच एक मजबूत सेतु बनने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं।

कुरुक्षेत्र के विकास को लेकर उनकी प्राथमिकताओं में शिक्षा सबसे प्रमुख विषयों में रही। संसद में उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की आवश्यकता पर विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उनका तर्क था कि ऐतिहासिक और शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर की संस्थागत पहचान मिलने से पूरे क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को नई गति मिलेगी। इसी क्रम में उन्होंने कुरुक्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) स्थापित करने की माँग भी उठाई, ताकि हरियाणा के युवाओं को उच्च तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकें।

रेल अवसंरचना को मजबूत करना भी उनके संसदीय एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। उन्होंने संसद में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) को कुरुक्षेत्र तक विस्तारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने रेल मंत्रालय से मुलाकात कर कुरुक्षेत्र जंक्शन पर बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए रेलवे बाईपास, सैटेलाइट स्टेशन तथा यात्री सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव रखा।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विषय भी उनके संसदीय हस्तक्षेप का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। उन्होंने संसद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कुछ कृषि गतिविधियों को शामिल करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही कृषि पर्यटन के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे किसानों की आय के नए स्रोत विकसित किए जा सकें। बजट और कृषि मंत्रालय की अनुदान माँगों पर हुई चर्चाओं में भी उन्होंने आधुनिक कृषि, सूक्ष्म सिंचाई, उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने से जुड़े सुझाव रखे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उनकी सक्रियता उल्लेखनीय रही। पिछले एक वर्ष में उन्होंने देश में गैर-संचारी रोगों की रोकथाम के लिए समयबद्ध राष्ट्रीय मिशन की आवश्यकता, मोटापा और मधुमेह जैसी बढ़ती स्वास्थ्य चुनौतियों तथा दवा क्षेत्र में मिलावट रोकने के लिए कठोर व्यवस्था की माँग संसद में उठाई। उन्होंने डॉक्टरों की ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्धता, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य अवसंरचना से जुड़े प्रश्नों के माध्यम से भी सरकार का ध्यान इन विषयों की ओर आकर्षित किया।

युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन को लेकर भी नवीन जिंदल ने संसद के भीतर और बाहर सक्रिय पहल की। संसद में उन्होंने राष्ट्रीय स्किल सेंसस कराने का सुझाव दिया, ताकि उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं और युवाओं के कौशल के बीच मौजूद अंतर को दूर किया जा सके। उनका मानना है कि भारत की जनसंख्या तभी आर्थिक शक्ति में बदल सकती है, जब कौशल विकास की योजनाएँ उद्योगों की मांग के अनुरूप हों। संसद के बाहर भी उन्होंने कौशल विकास और रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार मेलों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया। हाल के महीनों में उनके 'नवीन अवसर' अभियान के अंतर्गत आयोजित अंतरराष्ट्रीय रोजगार मेले ने हजारों युवाओं को वैध विदेशी रोजगार के अवसरों और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने का प्रयास किया।

संसद में उनके प्रश्नों का दायरा भी व्यापक रहा। उन्होंने हरित ऊर्जा, हाइड्रोजन आधारित ईंधन, स्टार्टअप, महिला श्रम भागीदारी, खेल अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे अनेक विषयों पर प्रश्न पूछे। इससे स्पष्ट होता है कि वे केवल अपने संसदीय क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर भी समान रुचि रखते हैं।

नवीन जिंदल की कार्यशैली का एक उल्लेखनीय पक्ष समाधान-केंद्रित दृष्टिकोण है। उनके संसदीय हस्तक्षेपों में अक्सर केवल समस्या का उल्लेख नहीं होता, बल्कि उसके साथ व्यवहारिक सुझाव भी जुड़े होते हैं। चाहे शिक्षा संस्थानों का उन्नयन हो, रेल संपर्क का विस्तार, कृषि सुधार या युवाओं का कौशल विकास—वे इन विषयों को दीर्घकालिक विकास रणनीति के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

दमदार

दिल्ली की राजनीति में मनोज तिवारी की पहचान केवल एक लोकप्रिय अभिनेता और भोजपुरी संगीत के सितारे की नहीं रह गई है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली से लगातार तीसरी बार लोकसभा पहुँचे तिवारी ने पिछले एक दशक में स्वयं को ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया है, जिसकी राजनीति सांस्कृतिक लोकप्रियता और क्षेत्रीय विकास—दोनों के बीच संतुलन बनाती है। 18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में भी उनका फोकस राजधानी की आधारभूत सुविधाओं, पूर्वांचल समाज से जुड़े मुद्दों और संसद में जनहित के प्रश्नों को लगातार उठाने पर रहा।

लोकप्रियता से आगे, जनसरोकारों की राजनीति का दमदार चेहरा

मनोज तिवारी

उत्तर पूर्वी दिल्ली, दिल्ली (भाजपा)

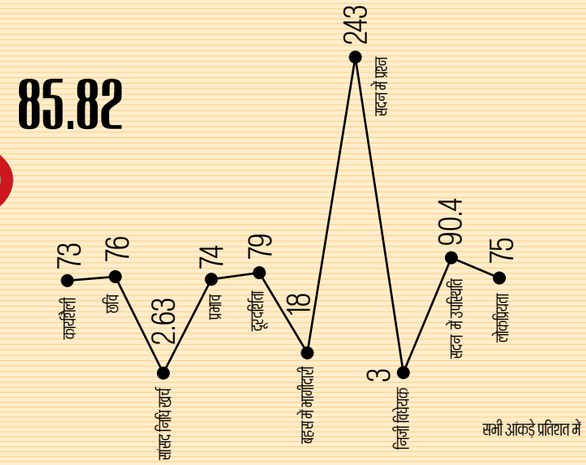

बिहार की सांस्कृतिक मिट्टी से निकलकर भोजपुरी सिनेमा और संगीत जगत में लोकप्रियता हासिल करने वाले मनोज तिवारी ने राजनीति में प्रवेश के बाद अपेक्षाकृत कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई। वर्ष 2014 में पहली बार उत्तर-पूर्वी दिल्ली से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस क्षेत्र को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाया और लगातार जनता के बीच सक्रिय रहे। 2019 और फिर 2024 में मिली जीत ने यह संकेत दिया कि वे केवल एक लोकप्रिय चेहरा नहीं, बल्कि क्षेत्र की राजनीति में एक स्थायी जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित हो चुके हैं।

18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में उनका संसदीय प्रदर्शन उनकी सक्रियता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। सार्वजनिक संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार उनकी उपस्थिति लगभग 90 प्रतिशत रही। उन्होंने 18 संसदीय बहसों में भाग लिया, 243 प्रश्न पूछे और तीन निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किए। ये आँकड़े इस बात का संकेत हैं कि उनकी भूमिका केवल सदन में उपस्थिति दर्ज कराने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने संसदीय प्रक्रियाओं का उपयोग जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के

लोकसभा

लोकप्रियता से राजनीति में आए अनेक चेहरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वे जनप्रतिनिधि की भूमिका में अपनी विश्वसनीयता स्थापित कर सकें। मनोज तिवारी का संसदीय सफर इस दृष्टि से उल्लेखनीय रहा है कि उन्होंने अपनी सांस्कृतिक पहचान को जनसंपर्क की ताकत में बदला और उसे संसदीय सक्रियता के साथ जोड़ने का प्रयास किया। 18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में उनका प्रदर्शन यह दर्शाता है कि वे संसद को केवल राजनीतिक वक्तव्य देने का मंच नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को राष्ट्रीय नीति से जोड़ने का माध्यम मानते हैं।

लिए किया।

मनोज तिवारी की संसदीय प्राथमिकताओं पर नज़र डालें तो स्पष्ट होता है कि उन्होंने उत्तर-पूर्वी दिल्ली की बुनियादी समस्याओं को लगातार राष्ट्रीय मंच पर रखा। संसद में उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में 500 बिस्तरों वाले मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की आवश्यकता को प्रमुखता से उठाया। तेजी से बढ़ती आबादी वाले उत्तर-पूर्वी दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता को उन्होंने जनस्वास्थ्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया। इसी प्रकार उन्होंने क्षेत्र में एम्स स्क्रीनिंग सेंटर स्थापित करने की माँग भी रखी, ताकि लोगों को उपचार के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े।

खेल अवसंरचना भी उनके प्रमुख सरोकारों में रही। संसद में उन्होंने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में आधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम तथा वॉटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की आवश्यकता पर विस्तार से अपनी बात रखी। उनका तर्क था कि महानगरों में युवाओं को खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराना केवल खेल नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि सामाजिक विकास और सकारात्मक ऊर्जा का भी आधार है। इसी सोच के साथ उन्होंने यमुना तट को आधुनिक सार्वजनिक पार्क और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का सुझाव भी दिया, जिससे पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं—दोनों को बढ़ावा मिल सके।

यमुना नदी से जुड़े मुद्दे पिछले एक वर्ष में उनके संसदीय हस्तक्षेप का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। उन्होंने नदी की नियमित डी-सिल्टिंग, जलभराव की समस्या के समाधान तथा यमुना तट के समग्र विकास की आवश्यकता को कई अवसरों पर उठाया। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के अनेक इलाके मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से प्रभावित होते हैं। इस विषय को उन्होंने केवल स्थानीय असुविधा नहीं, बल्कि शहरी नियोजन की चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया और केंद्र तथा संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।

मनोज तिवारी की राजनीति का एक विशिष्ट पक्ष पूर्वांचल समाज से उनका गहरा जुड़ाव भी है। संसद में उन्होंने दिल्ली में 'पूर्वांचल भवन' की स्थापना का मुद्दा उठाया। उनका मानना है कि दिल्ली में रहने वाले लाखों पूर्वांचलवासियों की सांस्कृतिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा संस्थान उनकी पहचान और सुविधा, दोनों के लिए उपयोगी होगा। यह विषय केवल सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का नहीं, बल्कि राजधानी की सामाजिक विविधता को संस्थागत स्वरूप देने का भी प्रयास है।

उन्होंने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पुलिस अवसंरचना को मजबूत करने के लिए नए पुलिस भवन परिसर के निर्माण की आवश्यकता भी संसद में उठाई। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर वहाँ पार्क, अस्पताल, विद्यालय और अन्य नागरिक सुविधाएँ विकसित करने का सुझाव भी दिया। इन मुद्दों से स्पष्ट होता है कि उनका ध्यान केवल बड़ी राष्ट्रीय बहसों पर नहीं, बल्कि स्थानीय नागरिक जीवन को प्रभावित करने वाले व्यावहारिक विषयों पर भी केंद्रित रहा।

संसदीय प्रश्नों के माध्यम से भी उन्होंने व्यापक विषयों पर सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया। पिछले एक वर्ष में उनके प्रश्न हवाई अड्डों के विस्तार, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, सिटी गैस वितरण नेटवर्क, कौशल विकास, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ वायु, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं जैसे विषयों से जुड़े रहे। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी संसदीय रुचि केवल दिल्ली तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास के विविध क्षेत्रों तक फैली हुई है।

लोकप्रिय कलाकार से सक्रिय सांसद तक की उनकी यात्रा आज भारतीय लोकतंत्र की उन कहानियों में शामिल है, जहाँ सार्वजनिक जीवन के अलग-अलग अनुभव अंततः जनसेवा की एक साझा दिशा में मिलते हैं। संसदीय सक्रियता, क्षेत्रीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता और जनता से निरंतर संवाद ने मनोज तिवारी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया है, जो संसद और समाज—दोनों के बीच समान सहजता से अपनी भूमिका निभाते दिखाई देते हैं।

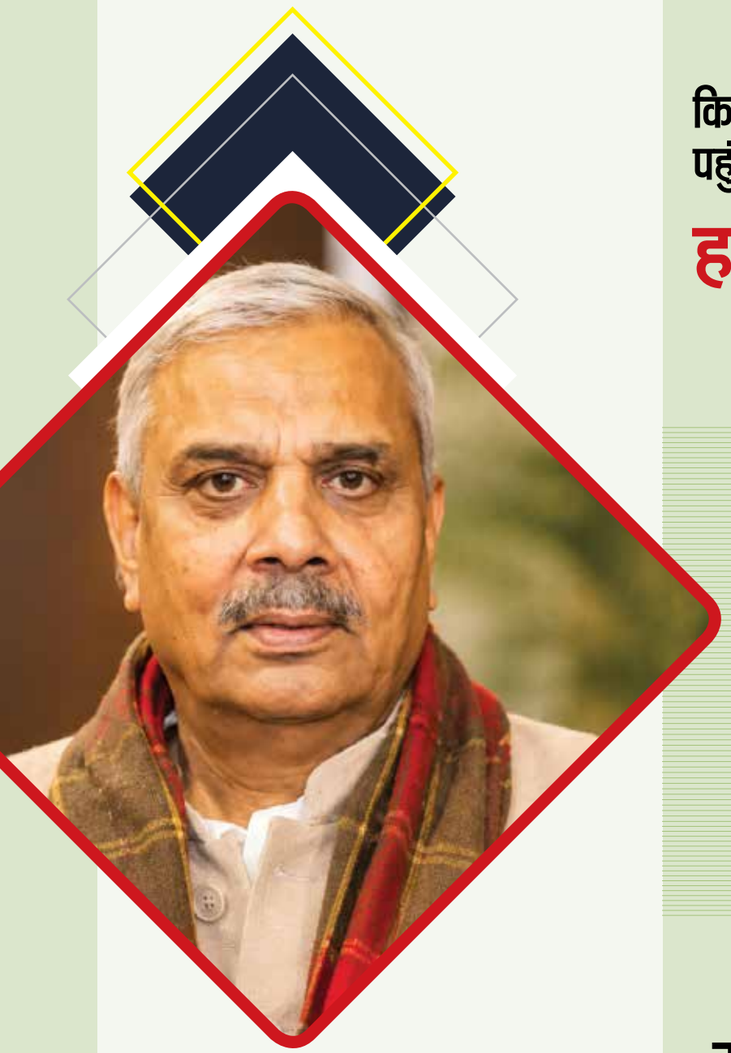

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हरेंद्र सिंह मलिक का नाम लंबे समय से किसान हितों, ग्रामीण विकास और संगठनात्मक सक्रियता के साथ जुड़ा रहा है। राज्यसभा और विधानसभा का अनुभव रखने के बाद वर्ष 2024 में पहली बार मुज़फ्फरनगर से लोकसभा पहुँचे हरेंद्र सिंह मलिकने अपने पहले ही संसदीय वर्ष में यह संकेत दिया कि उनका फोकस केवल राजनीतिक विमर्श तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं को संसद के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाने पर है। गन्ना किसानों की समस्याएँ हों, सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार—उन्होंने संसद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुद्दों को लगातार प्रमुखता दी।

जागरूक

किसानों की आवाज को संसद तक पहुंचाने वाले जनप्रतिनिधि

हरेंद्र सिंह मलिक

मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश (सपा)

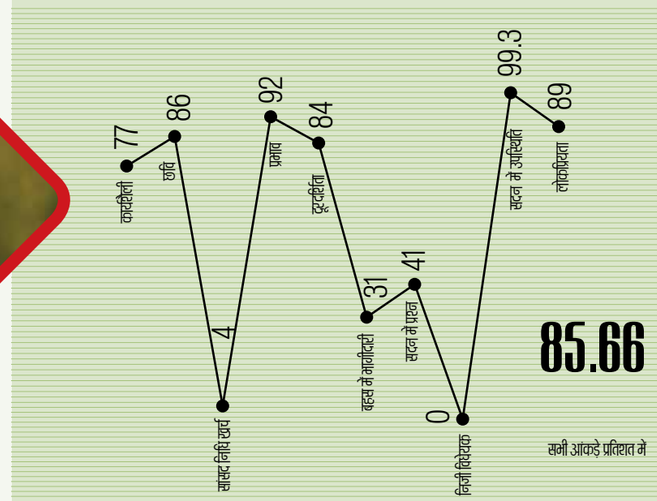

मुज़फ्फरनगर जिले के एक किसान परिवार में 15 फरवरी 1954 को जन्मे हरेंद्र सिंह मलिक का सार्वजनिक जीवन ग्रामीण समाज से गहरे जुड़ाव के बीच विकसित हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई और धीरे-धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद तथा राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, जिससे उन्हें विधायी कार्यप्रणाली का लंबा अनुभव प्राप्त हुआ। निजी जीवन में वे अपने परिवार के साथ कृषि और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। उनकी सादगी और ग्रामीण जीवनशैली आज भी उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व की पहचान मानी जाती है।

वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव उनके राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। मुज़फ्फरनगर जैसे राजनीतिक रूप से अत्यंत चर्चित संसदीय क्षेत्र से जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने संसद में अपने अनुभव और क्षेत्रीय समझ का प्रभावी उपयोग करना शुरू किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण समाज की

18वीं लोकसभा का पहला वर्ष इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा कि हरेंद्र सिंह मलिक ने अपने पहले लोकसभा कार्यकाल में ही सक्रिय, अनुभवी और जनोन्मुख सांसद की छवि बनाने का प्रयास किया। किसानों के हितों की मुखर पैरवी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर निरंतर हस्तक्षेप, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के प्रति प्रतिबद्धता तथा संसद और जनता के बीच सक्रिय संवाद यह दर्शाता है कि वे जनप्रतिनिधित्व को केवल राजनीतिक दायित्व नहीं, बल्कि सार्वजनिक सेवा का माध्यम मानते हैं। यदि आने वाले वर्षों में यही सक्रियता बनी रहती है, तो हरेंद्र सिंह मलिकपश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रभावशाली संसदीय आवाज़ के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत कर सकते हैं।

चुनौतियाँ उनके संसदीय एजेंडे का स्वाभाविक हिस्सा बन गईं।

18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में हरेंद्र सिंह मलिक ने सक्रिय संसदीय भूमिका निभाई। सार्वजनिक संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने नियमित उपस्थिति दर्ज कराते हुए अनेक बहसों में भाग लिया, विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे तथा विशेष उल्लेखों के माध्यम से क्षेत्रीय मुद्दों को सदन में उठाया। उनके प्रश्नों और हस्तक्षेपों का केंद्र कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, सड़क संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे विषय रहे।

गन्ना किसानों के हितों की रक्षा उनकी सबसे प्रमुख प्राथमिकताओं में रही। मुज़फ्फरनगर और आसपास का क्षेत्र देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक इलाकों में शामिल है। संसद में उन्होंने गन्ने के उचित मूल्य, भुगतान में पारदर्शिता, चीनी मिलों की कार्यप्रणाली तथा किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उनका मानना है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की कल्पना अधूरी रहेगी।

सिंचाई और जल प्रबंधन के मुद्दों पर भी उन्होंने विशेष सक्रियता दिखाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण, भूजल संरक्षण, जलभराव की समस्या तथा किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराने जैसे विषयों को उन्होंने संसद में प्रमुखता से उठाया। उनके अनुसार बदलते जलवायु परिदृश्य में कृषि को टिकाऊ बनाने के लिए जल संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है।

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी हरेंद्र सिंह मलिक ने संसद के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ बनाने तथा सरकारी विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता सुधार पर बल दिया। उनका कहना है कि विकास की वास्तविक कसौटी तभी पूरी होगी जब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएँ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हों।

संसदीय प्रश्नों के माध्यम से उन्होंने कृषि बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मनरेगा, ग्रामीण आवास, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, युवाओं के रोजगार और पर्यावरण संरक्षण जैसे अनेक विषयों पर सरकार से जानकारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी रुचि केवल क्षेत्रीय मुद्दों तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास की व्यापक प्रक्रिया से भी जुड़ी हुई है।

हरेंद्र सिंह मलिक की कार्यशैली का एक उल्लेखनीय पक्ष उनका सहज संवाद है। लंबे राजनीतिक अनुभव के बावजूद वे आज भी गाँवों, किसान संगठनों और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के बीच नियमित संवाद बनाए रखते हैं। मुज़फ्फरनगर संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों के साथ बैठकों और जनसुनवाई के माध्यम से वे स्थानीय समस्याओं के समाधान का प्रयास करते रहे हैं। समर्थकों के अनुसार यही जनसंपर्क उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है।

संसद में उनकी भूमिका केवल विपक्ष की आलोचना तक सीमित नहीं रही। कई अवसरों पर उन्होंने नीतिगत सुधारों के लिए रचनात्मक सुझाव भी दिए। कृषि सुधारों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लागू करने, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने, किसानों के लिए आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने और युवाओं को कौशल आधारित रोजगार से जोड़ने जैसे विषयों पर उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक दिखाई देता है।

हरेंद्र सिंह मलिक का राजनीतिक व्यक्तित्व संघर्ष, संगठन और जनसंपर्क के संतुलन का उदाहरण माना जाता है। लंबे सार्वजनिक जीवन ने उन्हें ग्रामीण समाज की अपेक्षाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं—दोनों की गहरी समझ दी है। यही अनुभव उनके संसदीय हस्तक्षेपों में भी दिखाई देता है, जहाँ वे स्थानीय समस्याओं को व्यापक नीति के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं।

दूरदर्शी

लोकसभा

जनसरोकारों की राजनीति को संसद तक ले जाने वाली मुखर आवाज़

राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव

पूर्णिया, बिहार (निर्दलीय)

संसद में जब बाढ़, बेरोज़गारी, स्वास्थ्य सेवाओं, सीमांचल के पिछड़ेपन या आम नागरिकों की रोज़मर्रा की समस्याओं पर चर्चा होती है, तो पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन, जिन्हें देश पप्पू यादव के नाम से अधिक जानता है, उन नेताओं में दिखाई देते हैं जो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। छह बार लोकसभा पहुँच चुके पप्पू यादव की राजनीति पारंपरिक ढाँचों से अलग रही है। वे अक्सर राजनीतिक दलों की सीमाओं से अधिक जनता के बीच अपनी सक्रिय मौजूदगी के लिए चर्चा में रहे हैं। वर्ष 2024 में पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मिली जीत ने यह भी साबित किया कि व्यक्तिगत जनाधार आज भी भारतीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

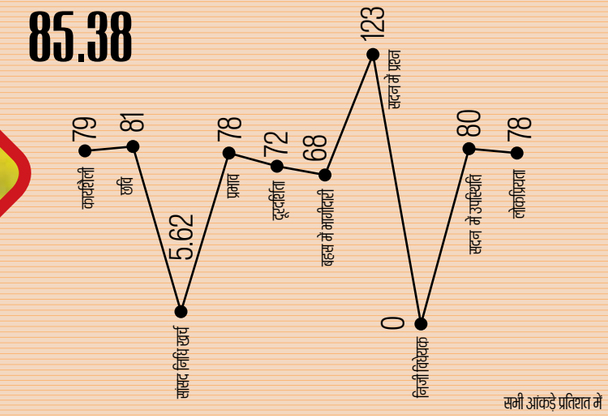

सभी आंकड़े प्रतिशत में

पप्पू यादव का राजनीतिक जीवन तीन दशकों से अधिक लंबा रहा है। इस दौरान उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे, विभिन्न दलों के साथ काम किया और अंततः अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा जनता के बीच उनकी सीधी मौजूदगी रही। किसी प्राकृतिक आपदा, सड़क दुर्घटना, स्वास्थ्य संकट या सामाजिक घटना के दौरान घटनास्थल पर सबसे पहले पहुँचने वाले नेताओं में उनका नाम अक्सर लिया जाता है। यही जनसंपर्क उनकी राजनीति की सबसे बड़ी पूँजी माना जाता है।

18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में भी उनकी कार्यशैली में यही सक्रियता दिखाई दी। सार्वजनिक संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार उनकी संसदीय उपस्थिति लगभग 80 प्रतिशत रही। उन्होंने संसद में प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों का ध्यान अपने क्षेत्र और जनहित के विषयों की ओर आकर्षित किया। यद्यपि उनकी संसदीय शैली पारंपरिक औपचारिकता से अलग मानी जाती है, लेकिन उनका प्रयास रहा कि सीमांचल और बिहार के मुद्दे राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनें।

18वीं लोकसभा का पहला वर्ष इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा कि पप्पू यादव ने संसद के भीतर अपनी भूमिका निभाने के साथ-साथ पूर्णिया और सीमांचल के लोगों के बीच अपनी सक्रिय मौजूदगी भी बनाए रखी। संसद में उठाए गए प्रश्न, क्षेत्रीय विकास के लिए निरंतर प्रयास, स्वास्थ्य और बाढ़ जैसे मानवीय मुद्दों पर उनकी संवेदनशीलता तथा जनता से सीधा संवाद उन्हें बिहार के उन सांसदों में शामिल करता है जिनकी राजनीति का केंद्र सत्ता से अधिक समाज दिखाई देता है। यही कारण है कि पूर्णिया की जनता उन्हें केवल अपना सांसद नहीं, बल्कि संकट के समय साथ खड़े रहने वाले जनप्रतिनिधि के रूप में भी देखती है। लोकतांत्रिक राजनीति में यही सतत जनसंपर्क और जनविश्वास उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूँजी है।

पूर्णिया और सीमांचल का विकास उनके संसदीय एजेंडे का केंद्र रहा है। यह इलाका लंबे समय से बाढ़, कमजोर आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और रोजगार के सीमित अवसर जैसी समस्याओं से जूझता रहा है। संसद के भीतर और बाहर उन्होंने इन चुनौतियों को लगातार उठाया। उनका मानना है कि सीमांचल के विकास के बिना बिहार का संतुलित विकास संभव नहीं है। यही कारण है कि सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को वे लगातार प्राथमिकता देते रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार उनकी प्रमुख चिंताओं में शामिल रहा है। चिकित्सकीय सुविधाओं की कमी को देखते हुए उन्होंने बेहतर सरकारी अस्पतालों, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया। उनका तर्क रहा है कि गरीब और ग्रामीण परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ अपने ही क्षेत्र में मिलनी चाहिए, ताकि उन्हें बड़े शहरों की ओर पलायन न करना पड़े।

पिछले एक वर्ष में उन्होंने बाढ़ प्रबंधन और आपदा राहत को भी महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में सामने रखा। कोसी और महानंदा नदी तंत्र से प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को उन्होंने केवल मौसमी संकट नहीं, बल्कि दीर्घकालिक विकास की चुनौती बताया। उन्होंने बेहतर तटबंधों, वैज्ञानिक जल प्रबंधन, समयबद्ध राहत व्यवस्था और पुनर्वास योजनाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। सीमांचल के लाखों लोगों के लिए यह विषय जीवन और आजीविका से जुड़ा प्रश्न है, जिसे वे लगातार राष्ट्रीय स्तर पर उठाते रहे हैं।

रेल और सड़क संपर्क के विकास को लेकर भी उनकी सक्रियता बनी रही। पूर्णिया और आसपास के जिलों में बेहतर कनेक्टिविटी, नई रेल सेवाओं, राजमार्गों के उन्नयन और परिवहन सुविधाओं के विस्तार को उन्होंने क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक बताया। उनका मानना है कि बेहतर संपर्क व्यवस्था से व्यापार, कृषि, पर्यटन और रोजगार—चारों क्षेत्रों को नई गति मिल सकती है।

पप्पू यादव की राजनीति का एक विशिष्ट पक्ष यह भी है कि वे संसद की कार्यवाही तक स्वयं को सीमित नहीं रखते। वे लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों के बीच मौजूद रहते हैं। जनसुनवाई, अस्पतालों का निरीक्षण, दुर्घटनाओं के पीड़ितों की सहायता, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा है। समर्थक इसी वजह से उन्हें “मैदान में सक्रिय सांसद” के रूप में देखते हैं।

संसद में उनके प्रश्नों का दायरा भी व्यापक रहा है। उन्होंने ग्रामीण विकास, रोजगार, कृषि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना जैसे विषयों पर सरकार से जानकारी माँगी। उनका प्रयास रहा कि नीतिगत योजनाओं का लाभ बिहार के पिछड़े इलाकों तक प्रभावी ढंग से पहुँचे।

पप्पू यादव के राजनीतिक व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सहजता और जनता से सीधा संवाद है। वे औपचारिक राजनीतिक भाषा की अपेक्षा सरल और सीधी शैली में अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि संसद के बाहर भी उनकी सक्रियता लगातार चर्चा में रहती है। आम लोगों के बीच उनकी उपस्थिति ने उन्हें बिहार की राजनीति में एक अलग पहचान दी है, जो केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है।

निस्संदेह, उनका सार्वजनिक जीवन विवादों और चुनौतियों से भी अछूता नहीं रहा है। वर्षों के राजनीतिक सफर में उन्होंने कई कठिन दौर देखे और आलोचनाओं का सामना भी किया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी राजनीतिक ऊर्जा को अधिकाधिक जनसेवा, सामाजिक हस्तक्षेप और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर केंद्रित करने का प्रयास किया है। यही परिवर्तन उनकी वर्तमान राजनीतिक छवि का महत्वपूर्ण पक्ष बनकर उभरा है।

भारतीय राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनकी पहचान केवल चुनावी जीत तक सीमित नहीं रहती, बल्कि संसद, सरकार और संगठन—तीनों स्तरों पर उनकी सक्रिय भूमिका उन्हें विशिष्ट बनाती है। हमीरपुर से पाँचवीं बार सांसद बने अनुराग सिंह ठाकुर ऐसे ही नेताओं में शामिल हैं। पिछले डेढ़ दशक में उन्होंने सांसद, केंद्रीय मंत्री, संसदीय समिति के अध्यक्ष और संगठनात्मक नेता जैसी अनेक भूमिकाएँ निभाई हैं। 18वीं लोकसभा में मंत्री न होने के बावजूद उन्होंने अपनी संसदीय सक्रियता और राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रभावी हस्तक्षेप के माध्यम से यह संकेत दिया है कि उनकी भूमिका केवल विपक्ष या सत्ता पक्ष के राजनीतिक विमर्श तक सीमित नहीं, बल्कि नीति निर्माण और जनहित के प्रश्नों को मजबूती से उठाने की भी है।

प्रभावशाली

संसदीय सक्रियता एवं विकासोन्मुख राजनीति का प्रभावशाली चेहरा

अनुराग सिंह ठाकुर

हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश (भाजपा)

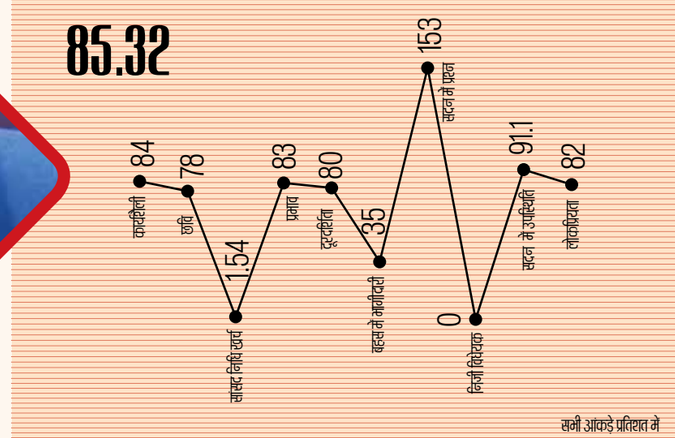

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में जन्मे अनुराग ठाकुर का सार्वजनिक जीवन राजनीति और खेल—दोनों क्षेत्रों से जुड़ा रहा है। वे पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पहचान स्वयं बनाई। पंजाब विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे युवा राजनीति से जुड़े और आगे चलकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वे लगातार तीन कार्यकाल तक इस पद पर रहने वाले पहले अध्यक्ष रहे। निजी जीवन में उनकी पत्नी शेफाली ठाकुर हैं और परिवार के साथ-साथ वे खेल, फिटनेस और सामाजिक गतिविधियों में विशेष रुचि रखते हैं। क्रिकेट प्रशासन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन तथा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

वर्ष 2024 में अनुराग ठाकुर लगातार पाँचवीं बार हमीरपुर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इससे पहले वे सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री जैसी

18वीं लोकसभा का पहला वर्ष इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा कि अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्री पद से बाहर रहते हुए भी संसद में अपनी सक्रियता, अनुभव और विषयगत तैयारी का प्रभावी परिचय दिया। हमीरपुर के विकास से जुड़े मुद्दों की निरंतर पैरवी, खेल और युवा सशक्तीकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास जैसे विषयों पर सार्थक हस्तक्षेप तथा संसदीय समितियों में उनकी भूमिका उन्हें समकालीन भारतीय राजनीति के प्रभावशाली सांसदों में विशिष्ट स्थान दिलाती है। उनके सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे संगठन, सरकार और संसद—तीनों स्तरों के अनुभव को जनप्रतिनिधित्व के साथ जोड़ते हुए विकासोन्मुख राजनीति का एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभा चुके हैं। वे कोयला, खान एवं इस्पात मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। 18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में अनुराग ठाकुर ने संसद में उल्लेखनीय सक्रियता दिखाई। सार्वजनिक संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार उनकी उपस्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर रही। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण बहसों में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, खेल, युवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृषि तथा हिमाचल प्रदेश के विकास जैसे विषयों पर प्रभावी हस्तक्षेप किए। प्रश्नों और चर्चाओं के माध्यम से उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों से जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया तथा संसद को नीति निर्माण का प्रभावी मंच बनाने पर बल दिया।

हमीरपुर संसदीय क्षेत्र उनके संसदीय एजेंडे का केंद्र रहा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सड़क, रेल और डिजिटल संपर्क के विस्तार, पहाड़ी क्षेत्रों में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पर्यटन अवसंरचना को मजबूत बनाने की आवश्यकता लगातार उठाई। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हिमाचल के पुनर्निर्माण, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी समाधान और पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष सहायता जैसे विषयों पर भी उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उनका मानना है कि हिमालयी राज्यों के विकास के लिए सामान्य नीति के बजाय क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएँ बननी चाहिए।

युवा और खेल उनके सार्वजनिक जीवन की सबसे प्रमुख पहचान रहे हैं। संसद में भी उन्होंने खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण, ग्रामीण खेल अवसंरचना, फिट इंडिया अभियान और खेलों में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर बल दिया। उनका दृष्टिकोण है कि भारत की युवा आबादी केवल जनसंख्या नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे शिक्षा, कौशल और खेल के माध्यम से वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सकता है।

आर्थिक विकास और उद्यमिता से जुड़े विषयों पर भी अनुराग ठाकुर लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने स्टार्टअप, डिजिटल भुगतान, नवाचार, कौशल विकास और निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियों का समर्थन किया। वित्त मंत्रालय में अपने पूर्व अनुभव का लाभ उठाते हुए उन्होंने संसद में आर्थिक सुधारों, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन से जुड़े विषयों पर तथ्यपूर्ण हस्तक्षेप किए।

राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा मामलों पर भी उनकी विशेष रुचि रही है। वर्ष 2016 में वे टेरिटोरियल आर्मी में नियमित अधिकारी के रूप में शामिल होने वाले पहले मौजूदा भाजपा सांसद बने, और बाद में कैप्टन के पद तक पदोन्नत हुए। संसद में उन्होंने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, सीमा सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से जुड़े विषयों पर भी अपने विचार रखे।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अनुराग ठाकुर भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। हाल के वर्षों में उन्होंने इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन (IPU) की बैठकों, संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संसदीय मंचों तथा विश्व व्यापार संगठन की संसदीय समितियों में भारत का पक्ष रखा। संसदीय कूटनीति में उनकी सक्रिय भूमिका यह दर्शाती है कि वे भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत बनाने के प्रयासों में भी सहभागी रहे हैं।

संसद के बाहर भी उनका जनसंपर्क लगातार बना रहा है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की समीक्षा, युवाओं से संवाद, खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी और सामाजिक संगठनों के साथ नियमित संपर्क उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। समर्थकों के अनुसार वे अपने क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं।

अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में अनुराग ठाकुर को अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। उन्हें संसद रत्न पुरस्कार, चैम्पियंस ऑफ चेंज अवॉर्ड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर तथा ग्लोबल फंड द्वारा ग्लोबल चैंपियन जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं।

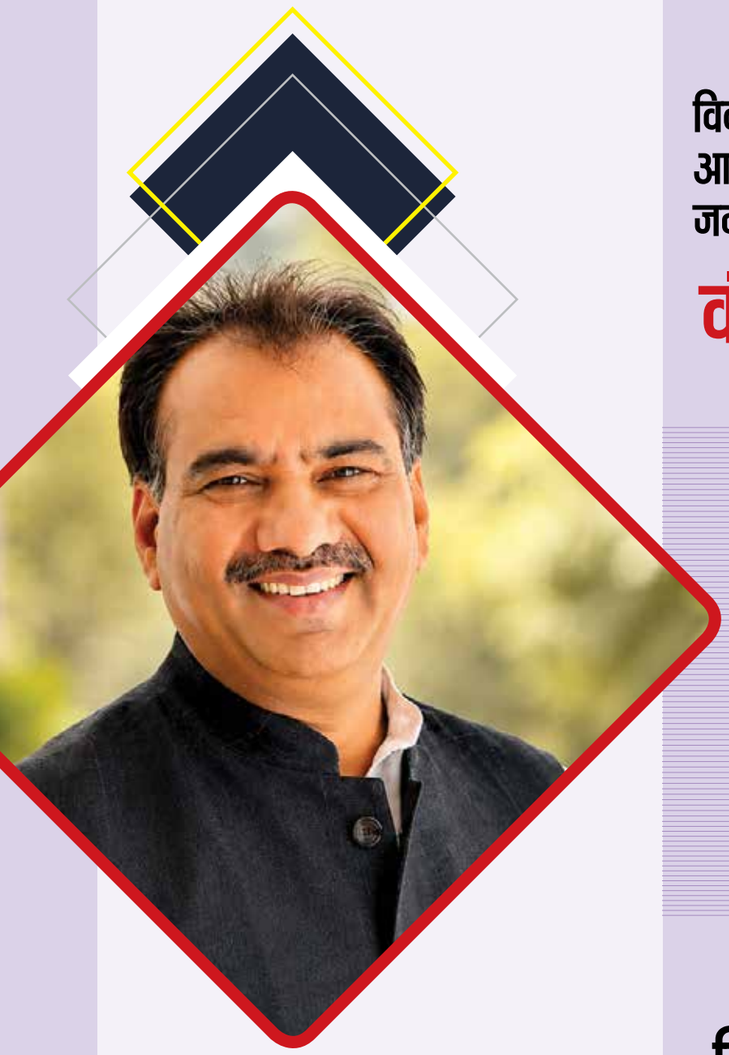

असरदार

विकासोन्मुख सोच और अमरोहा की आवाज़ को संसद तक पहुँचाने वाले जनप्रतिनिधि

कंवर सिंह तंवर

अमरोहा, उत्तर प्रदेश (भाजपा)

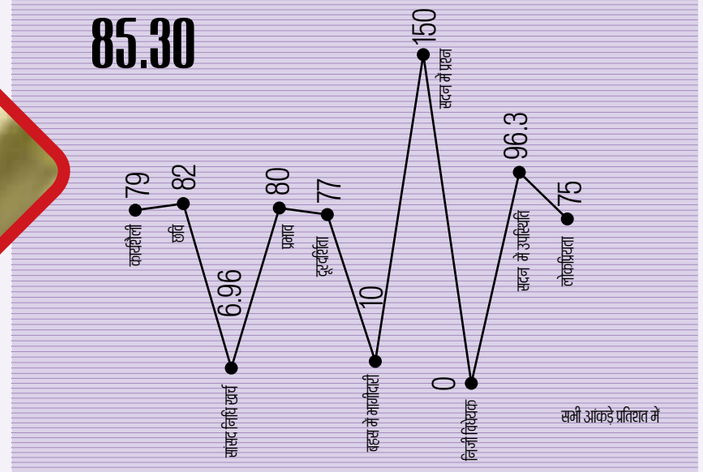

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी पहचान केवल चुनावी सफलता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि संगठन, जनसंपर्क और विकास कार्यों के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता उन्हें अलग पहचान दिलाती है। अमरोहा से दूसरी बार लोकसभा पहुँचे कंवर सिंह तंवर ऐसे ही नेताओं में शामिल हैं। 18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में उन्होंने संसद के भीतर क्षेत्रीय विकास, कृषि, आधारभूत संरचना और जनकल्याण से जुड़े विषयों को लगातार उठाने का प्रयास किया।

दिल्ली के असोला गाँव में 21 जनवरी 1961 को जन्मे कंवर सिंह तंवर का जीवन सामान्य ग्रामीण परिवेश से शुरू हुआ। उन्होंने

प्रारंभिक शिक्षा सरकारी विद्यालय से प्राप्त की और बाद में व्यवसाय तथा सामाजिक कार्यों के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुए। राजनीति में आने से पहले वे उद्यमी के रूप में भी जाने जाते रहे। निजी जीवन में उनकी पत्नी राजवती तंवर हैं और परिवार में चार पुत्र एवं एक पुत्री हैं। सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में उनकी नियमित भागीदारी उनके सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है।

कंवर सिंह तंवर ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में लंबे समय तक सक्रिय रहकर अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। वर्ष 2014 में वे पहली बार अमरोहा से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 2019 में उन्हें मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2024 के चुनाव में उन्होंने फिर से जनता का विश्वास हासिल करते हुए अमरोहा सीट पर वापसी की। यह जीत उनके लंबे जनसंपर्क और क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने का परिणाम मानी गई।

सांसद निधि से विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, सामुदायिक भवन, सीसी सड़कें, सोलर लाइटें, पेयजल सुविधाएँ, सार्वजनिक स्थलों का विकास तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई। इन कार्यों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों को गति देना रहा। विभिन्न स्थानीय विकास बैठकों में भी उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि सांसद निधि का उपयोग पारदर्शी और जनहितकारी परियोजनाओं पर हो।

18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में उन्होंने संसद की कार्यवाही में नियमित भागीदारी निभाई। सार्वजनिक संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे, बहसों में भाग लिया तथा अमरोहा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े विकास संबंधी मुद्दों को सदन में उठाया। उनके प्रश्नों में ग्रामीण विकास, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पेयजल, रेलवे और सामाजिक कल्याण जैसी प्राथमिकताएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं।

अमरोहा मुख्यतः कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसलिए किसानों की समस्याएँ उनके संसदीय एजेंडे का प्रमुख हिस्सा रहीं। उन्होंने कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उनका मानना है कि कृषि क्षेत्र को मजबूत किए बिना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समग्र आर्थिक विकास की कल्पना अधूरी है।

क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास को लेकर भी उन्होंने लगातार प्रयास किए। सड़क संपर्क, राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन, ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा रेलवे सुविधाओं के विस्तार से जुड़े मुद्दों को उन्होंने संसद और संबंधित मंत्रालयों के समक्ष रखा। उनका विश्वास है कि बेहतर परिवहन व्यवस्था से उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे तथा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्होंने कई मुद्दे उठाए। सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता, जिला अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों एवं आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता पर उन्होंने जोर दिया। उनके अनुसार विकास का वास्तविक लाभ तभी संभव है, जब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएँ गाँवों तक प्रभावी रूप से पहुँचें।

संसदीय प्रश्नों के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण आवास, पेयजल, स्वच्छता, डिजिटल सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और युवाओं के रोजगार जैसे अनेक विषयों पर सरकार से जानकारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी रुचि केवल अपने संसदीय क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास की व्यापक प्रक्रिया से भी जुड़ी हुई है।

कंवर सिंह तंवर की कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण पक्ष अपने संसदीय क्षेत्र में निरंतर मौजूदगी है। वे नियमित रूप से गाँवों का दौरा करते हैं, स्थानीय प्रशासन के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं और जनसुनवाई के माध्यम से नागरिकों की समस्याएँ सुनते हैं। समर्थकों के अनुसार वे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, सामुदायिक भवन, पेयजल और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास पर लगातार ध्यान देते रहे हैं। वे सन 2010 से सार्वजनिक जीवन में आने के बाद से हर साल 150 से भी अधिक गरीब बच्चियों की शादियां अपने खर्च पर करवाते हैं। उसी साल उन्होंने 5 मोबाइल डिस्पेंसरियां भी शुरू करवायीं, जो गांव-गांव में जाकर गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराती हैं।

संसद में उनकी शैली अपेक्षाकृत शांत, व्यावहारिक और विषय-केंद्रित मानी जाती है। वे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की अपेक्षा विकास संबंधी मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। संसद के भीतर उनके हस्तक्षेपों में क्षेत्रीय आवश्यकताओं और राष्ट्रीय नीतियों के बीच संतुलन दिखाई देता है।

संसद के बाहर भी वे सामाजिक, धार्मिक और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेते रहे हैं। अमरोहा में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े अनेक कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति स्थानीय नागरिकों के साथ उनके सतत संवाद को दर्शाती है। यही जनसंपर्क उनकी राजनीतिक कार्यशैली की महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है।

18वीं लोकसभा का पहला वर्ष इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा कि कंवर सिंह तंवर ने अपने अनुभव को विकासोन्मुख राजनीति के साथ जोड़ने का प्रयास किया। उनकी कार्यशैली यह संकेत देती है कि वे जनप्रतिनिधित्व को केवल राजनीतिक दायित्व नहीं, बल्कि विकास और सार्वजनिक सेवा का माध्यम मानते हैं।

व्यवहार कुशल

लोकसभा

संसदीय विमर्श, संवैधानिक दृष्टि और राष्ट्रीय मुद्दों की मुखर आवाज़

मनीष तिवारी

चंडीगढ़, चंडीगढ़ (कांग्रेस)

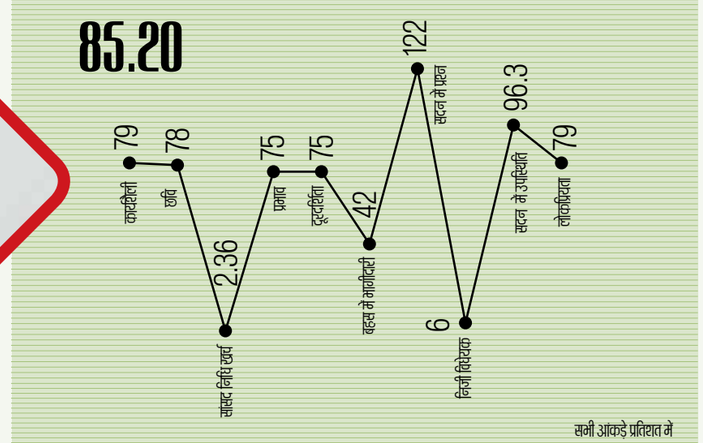

सभी आंकड़े प्रतिशत में

लोकसभा में जब संविधान, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, न्यायिक सुधार, लोकतांत्रिक संस्थाओं या पंजाब से जुड़े विकास के मुद्दों पर गंभीर चर्चा होती है, तो मनीष तिवारी की बात को राजनीतिक मतभेदों से इतर भी गंभीरता से सुना जाता है। चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले मनीष तिवारी ने अपने लंबे राजनीतिक अनुभव, कानूनी समझ और अध्ययनशील कार्यशैली के बल पर संसद में एक अलग पहचान बनाई है। 18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में भी उन्होंने यही साबित करने का प्रयास किया कि एक सांसद की भूमिका केवल सरकार का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि नीतियों की गहन समीक्षा करना और जनता के हितों को प्रभावी ढंग से सामने रखना भी है।

चंडीगढ़ में 8 दिसंबर 1965 को जन्मे मनीष तिवारी ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद कानून की पढ़ाई की और छात्र राजनीति से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। वे पंजाब विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष भी रहे। पेशे से अधिवक्ता रहे तिवारी लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे और वर्ष 2009 से 2014 के बीच भारत सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई। सार्वजनिक जीवन के साथ-साथ वे एक गंभीर लेखक भी हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति तथा समकालीन राजनीति पर उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी पत्नी डॉ. नाजनीन अंसारी चिकित्सक हैं और सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ से मिली जीत उनके संसदीय जीवन का एक नया अध्याय साबित हुई। इससे पहले वे आनंदपुर साहिब का प्रतिनिधित्व कर चुके थे, लेकिन चंडीगढ़ जैसे शहरी और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी ने उनके कार्यक्षेत्र को और व्यापक बनाया। संसद में उनका पहला वर्ष इस बात का संकेत देता है कि उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ शहर की स्थानीय आवश्यकताओं को भी समान प्राथमिकता दी।

18वीं लोकसभा का पहला वर्ष यह दर्शाता है कि मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ के सांसद के रूप में अपनी भूमिका को गंभीरता, अध्ययन और सक्रियता के साथ निभाने का प्रयास किया है। उत्कृष्ट संसदीय उपस्थिति, बहसों में प्रभावी भागीदारी, बड़ी संख्या में पूछे गए प्रश्न, संविधान और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर सार्थक हस्तक्षेप तथा चंडीगढ़ के विकास से जुड़े मुद्दों की निरंतर पैरवी उन्हें समकालीन भारतीय संसद के गंभीर और अध्ययनशील सांसदों में विशिष्ट स्थान दिलाती है। उनकी राजनीति का केंद्र केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाते हुए विकास और जनहित के प्रश्नों को नीति के केंद्र में स्थापित करना दिखाई देता है।

18वीं लोकसभा के पहले वर्ष में मनीष तिवारी का संसदीय प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। सार्वजनिक संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने 95 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने 40 से अधिक बहसों में भाग लिया, 150 से अधिक प्रश्न पूछे तथा अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष उल्लेख और नीतिगत हस्तक्षेप किए। पहली ही पारी में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी सक्रियता उन्हें लोकसभा के अधिक सक्रिय सांसदों की श्रेणी में रखती है। (PRS India)

संसद में उनके हस्तक्षेपों का सबसे बड़ा आधार संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने का दृष्टिकोण रहा। उन्होंने न्यायिक सुधार, संसद की कार्यप्रणाली, संघीय ढाँचे, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति जैसे विषयों पर विस्तार से अपने विचार रखे। उनकी शैली का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वे बहस को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रखते, बल्कि ऐतिहासिक संदर्भों, संवैधानिक प्रावधानों और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर अपनी बात रखते हैं।

चंडीगढ़ से जुड़े स्थानीय मुद्दों को भी उन्होंने लगातार संसद में उठाया। शहर में बढ़ते यातायात दबाव, स्मार्ट शहरी अवसंरचना, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े विषय उनके संसदीय एजेंडे में प्रमुखता से शामिल रहे। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि चंडीगढ़ केवल एक शहर नहीं, बल्कि दो राज्यों की राजधानी और देश का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र है, इसलिए यहाँ की विकास आवश्यकताओं को विशेष दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

स्वास्थ्य और शिक्षा भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहे। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों के विस्तार तथा उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता सुधार से जुड़े प्रश्न संसद में उठाए। उनका मानना है कि भारत की विकास यात्रा तभी टिकाऊ होगी जब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश लगातार बढ़े।

राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति जैसे विषयों पर उनकी विशेषज्ञता संसद में स्पष्ट दिखाई देती है। सीमाई सुरक्षा, रक्षा आधुनिकीकरण, वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और भारत की रणनीतिक भूमिका पर उन्होंने कई अवसरों पर विचार रखे। सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाते समय भी उनका प्रयास तथ्यों और तर्कों के आधार पर रचनात्मक विमर्श प्रस्तुत करने का रहा। यही कारण है कि उनके भाषणों में राजनीतिक आलोचना के साथ-साथ नीति संबंधी सुझाव भी समान रूप से दिखाई देते हैं।

संसदीय प्रश्नों के माध्यम से भी उन्होंने व्यापक विषयों पर सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, डिजिटल शासन, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक विकास, रोजगार, महिला सुरक्षा, न्यायिक सुधार, नागरिक उड्डयन और शहरी विकास जैसे विषयों पर उनके प्रश्न उनकी व्यापक नीति-रुचि को दर्शाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे केवल अपने संसदीय क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नीति निर्माण के विभिन्न आयामों पर सक्रिय रूप से नजर रखते हैं।

मनीष तिवारी की कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनका अध्ययन और तैयारी है। संसद में बोलने से पहले विषय का गहन अध्ययन करना उनकी पहचान बन चुका है। वे उन नेताओं में हैं जो जटिल संवैधानिक और कानूनी विषयों को भी सरल और तार्किक भाषा में प्रस्तुत करते हैं। संसद के बाहर भी वे लगातार नागरिकों, शिक्षाविदों, उद्योग जगत और युवा वर्ग के साथ संवाद बनाए रखते हैं। चंडीगढ़ में विभिन्न सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समूहों के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से वे स्थानीय समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते रहे हैं। उनके लिए जनप्रतिनिधित्व केवल संसद की कार्यवाही तक सीमित नहीं, बल्कि जनता के साथ निरंतर संवाद की प्रक्रिया है।

अग्रदूत

संसदीय परंपराओं के सजग प्रहरी और नीतिगत विमर्श की मुखर आवाज़

डेरेक ओ'ब्रायन

पश्चिम बंगाल (टीएमसी)

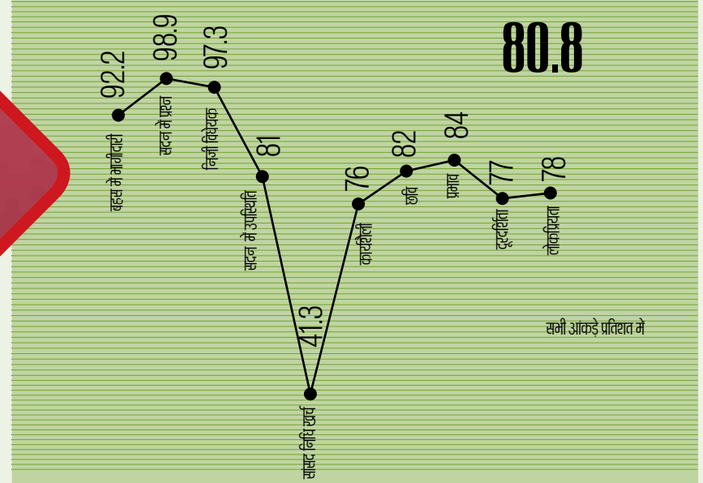

भारतीय संसद में कुछ सांसद ऐसे होते हैं जिनकी पहचान केवल राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि संसदीय प्रक्रियाओं की गहरी समझ, प्रभावशाली वक्तृत्व और नीतिगत बहसों में सक्रिय भागीदारी के कारण बनती है। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ऐसे ही जनप्रतिनिधियों में शामिल हैं। देश के लोकप्रिय क्विज़ मास्टर, लेखक और शिक्षाविद के रूप में पहचान बनाने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और पिछले डेढ़ दशक से अधिक समय से संसद में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख आवाज़ बने हुए हैं। सदन में उनकी सक्रियता, संसदीय नियमों की जानकारी और जनहित के मुद्दों पर लगातार हस्तक्षेप ने उन्हें राज्यसभा के सबसे चर्चित और प्रभावी सांसदों में स्थान दिलाया है।

कोलकाता में 13 मार्च 1961 को जन्मे डेरेक ओ'ब्रायन का प्रारंभिक जीवन शिक्षा और बौद्धिक वातावरण में बीता। उनके पिता नील ओ'ब्रायन भारत के प्रसिद्ध क्विज़ मास्टर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया के पूर्व प्रमुख थे। डेरेक ने सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल तथा स्कॉटिश चर्च कॉलेज, कोलकाता से शिक्षा प्राप्त की। राजनीति में आने से पहले उन्होंने पत्रकारिता, विज्ञापन और क्विज़ कार्यक्रमों की दुनिया में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। 'बॉर्नविटा क्विज़ कॉन्टेस्ट' के लोकप्रिय प्रस्तोता के रूप में वे देशभर में जाने गए। उन्होंने 50 से अधिक पुस्तकों का लेखन भी किया है। निजी जीवन में उनकी पत्नी डॉ. टोनुका बसु चिकित्सक हैं और उनकी एक पुत्री है।

वर्ष 2004 में वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से जुड़े और 2011 में पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद 2017 और 2023 में लगातार दोबारा चुने गए। वे राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के नेता तथा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका निभाते रहे

सांसद निधि से विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, पुस्तकालय, पेयजल सुविधाएँ, स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन, सामुदायिक भवन, खेल अवसंरचना, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास संबंधी कार्यों की अनुशंसा की गई। कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य अवसंरचना और शिक्षा संस्थानों को मजबूत करने पर भी विशेष बल दिया गया। उनका प्रयास रहा कि सांसद निधि का उपयोग ऐसे स्थायी विकास कार्यों में हो जिनका लाभ अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुँचे।

हैं। संसदीय अनुभव और प्रभावी संवाद क्षमता के कारण वे विपक्ष के प्रमुख रणनीतिकारों में भी गिने जाते हैं।

संसदीय सक्रियता की दृष्टि से डेरेक ओ'ब्रायन का रिकॉर्ड अत्यंत प्रभावशाली है। पीआरएस इंडिया के अनुसार वर्तमान कार्यकाल में उनकी 81 प्रतिशत उपस्थिति रही है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उन्होंने अब तक 346 बहसों में भाग लिया, 1,191 प्रश्न पूछे तथा 16 निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किए हैं। प्रश्न पूछने और बहसों में भागीदारी के मामले में वे राज्यसभा के सबसे सक्रिय सांसदों में लगातार शामिल रहे हैं। वर्ष 2020 के बजट सत्र के दौरान वे राज्यसभा में सर्वाधिक प्रश्न पूछने वाले सांसद भी रहे थे।

संसद में उनके हस्तक्षेपों का दायरा अत्यंत व्यापक रहा है। उन्होंने बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे, नागरिक उड्डयन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, कृषि, महिला सुरक्षा, संघीय ढांचे, आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय जैसे अनेक विषयों पर सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया। उनके प्रश्नों और भाषणों में अक्सर तथ्य, आंकड़े और संसदीय नियमों की स्पष्ट समझ दिखाई देती है।

पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य होने के कारण उन्होंने राज्य से जुड़े अनेक विषयों को भी लगातार राष्ट्रीय मंच पर उठाया। रेलवे परियोजनाओं, बंदरगाहों के विकास, बुनियादी ढांचे, चाय बागान श्रमिकों, पर्यटन, शहरी विकास और केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने संसद में विस्तार से अपनी बात रखी। उनका प्रयास रहा कि बंगाल के विकास संबंधी मुद्दों को राष्ट्रीय नीति निर्माण में पर्याप्त स्थान मिले।

डेरेक ओ'ब्रायन की पहचान केवल बहसों तक सीमित नहीं है। उन्होंने 16 निजी सदस्य विधेयकों के माध्यम से भी विभिन्न नीतिगत विषयों पर संसद का ध्यान आकर्षित किया। संसदीय सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने और नागरिक अधिकारों से जुड़े विषयों पर उनकी विधायी पहल यह दर्शाती है कि वे संसद को केवल राजनीतिक विमर्श नहीं, बल्कि नीतिगत सुधार का मंच भी मानते हैं।

संसदीय समितियों में भी उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। वे विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे हैं और वर्तमान में परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा गृह मामलों, आचार समिति और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जैसी महत्वपूर्ण समितियों में भी उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। समितियों के माध्यम से उन्होंने विधेयकों और नीतियों की विस्तार से समीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वर्ष 2012 में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। इसके अतिरिक्त हार्वर्ड, येल, कोलंबिया विश्वविद्यालय सहित अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों और भारतीय प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों में वे व्याख्यान दे चुके हैं। शिक्षा, लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं पर उनके विचार व्यापक रूप से सराहे जाते हैं।

संसद के बाहर भी डेरेक ओ'ब्रायन जनसंवाद और लोकतांत्रिक जागरूकता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। वे नियमित रूप से युवाओं, विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थानों के बीच संविधान, संसद और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका पर संवाद करते हैं। उन्होंने संसद की कार्यप्रणाली पर कई लोकप्रिय पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें Inside Parliament और Who Cares About Parliament विशेष रूप से चर्चित हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं के बीच संसदीय लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया।

लगभग डेढ़ दशक से अधिक के संसदीय जीवन में डेरेक ओ'ब्रायन ने स्वयं को एक सक्रिय, अध्ययनशील और प्रभावशाली सांसद के रूप में स्थापित किया है। उनका संसदीय सफर यह दर्शाता है कि लोकतंत्र में प्रभावी जनप्रतिनिधित्व केवल राजनीतिक वक्तव्यों से नहीं, बल्कि निरंतर तैयारी, संसदीय दक्षता और जनहित के मुद्दों पर सतत हस्तक्षेप से मजबूत होता है।

भारतीय संसद में कुछ सांसद ऐसे होते हैं जिनकी पहचान केवल राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि गंभीर अध्ययन, प्रभावशाली वक्तृत्व और नीतिगत बहसों में सक्रिय भागीदारी के कारण बनती है। ओडिशा से राज्यसभा सांसद डॉ. सस्मित पात्र ऐसे ही जनप्रतिनिधियों में शामिल हैं। शिक्षाविद, विधि विशेषज्ञ, नीति विश्लेषक और राजनेता के रूप में उनका अनुभव उन्हें उच्च सदन के उन सांसदों में स्थान दिलाता है जो संसदीय प्रक्रियाओं का प्रभावी उपयोग करते हुए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों के मुद्दों को मजबूती से उठाते रहे हैं। बीजू जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लंबे समय तक राज्यसभा में पार्टी के चीफ व्हिप की भूमिका निभाने वाले डॉ. पात्र ने संसदीय सक्रियता के आधार पर अपनी अलग पहचान बनाई है।

संवेदनशील

अध्ययनशील सांसद, प्रभावशाली वक्ता और नीतिगत विमर्श को दिशा देने वाली संसदीय आवाज़

डॉ. सस्मित पात्र

उड़ीसा (बीजेडी)

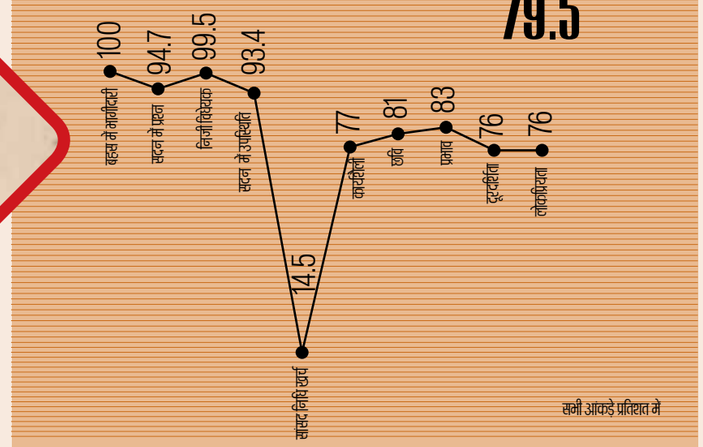

कटक में 23 मार्च 1979 को जन्मे डॉ. सस्मित पात्र का प्रारंभिक जीवन शिक्षा और बौद्धिक वातावरण से जुड़ा रहा। उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में पीएच.डी., एमबीए, एलएलबी तथा शिक्षा विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। राजनीति में आने से पहले वे शिक्षण, विधि, सार्वजनिक नीति और प्रशासनिक परामर्श जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से जुड़े परियोजनाओं पर कार्य किया, प्रबंधन संस्थानों में अध्यापन किया तथा सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में भी योगदान दिया। उनकी पत्नी डॉ. श्वेता मिलिसेंट पॉल शिक्षाविद हैं और परिवार के साथ वे भुवनेश्वर में रहते हैं।

वर्ष 2019 में वे पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और 2022 में दूसरी बार उच्च सदन पहुँचे। संसदीय सक्रियता की दृष्टि से डॉ. सस्मित पात्र का रिकॉर्ड अत्यंत प्रभावशाली रहा है। उनकी उपस्थिति 94 प्रतिशत रही है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। उन्होंने अब तक 2,000 से अधिक बहसों में भाग लिया है, 625 से अधिक प्रश्न पूछे हैं, तथा 23 निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किए हैं। राज्यसभा में इतनी व्यापक

राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने संगठनात्मक जिम्मेदारियाँ प्रभावी ढंग से निभाई हैं। बीजू जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय मीडिया में पार्टी का पक्ष रखा और राज्यसभा में लंबे समय तक पार्टी के संसदीय नेतृत्व का दायित्व संभाला। हाल के वर्षों में पार्टी के भीतर संगठनात्मक बदलावों के दौरान उन्होंने संसदीय नेतृत्व का दायित्व छोड़ दिया, लेकिन राज्यसभा सदस्य के रूप में उनकी सक्रिय भूमिका जारी रही।

भागीदारी उन्हें समकालीन दौर के सबसे सक्रिय सांसदों में शामिल करती है।

संसद में उनके हस्तक्षेपों का दायरा अत्यंत व्यापक रहा है। उन्होंने शिक्षा, कौशल विकास, महिला सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रोजगार, पर्यावरण, रेलवे, स्वास्थ्य, जनजातीय कल्याण, सामाजिक न्याय, कृषि और प्रशासनिक सुधार जैसे विषयों पर नियमित रूप से सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उनके प्रश्नों और भाषणों से यह स्पष्ट होता है कि वे विकास को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक और संस्थागत सुधारों के साथ जोड़कर देखते हैं।

ओडिशा से राज्यसभा सदस्य होने के कारण उन्होंने राज्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों को भी लगातार राष्ट्रीय मंच पर उठाया। उन्होंने ओडिशा में रेलवे अवसंरचना, खनिज संपदा के बेहतर उपयोग, तटीय विकास, आदिवासी क्षेत्रों के उत्थान, दूरसंचार नेटवर्क, शिक्षा संस्थानों के विस्तार और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर संसद में विस्तार से चर्चा की। विशेष रूप से रायगढ़ा जिले के दूरस्थ पंचायतों में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराने का मुद्दा उन्होंने प्रमुखता से उठाया, जिससे दूरदराज़ क्षेत्रों में डिजिटल संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई।

डॉ. पात्र की पहचान केवल प्रश्न पूछने वाले सांसद की नहीं, बल्कि गंभीर विधायी पहल करने वाले सांसद की भी रही है। उन्होंने 23 निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किए, जिनमें संवैधानिक सुधार, महिलाओं की सुरक्षा, विधिक सुधार, अनुसूचित समुदायों के कल्याण तथा प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े विषय शामिल हैं। परिवार के भीतर महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों की रोकथाम, अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन, राजद्रोह संबंधी प्रावधानों की समीक्षा तथा संविधान में विभिन्न संशोधनों से जुड़े उनके निजी विधेयक नीति-निर्माण के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाते हैं।

उनकी संसदीय शैली का एक महत्वपूर्ण पक्ष तथ्यपरक और संतुलित प्रस्तुति है। वे बहसों में केवल राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं रखते, बल्कि शोध, आँकड़ों और तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर अपनी बात रखते हैं। यही कारण है कि उन्हें उच्च सदन के प्रभावशाली वक्ताओं में गिना जाता है।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य के रूप में उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक सहयोग और सतत विकास जैसे विषयों पर भारत का पक्ष रखा। विदेश नीति और वैश्विक कूटनीति से जुड़े विषयों पर उनकी समझ उनके संसदीय भाषणों में भी दिखाई देती है।

राज्यसभा सांसद होने के कारण उनकी सांसद निधि से विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, पेयजल सुविधाएँ, स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन, सामुदायिक भवन, खेल सुविधाएँ, डिजिटल शिक्षण संसाधन, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था तथा ग्रामीण आधारभूत ढाँचे से जुड़े विकास कार्यों की अनुशंसा की गई। कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने और शिक्षा संस्थानों में बुनियादी सुविधाएँ विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

संसद के बाहर भी डॉ. सस्मित पात्र नीति विमर्श, शिक्षा और जनसंवाद में सक्रिय रहते हैं। विश्वविद्यालयों, थिंक टैंक, उद्योग संगठनों और युवा मंचों पर वे नियमित रूप से व्याख्यान देते हैं। डिजिटल इंडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महिला सुरक्षा, सुशासन और ओडिशा के विकास जैसे विषयों पर उनके विचार व्यापक रूप से चर्चा का विषय रहे हैं।

राज्यसभा के अपने कार्यकाल में डॉ. सस्मित पात्र ने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि उच्च सदन केवल विधायी प्रक्रिया का मंच नहीं, बल्कि गंभीर नीति विमर्श, प्रशासनिक सुधार और दीर्घकालिक राष्ट्रीय दृष्टि प्रस्तुत करने का भी माध्यम है। उत्कृष्ट संसदीय उपस्थिति, हजारों बहसों में भागीदारी, सैकड़ों प्रश्न, अनेक निजी सदस्य विधेयक, ओडिशा के विकास से जुड़े मुद्दों की निरंतर पैरवी तथा सांसद निधि के माध्यम से जनोपयोगी परियोजनाओं पर दिया गया जोर उन्हें देश के सक्रिय और अध्ययनशील राज्यसभा सदस्यों में विशिष्ट स्थान दिलाता है। उनकी कार्यशैली यह संकेत देती है कि वे संसद को लोकतांत्रिक संवाद, सुशासन और जनहितकारी नीति-निर्माण का सबसे प्रभावी मंच मानते हैं।

साहसी

मुखर वक्ता, संसदीय हस्तक्षेप और राजनीतिक संवाद की प्रभावशाली आवाज़

संजय राउत

महाराष्ट्र (शिवसेना यूबीटी)

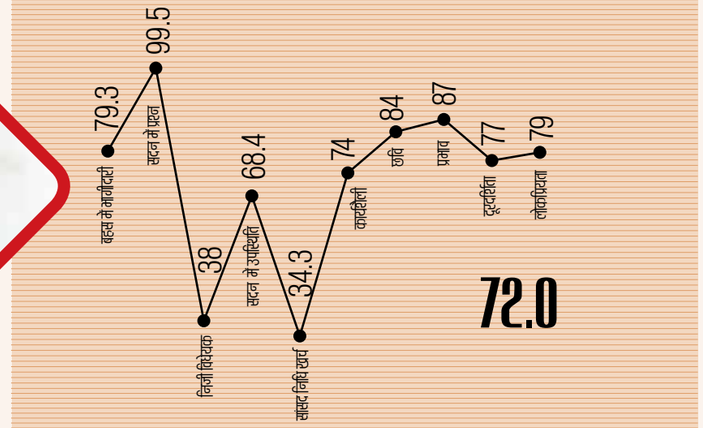

सभी आंकड़े प्रतिशत में

भारतीय राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनकी पहचान केवल चुनावी राजनीति से नहीं, बल्कि विचारों की स्पष्टता, संवाद कौशल और संसदीय सक्रियता से बनती है। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद संजय राउत इसी श्रेणी के नेताओं में शामिल हैं। पत्रकार, लेखक, संपादक और राजनेता के रूप में उन्होंने सार्वजनिक जीवन के विभिन्न आयामों में अपनी अलग पहचान बनाई है। शिवसेना और बाद में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख रणनीतिकार एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में वे लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहे हैं। संसद के भीतर उनकी सक्रिय भागीदारी और संसद के बाहर समसामयिक मुद्दों पर स्पष्ट राय रखने की शैली ने उन्हें देश के चर्चित सांसदों में शामिल किया है।

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में 15 नवंबर 1961 को जन्मे संजय राउत ने मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक शिक्षा प्राप्त की। सार्वजनिक जीवन की शुरुआत उन्होंने पत्रकारिता से की और शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' से जुड़े। समय के साथ वे इसके कार्यकारी संपादक बने और राजनीतिक लेखन तथा संपादकीय दृष्टिकोण के कारण व्यापक पहचान हासिल की। उन्होंने कई पुस्तकों का लेखन भी किया तथा 'ठाकरे' फिल्म की पटकथा लेखन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निजी जीवन में उनकी पत्नी वर्षा राउत हैं और उनके दो बच्चे हैं।

संजय राउत वर्ष 2004 में पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद वे लगातार चार बार उच्च सदन के सदस्य बने और दो दशकों से अधिक समय से महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वर्ष 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद वे राज्यसभा में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) संसदीय दल के नेता बने। संगठन और संसद—दोनों स्तरों पर उनकी भूमिका पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार के रूप में रही है।

लगभग दो दशक से अधिक के संसदीय जीवन में संजय राउत ने स्वयं को एक सक्रिय, मुखर और संवाद-केंद्रित सांसद के रूप में स्थापित किया है। बड़ी संख्या में पूछे गए प्रश्न, विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विषयों पर निरंतर हस्तक्षेप, संसदीय समितियों में सक्रिय भागीदारी तथा महाराष्ट्र के विकास से जुड़े मुद्दों की लगातार पैरवी उनकी संसदीय भूमिका को रेखांकित करती है। पत्रकारिता से राजनीति तक का उनका सफर इस बात का उदाहरण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रभावी जनप्रतिनिधित्व केवल सदन में उपस्थिति तक सीमित नहीं होता, बल्कि जनहित के मुद्दों पर निरंतर संवाद, अध्ययन और सक्रिय हस्तक्षेप से भी उसकी पहचान बनती है।

संसदीय सक्रियता की दृष्टि से संजय राउत का रिकॉर्ड उल्लेखनीय है। पीआरएस इंडिया के अनुसार उन्होंने अब तक 1,900 से अधिक प्रश्न पूछे हैं, जो राज्यसभा के सक्रिय सांसदों में उनकी पहचान को मजबूत करता है। उन्होंने 159 बहसों में भाग लिया है और अनेक राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। यद्यपि उनकी उपस्थिति लगभग 68 प्रतिशत रही है, लेकिन प्रश्न पूछने के मामले में वे लगातार सक्रिय रहे हैं और विभिन्न मंत्रालयों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते रहे हैं।

संसद में उनके प्रश्नों का दायरा अत्यंत व्यापक रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रेल, नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण, शहरी विकास, श्रम, पर्यटन, दूरसंचार और औद्योगिक विकास जैसे अनेक विषयों पर उन्होंने सरकार से प्रश्न पूछे। हाल के वर्षों में महाराष्ट्र के औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क, किसानों की सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं, रेलवे सुरक्षा, शहरी बाढ़, महिला सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और डिजिटल संचार जैसे विषयों पर उनके प्रश्न विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे हैं।

महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों को उन्होंने संसद में निरंतर प्राथमिकता दी। किसानों की समस्याएँ, मराठवाड़ा और विदर्भ में जल संकट, मुंबई महानगर की आधारभूत संरचना, रेलवे परियोजनाएँ, शहरी परिवहन, औद्योगिक निवेश तथा राज्य के आर्थिक विकास से जुड़े विषयों पर वे लगातार अपनी बात रखते रहे हैं। उनका प्रयास रहा कि महाराष्ट्र के विकास से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय नीति निर्माण के केंद्र में स्थान मिले।

संजय राउत की कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वे संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह सक्रिय संवाद बनाए रखते हैं। सदन में वे नियमों के अंतर्गत विभिन्न मुद्दे उठाते हैं, जबकि संसद के बाहर नियमित प्रेस वार्ताओं और सार्वजनिक संवाद के माध्यम से समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। उनकी स्पष्टवादिता और त्वरित प्रतिक्रिया देने की शैली ने उन्हें राष्ट्रीय मीडिया में एक प्रमुख राजनीतिक आवाज़ बनाया है।

विधायी बहसों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही है। उन्होंने संविधान, संघीय ढाँचे, लोकतांत्रिक संस्थाओं, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक नीति, विदेश नीति और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर अपनी बात रखी। हाल के वर्षों में उन्होंने संसद में स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी, संविधान के 75 वर्ष, गृह मंत्रालय के कामकाज, तथा परिसीमन (Delimitation) जैसे विषयों पर भी विस्तृत चर्चा में भाग लिया।

संसदीय समितियों में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। वे विभिन्न अवधियों में गृह मामलों की संसदीय समिति, विदेश मामलों की परामर्शदात्री समिति, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले समिति तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति सहित अनेक समितियों के सदस्य रहे हैं। इन समितियों के माध्यम से उन्होंने नीतिगत विषयों की गहन समीक्षा और सुझाव देने में योगदान दिया।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के अंतर्गत भी उन्होंने महाराष्ट्र में जनोपयोगी कार्यों को प्राथमिकता दी। सांसद निधि के माध्यम से विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन, पेयजल योजनाएँ, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आधारभूत विकास कार्यों की अनुशंसा की गई। कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने तथा स्थानीय संस्थाओं को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयासों में भी उनकी भूमिका रही।

संसद के बाहर भी संजय राउत साहित्य और पत्रकारिता से अपना जुड़ाव बनाए हुए हैं। लेखन, संपादकीय टिप्पणियों और सार्वजनिक व्याख्यानों के माध्यम से वे सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर अपने विचार साझा करते रहते हैं। समर्थकों का मानना है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल राजनीतिक विषयों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता है।

जवाबदेह

संगठन से संसद तक, जमीनी अनुभव और सक्रिय संसदीय भागीदारी की नई पहचान

मयंकभाई जयदेवभाई नायक

गुजरात (भाजपा)

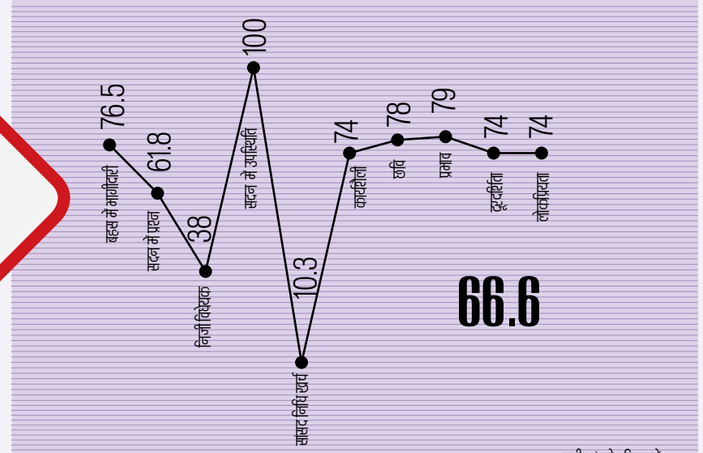

भारतीय राजनीति में अनेक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने लंबे समय तक संगठन में कार्य करने के बाद संसद तक का सफर तय किया है। गुजरात से राज्यसभा सांसद मयंकभाई जयदेवभाई नायक इसी श्रेणी के नेताओं में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में तीन दशक से अधिक समय तक सक्रिय रहने के बाद वर्ष 2024 में वे पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। संगठनात्मक अनुभव, जमीनी कार्यशैली और विकासोन्मुख दृष्टिकोण ने उन्हें गुजरात भाजपा के प्रमुख ओबीसी नेताओं में स्थापित किया है। राज्यसभा में अपने पहले ही कार्यकाल के दौरान उन्होंने उल्लेखनीय संसदीय सक्रियता के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयास किया है।

मयंकभाई नायक का जन्म गुजरात में हुआ। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया और प्रारंभिक जीवन से ही सामाजिक तथा संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े रहे। राजनीति में उनका प्रवेश 1992 के आसपास हुआ। उन्होंने मेहसाणा जिले की स्थानीय राजनीति से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और बाद में भाजपा संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियाँ निभाईं। वे गुजरात भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे तथा गांधीनगर और पाटन जैसे महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने का कार्य किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहने के साथ-साथ वे धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं में भी सक्रिय रहे हैं।

फरवरी 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गुजरात से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया और वे निर्विरोध निर्वाचित हुए। यह उनके लंबे संगठनात्मक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी उम्मीदवारी भाजपा द्वारा संगठन में लंबे समय तक कार्य करने वाले नेताओं को संसदीय अवसर देने की नीति का भी उदाहरण थी।

राज्यसभा

संसद के बाहर भी मयंकभाई नायक संगठन और समाज के बीच निरंतर सक्रिय रहते हैं। भाजपा संगठन में वर्षों तक कार्य करने के कारण उनकी पहचान एक सहज, सुलभ और जमीनी नेता की रही है। वे सामाजिक समरसता, ओबीसी समुदाय के सशक्तिकरण, युवा भागीदारी और स्थानीय विकास से जुड़े कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेते हैं। समर्थकों का मानना है कि संगठनात्मक अनुभव ने उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर संतुलित दृष्टिकोण प्रदान किया है।

राज्यसभा में उनका संसदीय प्रदर्शन पहले ही कार्यकाल में उल्लेखनीय रहा है। सदन में उनकी उपस्थिति 100 प्रतिशत रही है, जो किसी भी सांसद के लिए उत्कृष्ट मानी जाती है। उन्होंने अब तक 151 बहसों में भाग लिया तथा 255 प्रश्न पूछे हैं। पहली बार संसद पहुँचने वाले सांसद के लिए यह सक्रियता उल्लेखनीय मानी जाती है और यह दर्शाती है कि उन्होंने संसदीय दायित्वों को पूरी गंभीरता से निभाने का प्रयास किया है।

संसद में उनके प्रश्नों और हस्तक्षेपों का दायरा काफी व्यापक रहा है। उन्होंने कृषि, डिजिटल इंडिया, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई), ऊर्जा, रेलवे, पर्यटन, श्रम एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शहरी विकास जैसे अनेक विषयों पर सरकार से जानकारी प्राप्त की। उनके प्रश्नों से स्पष्ट होता है कि वे केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते, बल्कि राष्ट्रीय विकास से जुड़े विविध विषयों में रुचि रखते हैं।

गुजरात से जुड़े विषयों को उन्होंने विशेष प्राथमिकता दी। उन्होंने गांधीनगर से नई वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा प्रारंभ करने, अहमदाबाद डाक प्रभाग के पुनर्गठन, मेहसाणा क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज के पुनर्निर्माण तथा गुजरात के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने जैसे विषय संसद में उठाए। उनके हस्तक्षेपों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वे राज्य की आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास और बेहतर परिवहन व्यवस्था को आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार मानते हैं।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था उनके संसदीय एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने पीएम किसान, डिजिटल कृषि, ऑपरेशन ग्रीन्स, प्राकृतिक खेती, नैनो उर्वरक, खाद्य प्रसंस्करण तथा किसानों की आय बढ़ाने वाली योजनाओं पर कई प्रश्न पूछे। उनका प्रयास रहा कि कृषि में आधुनिक तकनीक और मूल्य संवर्धन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के उपायों को और मजबूत किया जाए।

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास को लेकर भी वे लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, एमएसएमई पंजीकरण, स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश से जुड़े विषयों पर सरकार से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। एक इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले जनप्रतिनिधि होने के कारण तकनीकी और औद्योगिक विकास से जुड़े विषयों में उनकी विशेष रुचि दिखाई देती है।

स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषय उठाए। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत, ईएसआईसी अस्पतालों के उन्नयन, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, दिव्यांगजन कल्याण तथा स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण जैसे विषय उनके प्रश्नों और विशेष उल्लेखों में शामिल रहे।

संसद में उनकी कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वे केवल प्रश्न पूछने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि विशेष उल्लेखों के माध्यम से भी विभिन्न जनहित के विषय उठाते हैं। उन्होंने सामाजिक नवाचार को प्रोत्साहन, जल संरक्षण, एकल बुजुर्गों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण पर्यटन, पारंपरिक कलाकारों के कल्याण, प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु संबंधी विषयों पर भी सदन का ध्यान आकर्षित किया। इससे उनकी व्यापक नीति-दृष्टि का परिचय मिलता है।

राज्यसभा सांसद होने के कारण उनकी अनुशंसाएँ गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालयों के विकास, पेयजल सुविधाओं, सामुदायिक भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, ग्रामीण सड़कों, खेल सुविधाओं और सार्वजनिक आधारभूत संरचना के निर्माण से जुड़ी रही हैं। उनका दृष्टिकोण यह रहा है कि सांसद निधि का उपयोग ऐसे स्थायी कार्यों में हो, जिनका लाभ लंबे समय तक स्थानीय समुदायों को मिलता रहे।

राज्यसभा के अपने पहले कार्यकाल में मयंकभाई जयदेवभाई नायक ने यह संकेत दिया है कि वे संसद को केवल राजनीतिक विमर्श का मंच नहीं, बल्कि विकास, सुशासन और जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ाने का प्रभावी माध्यम मानते हैं। आने वाले वर्षों में उनसे अपेक्षा रहेगी कि वे इसी सक्रियता और जनप्रतिबद्धता के साथ संसद और गुजरात—दोनों के विकास में अपनी भूमिका को और सशक्त बनाएँ।

उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी ऐसे राजनेताओं में शामिल हैं जिनकी पहचान केवल चुनावी जीत से नहीं, बल्कि संगठन निर्माण, वैचारिक प्रतिबद्धता और लंबे सार्वजनिक जीवन से बनती है। चिकित्सक, संगठनकर्ता और जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने चार दशक से अधिक समय तक भारतीय जनता पार्टी और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राज्यसभा में पार्टी के चीफ व्हिप तक की उनकी यात्रा संगठनात्मक क्षमता और संसदीय अनुभव का प्रमाण मानी जाती है।

जनसेवक

संगठन की शक्ति, संसदीय अनुशासन और जनसेवा का विश्वसनीय चेहरा

डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी

उत्तर प्रदेश (भाजपा)

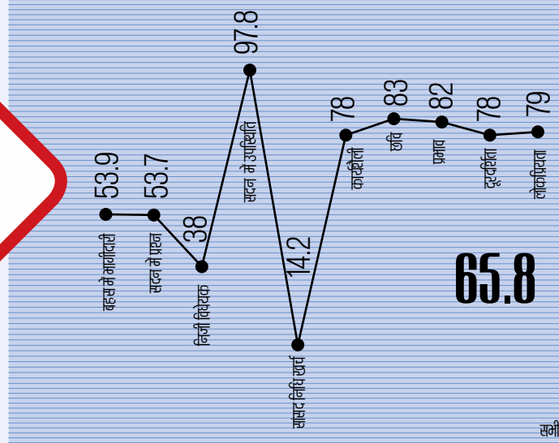

सभी आंकड़े प्रतिशत में

उत्तर प्रदेश के मेरठ में 20 जुलाई 1951 को जन्मे डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी का प्रारंभिक जीवन शिक्षा, सामाजिक सरोकार और भारतीय संस्कृति से जुड़े वातावरण में बीता। उन्होंने स्कूल के दिनों से ही आरएसएस की सक्रिय सदस्यता ले ली थी। मेरठ कॉलेज से बी.एससी. की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय से बीएएमएस की डिग्री हासिल की और आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत की।

उनका पारिवारिक जीवन भी शिक्षा और पेशेवर उपलब्धियों से समृद्ध रहा है। उनकी पत्नी डॉ. मधु बाजपेयी मेरठ कॉलेज के ड्राइंग एंड पेंटिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर रहीं और शिक्षा जगत में सम्मानित स्थान रखती हैं। उनके पुत्र पर्णेन्दु बाजपेयी सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड हैं, जबकि पुत्रवधू स्मृति बाजपेयी भी विधि व्यवसाय से जुड़ी हैं। उनकी तीनों पुत्रियाँ—नम्रता, डॉ. निवेदिता और डॉ. निहारिका—अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कर चुकी हैं।

राज्यसभा

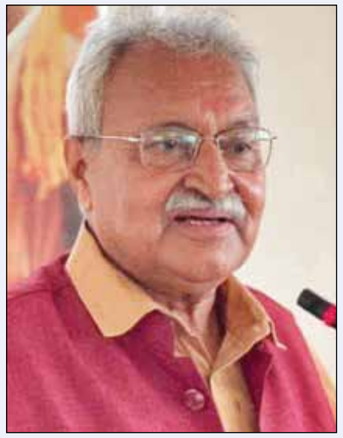

डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी का सार्वजनिक जीवन इस बात का उदाहरण है कि लोकतंत्र में प्रभावी नेतृत्व केवल लोकप्रियता से नहीं, बल्कि निरंतर अध्ययन, संगठन के प्रति समर्पण, प्रशासनिक अनुभव और जनसेवा की प्रतिबद्धता से निर्मित होता है। राज्यसभा में उनकी सक्रियता, और उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति उनका सतत आग्रह उन्हें देश के अनुभवी, अनुशासित और उत्तरदायी जनप्रतिनिधियों की अग्रिम पंक्ति में स्थापित करती हैं। उनके व्यक्तित्व में संगठनकर्ता की दृढ़ता, चिकित्सक की संवेदनशीलता और जनप्रतिनिधि की जवाबदेही का संतुलित समन्वय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

डॉ. बाजपेयी का राजनीतिक जीवन संगठन से प्रारंभ हुआ। भारतीय जनता युवा मोर्चा से लेकर भाजपा के विभिन्न संगठनात्मक दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। वर्ष 1989 में वे पहली बार मेरठ से विधायक चुने गए। इसके बाद वे कुल चार बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वर्ष 2002 में उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री बनाया गया। मंत्री के रूप में उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया।

उनके राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय वर्ष 2012 से 2016 के बीच उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सामने आया। उस समय भाजपा राज्य में संगठनात्मक विस्तार के अभियान में जुटी थी। डॉ. बाजपेयी ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और जनसंपर्क को नई दिशा देने का कार्य किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनके कार्यकाल में तैयार हुआ मजबूत संगठनात्मक ढांचा वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की अभूतपूर्व सफलता का महत्वपूर्ण आधार बना।

वर्ष 2022 में उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया। संसद में उनके अनुभव और संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया।

राज्यसभा में उनका संसदीय प्रदर्शन भी अत्यंत प्रभावशाली रहा है। उनकी लगभग 98 प्रतिशत उपस्थिति रही है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। उन्होंने 68 से अधिक बहसों में भाग लिया तथा 200 से अधिक प्रश्न पूछे हैं। उनके प्रश्नों का दायरा आयुष, स्वास्थ्य, कृषि, रेलवे, सड़क परिवहन, पर्यावरण, जल संरक्षण, ग्रामीण विकास, शिक्षा, डिजिटल सेवाओं, ऊर्जा और सामाजिक कल्याण जैसे विविध विषयों तक फैला हुआ है।

चिकित्सक होने के कारण स्वास्थ्य और आयुष से जुड़े विषय उनके विशेष रुचि के क्षेत्र रहे हैं। उन्होंने संसद में आयुष चिकित्सा संस्थानों के विस्तार, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षण, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उनका मानना है कि आधुनिक चिकित्सा और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का समन्वय देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बना सकता है।

उत्तर प्रदेश, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर भी वे लगातार मुखर रहे हैं। उन्होंने मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में सड़क, रेलवे, शहरी अवसंरचना, सिंचाई, कृषि आधारित उद्योग और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े विषय संसद में उठाए। किसानों की आय बढ़ाने, पशुपालन को आधुनिक बनाने, जैविक खेती को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से उन्होंने सरकार से जवाबदेही भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया।

संसद में उनकी कार्यशैली संयमित, तथ्यों पर आधारित और समाधानोन्मुख मानी जाती है। वे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की अपेक्षा विषय की गहराई और व्यावहारिक सुझावों के साथ अपनी बात रखते हैं। यही कारण है कि संसदीय प्रक्रियाओं और विधायी विषयों पर उनकी समझ को सभी दलों के सांसद सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।

उनकी अनुशंसाओं के आधार पर सांसद निधि से कई विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, पेयजल सुविधाओं का विस्तार, सामुदायिक भवनों का निर्माण, स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन, ग्रामीण सड़कों का विकास, सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता मिली। उनका दृष्टिकोण रहा है कि सांसद निधि का उपयोग ऐसे स्थायी विकास कार्यों में हो, जिनका लाभ समाज के अधिक से अधिक लोगों तक लंबे समय तक पहुँचे।

संसद के बाहर भी डॉ. बाजपेयी सामाजिक, शैक्षणिक और संगठनात्मक गतिविधियों में निरंतर सक्रिय रहते हैं। चिकित्सा शिविरों, सामाजिक संस्थाओं, शैक्षणिक कार्यक्रमों और पार्टी के प्रशिक्षण शिविरों में उनकी नियमित भागीदारी रहती है। कार्यकर्ताओं से सहज संवाद, सादगीपूर्ण जीवनशैली और अनुशासित सार्वजनिक आचरण उनकी विशेष पहचान माने जाते हैं।

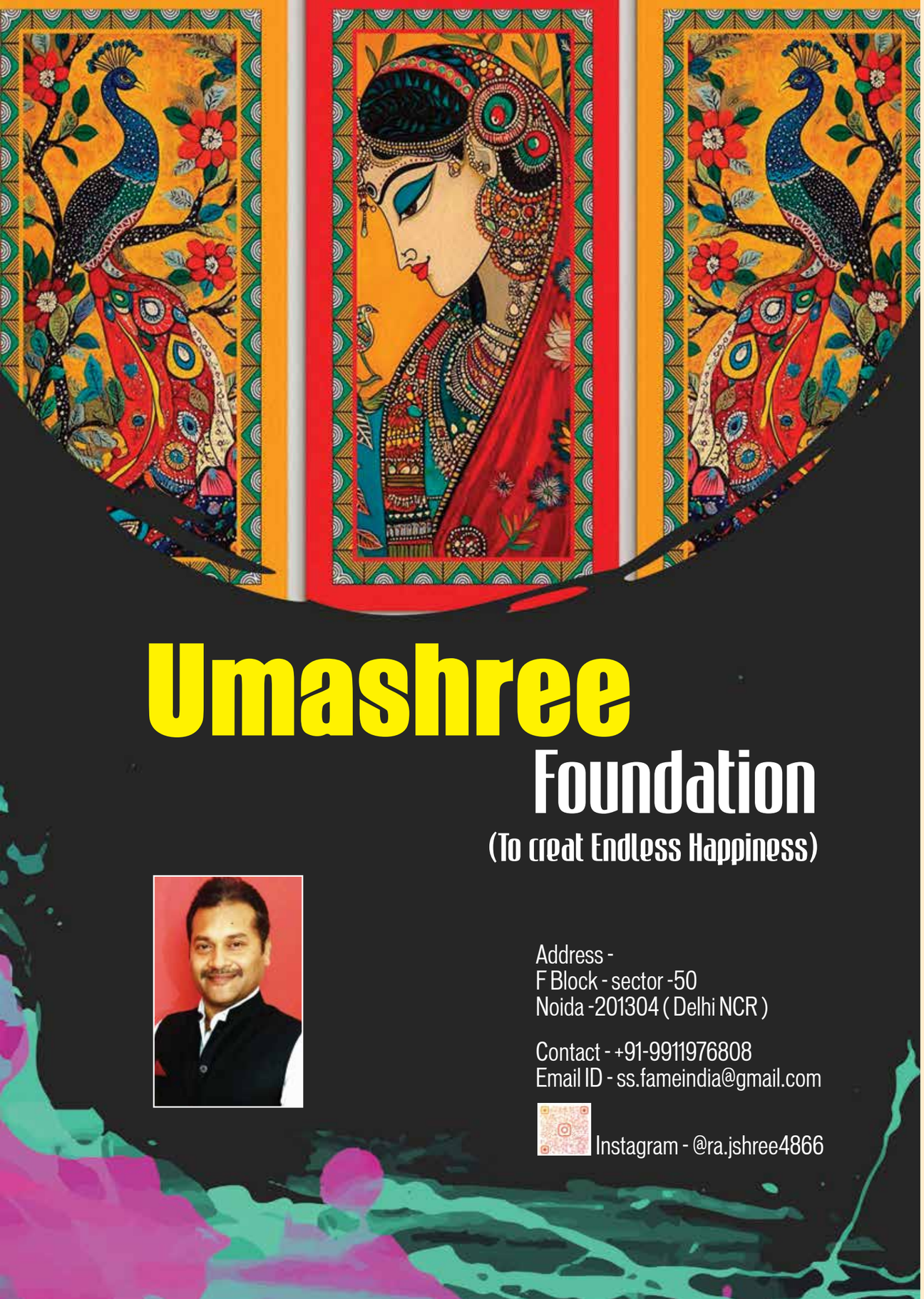

इंपैक्ट फीचर

देश के हिन्दू तीर्थ स्थलों में बिहार के मधुबनी जिला मुख्यालय के निकट मंगरौनी गांव स्थित एकादश रुद्र महादेव का अलग ही महत्व है. ये महत्व इसलिये भी बढ़ जाता है कि यह अपने आप में दुनिया में अनोखी जगह है, जहां एक साथ शिव के विभिन्न रूपों 11 शिवलिंगों का दर्शन व पूजन का अवसर मिलता है. यहां शिव 11 रूपों महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नील लोहित, ईशान, विजय, भीम देवदेवा, भदोद्भव एवं कपालिश्च के दर्शन का सौभाग्य शिव भक्तों को विशेष तौर पर मिलता है.

मधुबनी में स्थापित है एकादश रुद्र महादेव का दुर्लभ मंदिर

इसके अलावा इस एकादश रुद्र मंदिर परिसर में विष्णु के विभिन्न अवतारों, श्री विद्या यंत्र, विष्णुपद गया क्षेत्र, महाकाल, महाकाली, गणेश सरस्वती आदि साथ ही आम एवं महुआ का आलिंगन-बद्ध वृक्ष, भगवान शिव, पार्वती, महा-लक्ष्मी, महा-सरस्वती यंत्र, विष्णु-पादुका आदि के भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है.

इस परिसर स्थित पीपल वृक्ष का भी तांत्रिक महत्तम अलग ही है. कहते हैं कि इसके स्पर्श मात्र से भूत प्रेत के प्रभाव से लोगों को मुक्ति मिल जाती है. वहीं श्री विद्या यंत्र के दर्शन व पूजन से लक्ष्मी एवं सरस्वती दोनों की कृपा बनी रहती है.

सोमवार के दिन यहां भंडारे का आयोजन किया जाता है, इस दिन यहां रुद्राभिषेक एवं षोडषोपचार पूजन करते हैं तो उनकी इच्छित मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं. पंडित जी बताते हैं कि यहां एक ही शक्ति-वेदी पर स्थापित शिव के सभी एकादश रुद्र लिंग रूपों में 10 मई से 21 मई 2000 ई. के बीच विभिन्न तरह की आकृतियां उभर आयीं.

1 महादेव – विगत 30 जुलाई 2001 को अर्द्ध-नारीश्वर का रूप प्रकट हुआ है. कामाख्या माई का ये भव्य रूप है. पांचवें सोमवारी के दिन गणेश जी गर्भ में प्रकट हुए. शिवलिंग पर ये रूप स्पष्ट नजर आती है.

2 शिव – प्रभु श्री राम ने कहा था कि मैं ही शिव हूं. इस लिंग में सिंहासन का चित्र उभरा है, जो प्रभु श्री राम का सिंहासन दर्शाता है.

3 रुद्र – भय को हराने वाले इस लिंग में बजरंगबली पहाड़ लेकर उड़ रहे है बड़ा ही अद्भुत चित्र प्रकट हुआ है.

4 शंकर – गीता के दसवें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही शंकर हूं. इस लिंग में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, बांसुरी और बाजूबंध स्पष्ट दृष्टिकोण होता है.

5 नील लोहित– जब महादेव ने विषपान किया था, तब उनका नाम नील लोहित पड़ गया था. इस लिंग में सांप एवं ऊँ का अक्षर प्रकट हुआ है.

6 ईशान – हिमालय पर निवास करने वाले महादेव जिसे केदारनाथ कहते हैं विगत नौ जुलाई 2001 सावन के पहले सोमवार को राजराजेश्वरी का रूप प्रकट हुआ.

7 विजय – इस शिवलिंग में छवि बन रही है जिस कारण आकृति अस्पष्ट है.

8 भीम – महादेव का एक रूप भी है. इस शिवलिंग में गदा की छवि उभर कर सामने आयी है. गदा का डंडा अभी धीरे-धीरे प्रकट हो रहा है.

9 देवादेव – ये लिंग सूर्य का रूप है. इस शिवलिंग में गदा के नीचे दो भागों से सूर्य की किरणें फूटकर शीर्ष में मिल रही है.

10 भवोद्भव – इस लिंग में उमा शंकर की आकृति प्रकट हुई है. दोनों आकृतियां धीरे-धीरे बढ़ रही है.

11 कपालिश्च– महादेव का एक रूप बजरंगबली है. बजरंगबली ब्रह्मचारी थे, इसलिये संभवतः इस लिंग में कोई चित्र नहीं उभर रहा है.

> कांची पीठ के शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल व अधीक्षण पुरातत्व-विद डॉ. फणीकांत मिश्र आदि आये तो यहां शिव के एकादश रुद्र का अलौकिक रूप देख भाव विह्वल हो गये. उन्होंने कहा कि ये अपने आप में धार्मिक दृष्टिकोण से अद्वितीय पूजन व तीर्थ स्थल है.

किसी दिन ये शिवलिंग अपने आप पूरा लाल हो जायेगा.

बाबा जी का कहना है कि सभी शिव भक्तों को मात्र एक बार आकर इन शिवलिंगों उभरी हुई आकृतियों को देखे तो पता लगेगा कि ऐसे शिवलिंग विश्व में कहीं भी नहीं हैं

गौरतलब है कि प्रसिद्ध तांत्रिक पंडित मुनीश्वर झा ने 1953 ई. में यहां शिव मंदिर की स्थापना की थी. इस मंदिर में स्थापित सभी शिवलिंग काले ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए हैं जिनका प्रत्येक सोमवार शाम को दूध, दही, घी, मधु, पंचामृत, चंदन आदि से स्नान होता है. श्रृंगार के लिये विशेष तौर पर कोलकाता से कमल के फूल मंगाये जाते हैं. प्रधान पुजारी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पितरों का पिंडदान करने नहीं गया नहीं जा पाते उनके लिये यहां गया क्षेत्र बना है जहां पिण्डदान कर मुक्ति पायी जाती है.

नवनिर्माण के 9 वर्ष

पहले भय का परिवेश
आज पर्यटन प्रदेश

अपना यूपी बदल गया

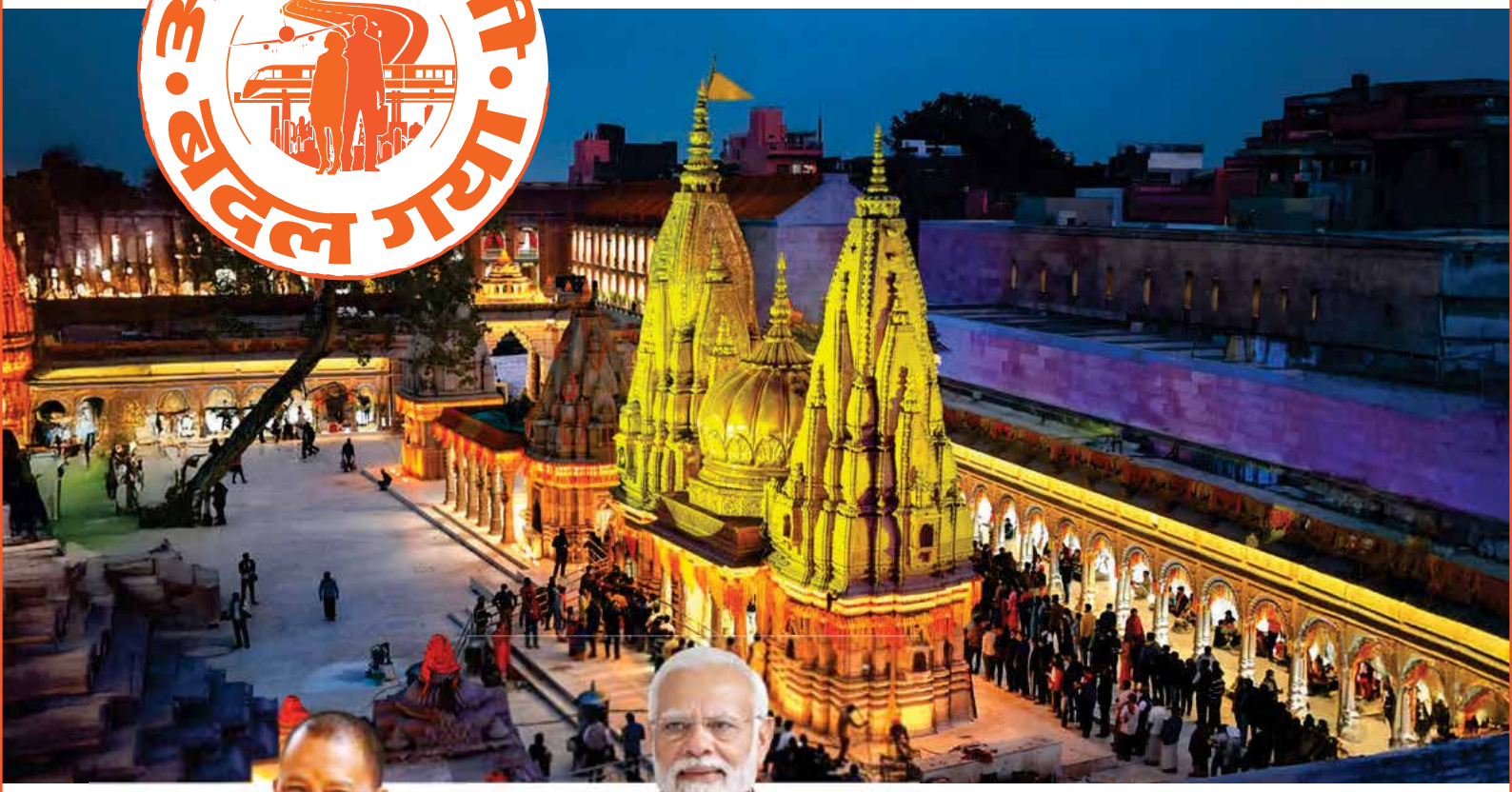

2017 में
23.7 करोड़ पर्यटक

2025 में
156 करोड़+
पर्यटक

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP